लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक ६०—मंगलवार, २८ अप्रैल, १९६४/८ वैशाख, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४५९९—४६२०

***तारांकित**
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१२११	उपभोक्ता सहकारी समिति संघ	४५९९–४६००
१२१२	जहाज बनाने वाला कारखाना	४६०१–०२
१२१३	कोचीन शिपयार्ड (जहाज बनाने का कारखाना)	४६०२–०३
१२१४	कृषि विस्तार में प्रशिक्षण	४६०३—०५
१२१५	मोटरगाड़ी कर	४६०६—०८
१२१६	मेवों का आयात	४६०८—१०
१२१७	फसल बीमा योजना	४६११—१४
१२१८	सर्वोत्तम ग्राम	४६१४—१७
१२१९	गेहूं के मूल्य	४६१७—२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४६२०—६१

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२२०	खाद्यान्नों के वितरण पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	४६२०–२१
१२२१	सामान्य बीमा सहकारी समितियां	४६२१
१२२२	देहरादून एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	४६२१–२२
१२२३	ऊंचाई पर स्थित कृषि फार्म	४६२२
१२२४	स्थानीय शासन के चुनाव लड़ने के लिये रेलवे कर्मचारियों को अनुमति	४६२२—२४
१२२५	कार्मिक संघ	४६२४–२५
१२२६	कृषि वस्तुओं का क्रय	४६२५
१२२७	चावल के समाहार मूल्य	४६२५–२६
१२२८	विमानों का भाड़ा	४६२६
१२२९	कृषि-औद्योगिक श्रम सहकारी समितियां	४६२६–२७
१२३०	चीनी विपणन बोर्ड	४६२७
१२३१	चन्दन की लकड़ी में "स्पाइक" रोग	४६२७–२८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 60—Tuesday, April 28, 1964/Vaisakha 8, 1886 (Saka)

	Subject	Page
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		4599—4620
**Starred Questions Nos.*		
1211	Federation of Consumer Cooperatives	4599—4600
1212	Ship Building Factory	4601-02
1213	Cochin Shipyard	4602–03
1214	Training in Agriculture Extension	4603—05
1215	Motor Vehicle Taxes	4606—08
1216	Import of Dry Fruits	4608—10
1217	Crop Insurance Scheme	4611—14
1218	Best Village	4614—17
1219	Wheat Prices	4617—20
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		4620—61
Starred Questions Nos.		
1220	Assistance to States for Control on Foodgrains Distribution	4620–21
1221	General Insurance Co-operative Societies	4621
1222	Derailment of Dehra Dun Express	4621–22
1223	High Altitude Agricutural Farms	4622
1224	Permission to Railway Employees to contest Elections to Local Authority	4622—24
1225	Trade Unions	4624–25
1226	Purchase of Agricultural Commodities	4625
1227	Procurement Price of Rice	4625–26
1228	Air Fares	4626
1229	Agro-Industrial Labour Cooperatives	4626–27
1230	Sugar Marketing Board	4627
1231	Sandal Spike Disease	4627–28

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२५३१	कृषि और पशु-चिकित्सा विज्ञान विषयों को लेने वाले विद्यार्थी	४६२८
२५३२	पोस्टल सुपरिंटेंडेंट और पोस्ट मास्टर	४६२९
२५३३	करेली रेलवे स्टेशन	४६२९
२५३४	उद्यान कला का विकास	४६२९–३०
२५३५	जरसी सांड	४६३०
२५३६	ज्वार के मिश्र बीज	४६३०
२५३७	कृषि अनुसन्धान	४६३१
२५३८	केलों पर अनुसन्धान	४६३१
२५३९	सहकारी आन्दोलन	४६३२
२५४०	लखनऊ बरेली सेक्शन पर रेलवे स्टेशन	४६३२
२५४१	बरई जलालपुर स्टेशन	४६३२–३३
२५४२	सीज़न टिकटें	४६३३
२५४३	जबलपुर और इटारसी के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां	४६३३–३४
२५४४	प्रादेशिक वन अनुसन्धान संस्था, जबलपुर	४६३४
२५४५	कटखल-लाल बाज़ार रेलवे	४६३४
२५४६	सड़क निर्माण उपकरण	४६३५
२५४७	शिकायतें	४६३५
२५४८	गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४६३५–३६
२५४९	ग्राम स्वयंसेवक दल	४६३६
२५५०	उचित मूल्यवाली दुकानें	४६३६–३७
२५५१	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान	४६३७
२५५२	डिब्रूगढ़ स्टेशन पर गाड़ियों के आने तथा जाने का समय	४६३७–३८
२५५३	नेशनल शुगर मिल, अहमदपुर	४६३८
२५५४	मैसूर राज्य में चीनी के कारखाने	४६३८–३९
२५५५	कृषि भूमि	४६३९
२५५६	चीनी के निर्यात के लिये ठेके	४६३९–४०
२५५७	रोपड़-नंगल बांध सेक्शन	४६४०
२५५८	कृषि अनुसंधान पुनर्विलोकन दल	४६४०–४१
२५५९	विशेष टिकट	४६४१
२५६०	भारत कृषक समाज	४६४१
२५६१	रेलवे पास	४६४२
२५६२	दुधारू ढोरों के निर्यात पर रोक	४६४२
२५६३	प्राथमिक विपणन समितियां	४६४२–४३
२५६४	कृषि वस्तुओं सम्बन्धी सलाहकार समिति	४६४३
२५६५	डेरी उद्योग का विकास	४६४३

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2531	Students offering Agriculture and Veterinary Sciences	4628
2532	Postal Superintendents and Postmasters . . .	4629
2533	Kereli Railway Station	4629
2534	Development of Horticulture . . .	4629-30
2535	Jersey Bulls	4630
2536	Hybrid Jwar Seed	4630
2537	Agricultural Research	4631
2538	Research on Bananas	4631
2539	Cooperative Movement	4632
2540	Railway Stations on Lucknow-Bareilly Section . .	4632
2541	Barai Jalalpur Station	4632-33
2542	Season Tickets	4633
2543	Trains between Jabalpur and Itarsi . . .	4633-34
2544	Regional Forest Research Institute at Jabalpur .	4634
2545	Katakhal-Lalabazar Railway	4634
2546	Road Construction Equipment	4635
2547	Complaints	4635
2548	Quarters for Railway Employees in Gorakhpur	4635-36
2549	Village Volunteer Force	4636
2550	Fair Price Shops	4636-37
2551	Government Accommodation for Railway Employees in Delhi	4637
2552	Arrival and Departure of Trains to and from Dibrugarh	4637-38
2553	National Sugar Mill, Ahmedpur	4638
2554	Sugar Factories in Mysore State	4638-39
2555	Land under cultivation	4639
2556	Contracts for Sugar Export	4639-40
2557	Rupar-Nangal Dam Section	4640
2558	Agricultural Research Review Team . . .	4640-41
2559	Special Stamps	4641
2560	Bharat Krishak Samaj	4641
2561	Railway Passes	4642
2562	Ban on Export of Milch Cattle	4642
2563	Primary Marketing Societies	4642-43
2564	Agricultural Commodities Advisory Committee .	4643
2565	Development of Dairy Industry	4643

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२५६६	डाक और तार कर्मचारियों के लिये मकान	४६४३–४४
२५६७	दिल्ली रेलवे स्टेशन	४६४४
२५६८	सहकारी क्षेत्र का विकास	४६४५–४६
२५६९	दिल्ली दुग्ध योजना	४६४६
२५७०	भूकम्प के झटके	४६४६
२५७१	कृषि उपकर	४६४७
२५७२	हैदराबाद में टीन के डिब्बों में बन्द फलों के रस का कारखाना	४६४७–४८
२५७३	निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन	४६४८
२५७४	हल्दिया पत्तन से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	४६४८–४९
२५७५	हल्दिया रेलवे लाइन	४६४९
२५७६	भाखड़ा-नंगल के लिये विमान सेवा	४६४९
२५७७	उत्तर रेलवे पर चीजें बेचने के ठेके	४६५०
२५७८	अहमदाबाद में रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) के कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह	४६५०–५१
२५७९	मुरैना स्टेशन	४६५१
२५८०	पंचायती राज संस्थायें	४६५१
२५८१	दिल्ली कलकत्ता टेलीप्रिंटर लाइन	४६५२
२५८२	बीज फार्म	४६५२
२५८३	दिल्ली और फीरोज़पुर डिवीज़नों में सहायक स्टेशन मास्टर	४६५३
२५८४	कलिंग एयरलाइन्स के डकोटा का दुर्घटनाग्रस्त होना	४६५३
२५८५	रेलवे स्कूलों और कालिजों में छात्रवृत्तियां	४६५३–५४
२५८६	लखनऊ-कलकत्ता विमान सेवा	४६५४
२५८७	दिल्ली-देहरादून विमान सेवा	४६५४
२५८८	जापान से सुपर टकर	४६५४–५५
२५८९	शीत गोदाम	४६५५
२५९०	शीत लहर के कारण फसलों को हानि	४६५५
२५९१	'फोकर फ्रेंडशिप' विमान सेवा	४६५५–५६
२५९२	रेलवे दुर्घटनायें	४६५६
२५९३	गाड़ी उलटने का प्रयत्न	४६५६–५७
२५९४	मरमुगाओ में नाविकों के लिये भर्ती केन्द्र	४६५७
२५९५	मोहोल रेलवे स्टेशन	४६५७
२५९६	मध्य रेलवे का चोला बिजलीघर	४६५८
२५९७	दोरणाकल-खम्मम रेलवे लाइन	४६५८
२५९८	व्यावहारिक आहार पुष्टि कार्यक्रम	४६५८–५९
२५९९	आदिम जातीय स्थितिज्ञान	४६५९
२६००	डाक और तार कर्मचारी	४६५९–६०

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2566	Accommodation for P. & T. Employees	4643-44
2567	Delhi Railway Station	4644
2568	Development of Co-operative Sector	4645-46
2569	Delhi Milk Scheme	4646
2570	Earthquake Tremors	4646
2571	Agricultural Cess	4647
2572	Tinned Fruit Juice Factory at Hyderabad	4647-48
2573	Nizamabad Railway Station	4648
2574	Rehabilitation of Displaced Persons from Haldia Port	4648-49
2575	Haldia Railway Line	4649
2576	Air Service to Bhakra Nangal	4649
2577	Vending Contracts on Northern Railway	4650
2578	Rest House at Ahmedabad for R.M.S. Employees	4650-51
2579	Morena Station	4651
2580	Panchayati Raj Institution	4651
2581	Delhi-Calcutta Teleprinter Line	4652
2582	Seed Farms	4652
2583	Assistant Station Masters in Delhi and Ferozepur Divisions	4653
2584	Kalinga Airlines Dakota Crash	4653
2585	Scholarships in Railway Schools and Colleges	4653-54
2586	Lucknow—Calcutta Air Service	4654
2587	Delhi—Dehra Dun Air Service	4654
2588	Super Tanker from Japan	4654-55
2589	Cold Storage	4655
2590	Loss caused to Crops due to Cold etc.	4655
2591	Fokker Friendship Service	4655-56
2592	Railway Accidents	4656
2593	Attempt to derail a Train	4656-57
2594	Recruitment Centre for Seamen at Mormugao	4657
2595	Mohol Railway Station	4657
2596	Chola Power House, Central Railway	4658
2597	Dornakal-Khammam Railway Line	4658
2598	Applied Nutrition	4658-59
2599	Tribal Orientation	4659
2600	P & T Employees	4659-60

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६०१	मारूफ गंज स्टेशन पर माल की चोरी .	४६६०
२६०२	मेसर्ज़ अकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी . .	४६६०-६१
२६०३	कोयले की भाड़ा दरें	४६६१
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६६१-६५
	बर्मा सरकार द्वारा बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न कठिनाइयां	
	श्री प्र० के० देव .	४६६१
	श्री दिनेश सिंह	४६६१-६५
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६६५-६७
	विधेयक पर राय	४६६७
	राज्य सभा से सन्देश	४६६७
	प्राक्कलन समिति	
	छप्पनवां प्रतिवेदन	४६६७
	तारांकित प्रश्न संख्या १०३६ के उत्तर में शुद्धि . . .	४६६८
	संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक,--अस्वीकृत	
	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
	श्री अ० कु० सेन	४६६८--७२
	संविधान (अठारहवां संशोधन) विधेयक, १९६४ श्री अ० कु० सेन .	४६७३
	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक . . .	४६७३--८०
	विचार करने का प्रस्ताव	४६७३
	श्री हुमायूं कबिर	४६७३-७४
	श्री स० मो० बनर्जी	४६७४
	श्री ओझा	४६७४
	श्री पु० र० पटेल	४६७४
	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	४६७४
	श्रीमती यशोदा रेड्डी	४६७५
	श्री वारियर	४६७५
	श्री स० चं० सामन्त . . .	४६७५
	श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . .	४६७५
	श्री पें० वेंकटासुब्बया . .	४६७५-७६
	श्री दी० चं० शर्मा . .	४६७६

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--*Contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2601	Theft of Goods at Marufganj Station	4660
2602	M/s. R. Akoojee Jadwet & Co.	4660-61
2603	Freight Rates on Coal	4661

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Difficulties of Indians in Burma owing to nationalization of their assets 4661—65

Shri P. K. Deo 4661

Shri Dinesh Singh . . . . . 4661—65

Papers laid on the Table . . . . . 4665—67

Opinions on Bill 4667

Message from Rajya Sabha 4667

Estimates Committee 4667

Fifty-sixth Report 4667

Correction of answer to Starred Question No. 1036 . 4668

Constitution (Seventeenth Amendment) Bill—Negatived

Motion to consider, as reported by Joint Committee

Shri A. K. Sen . . . . . 4668—72

Constitution (Eighteenth Amendment) Bill

Shri A. K. Sen 4673

Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Bill 4673—80

Motion to consider 4673

Shri Humayun Kabir 4673

Shri S. M. Banerjee 4674

Shri Oza 4674

Shri P. R. Patel 4674

Dr. L. M. Singhvi 4674

Shrimati Yashoda Reddy 4675

Shri Warior 4675

Shri S. C. Samanta 4675

Shrimati Lakshmikanthamma 4675

Shri P. Venkatasubbaiah 4675-76

Shri D. C. Sharma 4676

विषय	पृष्ठ
श्री यशपाल सिंह	४६७६–७७
श्री हिम्मतसिंहका	४६७७
श्री च० का० भट्टाचार्य	४६७७
डा० मा० श्री अणे	४६७७
श्री प० ना० कयाल	४६७७–७८
श्री गौरी शंकर कक्कड़	४६७८
श्री हेम राज	४६७८–७९
खंड २ और १	४६७९
पारित करने का प्रस्ताव	४६७९
श्री हुमायून कबिर	४६७९–८०
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक	४६८०—८९
विचार करने का प्रस्ताव	४६८०
डा० द० स० राजू	४६८०–८१
डा० रानेन सेन	४६८१
डा० च० भा० सिंह	४६८१–८२
डा० श्रीनिवासन	४६८२–८३
श्री यशपाल सिंह	४६८३
श्री श्यामलाल सर्राफ	४६८३–८४
श्री स० मो० बनर्जी	४६८४
डा० सरोजिनी महिषी	४६८५
श्री गौरी शंकर कक्कड़	४६८५–८६
श्री दी० चं० शर्मा	४६८६–८७
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	४६८७–८८
श्री ओझा	४६८८–८९
अनाज व्यापारियों द्वारा दी गई कारोबार बन्द करने की धमकी के बारे में १४ अप्रैल, १९६४ को ध्यान दिलाने वाली सूचना	४६८९—९१
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	४६८९
श्री अ० म० थामस	४६८९–९१
सभा का कार्य	४६९१–९२

Subject	Page
Shri Yashpal Singh	4676-77
Shri Himatsingka	4677
Shri C. K. Bhattacharyya	4677
Dr. M. S. Aney	4677
Shri P. N. Kayal	4677-78
Shri Gauri Shankar Kakkar	4678
Shri Hem Raj	4678-79
Clauses 2 and 1	4679
Motion to pass	4679
Shri Humayun Kabir	4979-80
Indian Medical Council (Amendment) Bill	4680—89
Motion to consider	4680
Dr. D. S. Raju	4680-81
Dr. Ranen Sen	4681
Shri Chandrabhan Singh	4681-82
Dr. P. Srinivasan	4682-83
Shri Yashpal Singh	4683
Shri Sham Lal Saraf	4683-84
Shri S. M. Banerjee	4684
Dr. Sarojini Mahishi	4685
Shri Gauri Shankar Kakkar	4685-86
Shri D. C. Sharma	4686-87
Dr. L. M. Singhvi	4687-88
Shri Oza	4688-89
Calling Attention Notice of 14th April 1964 re : threatened closure of business by foodgrain dealers	4689—91
Dr. L. M. Singhvi	4689
Shri A. M. Thomas	4689—91
Business of the House	4691-92

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, २८ अप्रैल, १९६४/ ८ वैशाख, १८८६ (शक)

Tuesday, April, 28, 1964/Vaisakha 8, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उपभोक्ता सहकारी समिति संघ

\+
*१२११. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उपभोक्ता सहकारी समिति संघ की स्थापना के प्रस्ताव पर सभी राज्य सरकारों के मत प्राप्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय क्या किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : Does Government think that this movement would further the cause of cooperatives ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस योजना के परिणामस्वरूप सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा मिलेगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : निस्संदेह ।

Shri Yashpal Singh : How much time the Government would take in contacting the State Governments ?

श्री ब० सू० मूर्ति : हमें अभी तक केवल दो राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और उन्होंने ये विचार व्यक्त किये हैं कि वर्तमान सहकार्य विपणन समितियां पर्याप्त हैं । परन्तु अधिकांश राज्यों ने हमें लिखा है कि चूंकि इस में बहुत सी बातें अन्तर्ग्रस्त हैं, अत: वे इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही अपने विचार भेज देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह ।

Shri Yashpal Singh : It has not been answered how much time Government would take in this matter ?

श्री ब० सू० मूर्ति : हम राज्य सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि वे यथासंभव शीघ्र अपने उत्तर भेजने का कष्ट करें क्योंकि हम इस संघ को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये सदस्यगण मेरी ओर अनुमति के लिये नहीं देखते हैं, तो कम से कम मंत्रियों को तो यह जानना चाहिये कि मैंने प्रश्न की अनुमति दी है अथवा नहीं ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस संघ की स्थापना से अथवा किसी अन्य तरीके से नार्थ और साउथ एन्यूज़ में इस समय स्थापित उपभोक्ता सहकारी समिति के कार्यकरण में किसी प्रकार का सुधार होने की सम्भावना है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरे विचार से इस दिशा में कोई सुधार लाना मुख्यतया संसद्-सदस्यों पर निर्भर करता है ।

Shri K. N. Tiwary : Has any State Government sent its reactions on this scheme and if so, the names of such State Governments ?

श्री ब० सू० मूर्ति : योजना राज्य सरकारों को भेज दी गई है और जैसा कि मैं ने बताया अभी तक केवल दो राज्य सरकारों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है ।

अध्यक्ष महोदय : वे कौन सी हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैसूर और उड़ीसा ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the scheme in brief ?

श्री ब० सू० मूर्ति : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की उपभोक्ता सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी समिति ने एक योजना तैयार की है कि राज्य स्तर पर उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिये संघ होने चाहियें । जालन्धर में हुई उपभोक्ता सहकारी समितियों की अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में १० और १२ मार्च को इस योजना पर पुन: विचार विमर्श हुआ था । मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से एक योजना तैयार की थी जो कि राज्य सरकारों को भेज दी गई है । मोटे तौर पर विचार यह है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों के राज्य संघ होने चाहियें और जहां कहीं भी किसी भी राज्य में १० थोक समितियां हों, वे एक संघ का निर्माण कर सकती हैं । यदि कहीं पर १० थोक समितियां न हों, परन्तु वर्तमान थोक समितियों का वार्षिक व्यापार ५० लाख से अधिक का हो, तो वे भी अपना एक संघ बना सकती हैं । संघ के स्वरूप का यही संक्षिप्त सार है ।

जहाज बनाने वाला कारखाना

*१२१२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में जहाज बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसे तीसरी योजना में आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिये स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने "नहीं" कहा है। क्या सरकार देश में स्थित जहाज बनाने वाले कारखानों की वर्तमान अथवा प्रस्तावित क्षमता से संतुष्ट है ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने बताया, हमें प्रक्रमों के अनुसार चलना पड़ेगा । जब तक नौवहन तथा जहाज निर्माण के बारे में हमारे व्यापार की मांगो की पूरी तरह पूर्ति न हो, तब तक अपनी नौवहन क्षमता को बढाने के प्रयत्न से हमारे संतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने विशाखापटनम के जहाज बनाने के कारखाने की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने का निर्णय कर लिया है ?

श्री राज बहादुर : जी, हां ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पूर्वी जोन की अभी तक उपेक्षा क्यों की गई है तथा वहां जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया गया है ?

श्री राज बहादुर : विशाखापत्तनम काफी हद तक पूर्वी तट पर है ।

श्री तिरुमल राव : क्या पूर्वी जोन अर्थात् बंगाल–कलकत्ता जोन में जहाज निर्माण की क्षमता में वृद्धि करने के लिये सुविधाओं के बारे में सरकार के पास कोई विस्तृत प्रतिवेदन है ?

श्री राज बहादुर : ऐसा कोई विशिष्ट प्रतिवेदन नहीं है । परन्तु जैसा कि आप को ज्ञात है, हमारे पास इस समय जहाज बनाने वाला केवल एक कारखाना है। हम शीघ्र ही कोचीन में एक और कारखाना स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं । गार्डन रीच में, जो कि पूर्वी जोन में ही है, क्षमता का विस्तार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या भारत के पूर्वी भाग में जहाज बनाने वाले एक कारखाने की स्थापना के लिये किसी बाहर के देश से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री राज बहादुर : जहाज बनाने वाले तीसरे कारखाने की स्थापना के बारे में कोई निर्णय किये जाने तक यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बूटा सिंह : सरकार का जहाज निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि करने के हेतु तीसरी योजना के शेष वर्षों में जहाज बनाने वाले गैर-सरकारी समवायों को क्या सुविधायें अथवा प्रोत्साहन देने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : हमें अपने नौभार के प्रतिस्थापन तथा परिवर्धन के लिये व्यवस्था करनी है और उसके लिये वर्तमान कारखाने की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है तथा एक और कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वह अपने राज्य में एक जहाज बनाने वाला कारखाना चालू करना चाहती है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक जहाज बनाने वाले कारखाने का सम्बन्ध है, कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है । हां, मोटर से चलने वाले छोटे जलयानों के निर्माण के लिये एक छोटा सा कारखाना स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव मिला है।

Cochin Shipyard

*1213. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri P. Venkatasubbiah :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Murli Manohar :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that negotiations have taken place in Tokyo recently between the officials of the Governmert of India and Mitsubishi Company regarding the construction of the Cochin Shipyard ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport(Shri Raj Bahadur) : (a) & (b). No Sir. A delegation of officers of Government of India is visiting Tokyo next month for further negotiations with the Mitsubishi Group.

Shri Bibhuti Mishra : Apart from the Mitsubishi Company, have Government negotiated with any other company in the world as well for Collaboration in the construction of the Cochin Shipyard ?

Shri Raj Bahadur : After making exhaustive enquiries, we have slected this best ship-building company and have negotiated with that.

Shri Bibhuti Mishra : To what extent this Company has promised to render assistance to us ?

Shri Raj Bahadur : This Company would provide us technical assistance and probably some financial help too.

श्री रामचन्द्र उलाका : इस प्रयोजन के लिये कोचीन में अब तक कुल कितनी भूमि का अर्जन किया जा चुका है और कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

श्री राज बहादुर : मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि कितनी एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि जहाज बनाने के इस कारखाने की शीघ्र स्थापना के बारे में कुछ शंकायें व्यक्त की गई हैं और इस बारे में लम्बे काल से चलती आ रही बातचीत के कारण लोग निराश होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है, जब तक कि हमें सहायता प्राप्त हो जायेगी ताकि हम निर्माण का कार्य चालू कर सकें ?

श्री राज बहादुर : शंकाओं अथवा गलतफहमियों की कोई बात नहीं है । परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि बातचीत में कुछ समय अवश्य लगेगा और विशेषकर जब कि हमें जहाज बनाने वाले विदेशी कारखानों अथवा बाहर के किसी देश से बातचीत करनी है तथा इस कारखाने की स्थापना के लिये विदेशी ऋण तथा मुद्रा की व्यवस्था करनी है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : इस परियोजना की वित्तीय उपलक्षण क्या है तथा जापान की यह मित्सुबिशी कम्पनी उधार के रूप कितने येन की व्यवस्था करेगी ?

श्री राज बहादुर : रूपभेद की गई नवीनतम योजना के अधीन, अनुमानित लागत ८.६७ करोड़ रुपये है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश २.६७ करोड़ रुपये है । जापान के जहाज बनाने के कारखाने ने विदेशी मुद्रा के कुछ अंश की पूर्ति के लिये साम्य पूंजी में भागीदार बनने की इच्छा प्रगट की है ।

श्रीमती सावित्री निगम : वास्तविक कार्य तथा उत्पादन कब तक चालू होगा ?

श्री राज बहादुर : मुझे आशा है कि अगले महीने में करार को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और उसके बाद हम और कदम उठायेंगे ।

श्री बी० चं० शर्मा : कोचीन के जहाज बनाने के कारखाने में जहाजों को खड़ा करने के कितने स्थान होंगे तथा वहां पर किस प्रकार के जलयान खड़े किये जा सकेंगे ?

श्री राज बहादुर : मैं इन स्थानों की निश्चित संख्या नहीं बता सकता । यह संख्या उत्पादन-कार्यक्रम पर निर्भर करेगी । जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, हम छोटे भारवाही जहाज अथवा अनेमी पोत चाहते हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जापान की फर्म के साथ हो रही बातचीत के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर, इस कारखाने में किस प्रकार के जहाजों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मैंने अभी अभी बताया कि १५००० अथवा अधिक जी० आर० टी वाले छोटे भारवाही जहाज तथा अनेमी पोतों का निर्माण किया जायेगा ।

कृषि विस्तार में प्रशिक्षण

*१२१४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में कृषि विस्तार तथा विस्तार शिक्षा में अग्रतर प्रशिक्षण के लिए कुछ अधिकारी अमरीका और जापान भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को भेजने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । ३१ अधिकारियों को भेजने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विदेश जाने वाले इन अधिकारियों के लिये पाठ्यक्रम तथा अमरीका में प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी तथा हमारे देश में उन उपायों को अपनाना कहां तक लाभकारी होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : कोई भी विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं है क्योंकि उन्हें किसी विश्वविद्यालय में लगाया जाता है और शेष कुछ अधिकारी जो यहां अध्यापन कार्य करते हैं वहां केवल ९ महीने ठहरते हैं । अतः वे केवल विश्वविद्यालय जाते हैं और कुछ क्षेत्र-कार्य भी करते हैं । जो क्षेत्र-कार्य करते हैं उन्हें शिक्षा संस्थाओं में केवल ६ महीने के लिये लगाया जाता है और वे अधिकांशतया क्षेत्र कर्मचारियों के साथ काम करते हैं । लौटकर आने पर वे लाभ-कारी सिद्ध होत हैं । मैं लाभ कारी इसलिये कह रहा हूं क्योंकि नियोजक प्राधिकारियों ने हमें बताया है कि इन अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में सामुदायिक खण्डों और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो जाने के कारण इस कृषि सम्बन्धी विस्तार शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार ने उस देश में कृषि विस्तार में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अनुसंधान करने वाले कुछ विद्यार्थियों को भी भेजने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैंने बताया कि अधिकारी भजे जाते हैं । आम तौर पर स्नातकों को ही भेजा जाता है । एक प्रस्ताव था कि उनमें से कुछ को स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिये भेजा जाना चाहिये । इसके अन्तर्गत यह प्रश्न भी आ जाता है क्योंकि अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी सामान्यतया: स्नातकोत्तर कार्य तथा अनुसंधान दोनों ही करते हैं । परन्तु इसके लिये कम से कम २ वर्ष की अवधि चाहिये जो कि हमारे लिये कठिन है । अतः हमने यह निर्णय किया कि उनको केवल ९ महीने के लिये भजा जाय और मैं नहीं समझता कि इससे अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों को कोई अधिक लाभ पहुंचेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : How many officers one likely to be sent from different States, separately, especially from Bihar ?

Dr. Ram Subhag Singh : Under this scheme, a total number of 132 officers have so for been sent abroad out of which only 2 officers belong to Bihar. Out of the officers now being sent. one belongs to Bihar.

Shri R. S. Tiwary : May I know whether only the officers would be sent to get this training or Government propose to send the farmers as well ?

Dr. Ram Subhag Singh : This scheme is intended for officers only. However, we would think over the suggestion given by the hon. Member.

Shri Sheo Narain : Will the research scholars sent by Government also to study how to do cultivation at an altitude of 10,000 ft. ?

Dr. Ram Subhag Singh : There is a plan to see that cultivation is done at an altitude of 10,000 ft. and even above that. We are doing thorough research in regard thereto.

श्री अ० प्र० जैन : इन अधिकारियों के चयन की क्या कसौटी है और क्या इनका चयन सीधे ही कर लिया जाता है अथवा राज्य सरकारों के द्वारा ?

डा० राम सुभग सिंह : : चयन राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है । आधार यह है कि सामान्यतया उनको रुद्रपुर विश्वविद्यालय तथा अन्य कृषि कालिजों जैसी विस्तार शिक्षा संस्थाओं से लिया जाता है । इस समय भी अधिकांश अधिकारी हम १६ अधिकारी चुन रहे हैं—कृषि संस्थाओं तथा विस्तार शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित है । उनके नाम राज्य सरकारें भेजती हैं तथा एक समिति है जिसमें ए० आई० डी० (A.I.D.) के व्यक्ति भी हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उन्हीं अधिकारियों को भेजा जायेगा जो पहिले कृषि शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा सचिवालय के अधिकारी भी भेजे जायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : उनको भेजा जायेगा जो कि कृषि, पशु पालन आदि क्षेत्रों में तकनीकी योग्यता रखते होंगे ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the officers belonging to peasant families be given preference in the matter of sending these officers for training ?

Dr. Ram Subhag Singh : The main object is to augment agricultural yield. and all these officers are sent with this end in view. Ultimately, the objective would be to give preference to agriculturists.

Shri Y. S. Chaudhary : Have Government gained something by sending abroad official and non-official delegations during the last 2 years and if so, the details thereof ?

Dr. Ram Subhag Singh : In case a separate notice is given, I can furnish the exact details about it. The delegations so far sent abroad have been of much value for us.

Shri Yashpal Singh : The Government lacks resources to make use of the researches already made in India in regard to agriculture. At present there is shortage of foreign exchange. Keeping in view this state of affairs, why Government have thought it necessary to send officers abroad for fresh training ?

Dr. Ram Subhag Singh : The country would not prosper by holding up any official or non official function. The Government is not short of funds to make use of the available knowledge meant for the extension of agriculture. The hon. Member raised the question of foreign exchange. No foreign exchange would be required for this training because this trip has been arranged by the Agency for International Development.

Shri Onkar Lal Berwa : Does the soil of those countries where our experts are sent for training conforms to that of our country ?

Dr. Ram Subhag Singh : In spite of there being difference, so many things have to be undertaken. For example, if a tubewell is to be dug in Rajasthan, it is not necessary that an engineering expert, who got training in Russia, America or Britain, would not succeed in this work simply because there is desert in Rajasthan.

मोटरगाड़ी कर

*१२१५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरगाड़ी करों को एकत्रित करने के तरीके को एक रूप बनाने तथा युक्ति संगत ढंग से सरल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस बारे में कुछ सहमति प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो तदनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-२७९०/६४]**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने परिवहन मोटरगाड़ियों पर एकसूत्री कराधान के सिद्धान्त को तथा चुंगी को समाप्त करने के सिद्धांत को जिसको भारत सरकार ने पहिले स्वीकार कर लिया था, लागू करने के बारे में कोई और प्रयास किये हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक एकसूत्री कराधान का सम्बन्ध है, यह दो प्रकार का होता है : एक तो दो राज्यों के बीच तथा दूसरा दो राज्यों से अधिक के बीच । दो राज्यों के बीच कर के बारे में समस्त राज्य एकसूत्री कराधान के सिद्धांत से सहमत हो गये हैं । मद्रास, मैसूर आदि को छोड़कर, जहां इस बारे में विचार-विमर्श चल रहा है, यह सिद्धान्त लागू भी हो चुका है । दूसरी प्रकार के कर के बारे में, जैसा कि मैंने बताया है, एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है जो हमें इस बारे में सलाह देगा कि एकसूत्री कराधान के आधार पर यह कर किस तरीके से वसूल किया जाय । चुंगी के बारे में भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार सारे देश में मोटरगाड़ियों पर लगने वाले करों को युक्तिसंगत बनाने, कम करने तथा एकरूपता प्रदान करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है और यदि हां, तो उस प्रयत्न का क्या परिणाम निकला है ?

श्री राज बहादुर : यही तो वह प्रश्न है जिसका मैंने २ पृष्ठ के विवरण में उत्तर दिया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, इस कर को युक्तिसंगत बनाने तथा कम करने के बारे में इस विवरण में कुछ भी नहीं दिया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें एक और अवसर दूंगा । अब वह बैठ जायें ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि मोटरगाड़ियों पर लिये जाने वाले इस कर का इतिहास में सिवाय **जजिया** के अन्य कोई उदाहरण नहीं है जिसका कि मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्त करने की अपेक्षा अपमानित करना है ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से इस आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता । मैं इस आक्षेप अथवा सुझाव का पूर्णतया खण्डन करता हूं । उचित राजस्व की प्राप्ति के लिये यह एक उचित कर है ।

श्री जसवन्त मेहता : विवरण में बताया गया है कि भारत सरकार यह कोशिश कर रही है कि राज्य सरकारें इस बात के लिये तैयार हो जायें कि मद्रास राज्य में प्रचलित दरों के ७५ प्रतिशत से अधिक कर मोटरगड़ियों पर न लगाया जाय ।

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैंने बताया कि एकसूत्री कराधान दो राज्यों के बीच है । और यह सिद्धान्त समस्त राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा दक्षिण भारत के दो या तीन राज्यों को छोड़ कर शेष राज्यों में लागू हो चुका है ।

Shri Tulshidas Jadhav: Which of the State Governments have accepted the four suggestions, a mention of which has been made in this statement ? What reasons have been advanced by those Governments who have declined to accept them ?

Shri Raj Bahadur : In case this question relates to para 1 of the statement and ceiling, it has been stated in the second para of the statement that since states are badly in need of revenues it is not being implemented now.

Shri M. L. Dwivedi : It is there on the second page of the statement. आसाम सरकार ने सूचित किया है कि सिफारिश को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं . . .

It is not possible because goods are carried there even by motor boats. Are the motor boats also covered by the Motor Vehicles Taxation Act and if not, why the Government of Assam is having difficulty in this regard ?

Shri Raj Bahadur : There are two aspects of it. Firstly there is the question of collection of taxes levied on motor vehicles and secondly the one and the same officer cannot collect taxes on both motor vehicles as also motor boats. The officer collecting taxes on motor vehicles cannot be employed for collection of taxes on motor boats. This is the reason why they have put forth their practical difficulty ?

श्री प० ना० कयाल : क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि करदाता कार्यालयों में न जा कर डाक के द्वारा कर की अदायगी कर सकें ?

श्री राज बहादुर : मोटरगाड़ियों पर अनेक प्रकार से कर लिया जाता है । केन्द्र सरकार कुछ उत्पादन तथा सीमा शुल्क के द्वारा कर लेती है, राज्य सरकारें मोटरगाड़ी कर आदि के रूप में कर लेती हैं और स्थानीय निकाय भी कर वसूल करते हैं । मेरे विचार से इन सब का डाक के द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : परिवहन मोटरगाड़ियों पर करों को कम करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि वे देश में उपलब्ध परिवहन के अन्य साधनों का मुकाबला कर सकें ? क्या सरकार सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये उन उपायों से सन्तुष्ट है जिन के द्वारा करों को युक्तिसंगत आधार पर निश्चित किया जायेगा अथवा इनके अतिरिक्त कुछ और भी सोचा जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : राज्यों को इस बात का पूरा अधिकार है कि मोटर गाड़ियों पर कितना कर लगाया जाय । संविधान के अधीन यह अधिकार राज्यों का ही है, केन्द्र का नहीं । हम राज्यों को

मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे करों का युक्तिसंगत आधार पर निश्चित करें ताकि मोटर गाड़ियों पर कर का भार कम किया जा सके। जहां तक इन प्रयत्नों के परिणाम के बारे में संतुष्टि का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम अब भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं तथा आगे भी जितना कुछ हो सकेगा, हम करेंगे।

Import of Dry Fruits

+

*1216. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the number of Co-operative Stores in Delhi that have been given import licences for dry fruits during 1962-63 and 1963-64 ;

(b) The quantity of dates and almond kernel imported by these Co-operative Stores during the two years ;

(c) The rates at which they had been selling dry fruits including all expenses ; and

(d) Whether it is a fact that the Stores are making large profits by the sale of dry fruits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy) : (a) No co-operative store in Delhi had been given a licence for import of dry fruits. However, the National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd., New Delhi, was given a licence for this purpose in the year 1962-63 and goods were imported in 1963-64.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha.

STATEMENT

(b) (the quantity of dates and almond kernel imported by these cooperative societies during the two years.)

Item	Quantity of dates and almond kernel imported by National Agricultural Cooperative marketing Federation during 1963-64 (till the end of January 1964).
1. West Dates	5250.00 tonn
2. Dry Dates	156.90 tonnes
3. Almond kernel	18.50 tonnes

(c) (the rates at which they had been selling dry fruits including all expenses).

Item	Selling rates of National Agricultural Cooperative Marketing Federation including all expenses.
1. West Dates	Rs. 555.60 per tonne
2. Dry Dates	
(a) Brem Junub Variety	Rs. 1891.00 per tonne
(b) Chip Chop Variety	Rs. 1249.50 per tonne
3. Almond kernel	Rs. 13996.00 per tonne

(d) No Sir. The Federation was allowed only a margin of 2 per cent. as profit.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the name of the Chairman of the Cooperative Store which has been given licence and the total number of people who had applied for the licences as also of those who were granted the same ?

श्री ब० सू० मूर्ति : श्रीमन्, मैं पहिले ही बता चुका हूं कि केवल एक सहकारी संगठन को लाइसेंस दिया गया है। यह स्टोर नहीं है, अपितु एक संघ है। इस के अतिरिक्त और किसी भी स्टोर को मेवों के आयात के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया है। डा० पंजाबराव देशमुख इस संघ के चेयरमैन हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In addition to these dry fruits, are other dry fruits also imported and if so, the quantity thereof ? Who actually gain as a result of these import ?

Mr. Speaker : Dry or fresh ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Dry.

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री बूटा सिंह : जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली में किसी भी सहकारी स्टोर को लाइसेंस नहीं दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है और एक नीति बना ली है कि सहकारी स्टोरों को लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, नहीं। लाइसेंस देने की नीति तो है परन्तु १९६३ के दौरान सितम्बर के मध्य में ईरान और भारत के बीच जो व्यापार करार था उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। यह करार अब पुनः किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय पात्र सहकारी स्टोरों को लाइसेंस देने के बारे में सोच विचार कर रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि जब से पाकिस्तान ने शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है तब से अफगानिस्तान से मेवों का आयात करने में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो भारतीय राज्यक्षत्र के द्वारा नेपाल-पाकिस्तान व्यापार के लिये हाल में ही सुविधायें प्रदान करते समय पाकिस्तान सरकार से भारत-अफगानिस्तान व्यापार के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं की मांग क्यों नहीं की गई ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : वरिष्ठ मंत्री, श्री डे, उपस्थित हैं। वह कुछ रोशनी डालने का कष्ट करें। वह इस बात को अपने साथी तक पहुंचा दें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। डा० देशमुख।

डा० पं० शा० देशमुख : क्या यह सच नहीं है कि सहकारी स्टोर द्वारा लिया जाने वाला उपभोक्ता मूल्य सहकार मंत्रालय निर्धारित करता है और क्या बहुत सी वस्तुओं के मूल्य प्राइवेट व्यापारियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों से आधे से भी कम हैं ?

अध्यक्ष महोदय : केवल २ प्रतिशत मुनाफे की अनुमति दी गई है। संघ को कायम रखने के लिये यह पर्याप्त होना चाहिये।

डा० पं० शा० देशमुख : वास्तविक फुटकर बिक्री संघ द्वारा नहीं की जाती है । यह केवल २ प्रतिशत लाभ होता है और शेष सहकारी समितियों को जाता है । मैं यह चाहता था कि माननीय मंत्री जी सभा को बतायें कि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों की तुलना में सहकारी समितियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्य बहुत ही कम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब उस्वयं उन्होंने ही यह बात सभा को बता दी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार खजूर और बादाम गिरी, जिन को कि हम खाने के शौकीन हैं, के फुटकर मूल्यों को कम करने के लिये क्या कदम उठाने वाली है ? क्या मंत्री जी इस दिशा में कुछ करेंगे कि इन वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात किया जाय ताकि इनके मूल्य गिर जायें ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि अन्य व्यापारियों द्वारा लिये जाने वाले फुटकर मूल्य स्टोरों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों से लगभग २५ प्रतिशत अधिक हैं । अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि वह सहकारीस्टोरों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री जी इन वस्तुओं की आयात संबंधी शर्तों को उदार बनायेंगे ताकि मूल्यों में काफी कमी हो सके ? इस समय मूल्य बहुत ही अधिक है । हम बादाम नहीं खरीद सकते ।

श्री ब० सू० मूर्ति : आयात और निर्यात के उदारीकरण का अधिकार इस मंत्रालय को नहीं है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : दिल्ली स्थित सहकारी स्टोरों के अतिरिक्त, क्या भारत में किसी अन्य सहकारी समिति को मेवों के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरे विचार से कोई भी सहकारी समिति सहकारिता के क्षेत्र से बाहर नहीं है ।

Shri Tulshidas Jadhav : The business carried on by the cooperative store is different from individual business. Do the government exercise some check in order to see that the cooperative society may not earn much profit ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैंने बताया है कि अधिक मुनाफा नहीं लिया जाता है । फुटकर तथा थोक स्टोरों द्वारा कमाया जाने वाला मुनाफा व्यक्तिगत व्यापारियों के मुनाफे से बहुत कम है ।

अध्मक्ष महोदय : सब ओर चल रही इस प्रकार की बातों के कारण मेरे लिये सभा की कार्य-वाही चलाना कठिन है । प्रत्येक व्यक्ति बातों में लगा हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता कि बात क्या है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आज निर्वाचन दिवस है ।

एक माननीय सदस्य : निर्वाचन बाहर हो रहा है, सभा के अन्दर नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि निर्वाचन बाहर हो रहा है सभा में नहीं । **(अन्तर्बाधायें)** यदि कोई अन्य अधिक महत्वपूर्ण बात यहां की जानी हो, तो मैं कार्यवाही बन्द कर सकता हूं अगला प्रश्न ।

फसल बीमा योजना

+

*१२१७. { श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच देश के कतिपय भागों में फसल बीमा योजना चालू करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)) : (क) और (ख). देश के कतिपय भागों में फसल बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

श्री घुलेश्वर मीना : फसल बीमा योजना का प्रश्न पिछले दो अथवा तीन वर्षों से लटका पड़ा है। सरकार के सामने ऐसी क्या कठिनाइयां हैं जिन के कारण वह इस योजना पर विचार भी नहीं कर सकती ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है कि यह प्रश्न काफी देर से चल रहा है। इस योजना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा। प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् इस के सम्बन्ध में आवश्यक विधान बनाने के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रश्न किया जायेगा।

श्री घुलेश्वर मीना : इस बात को देखते हुए कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण, पंजाब के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया है, क्या सरकार राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है जिससे कि वे राज्यों में इस योजना को लागू कर सकें और यदि हां, तो कितने रुपये तक की सहायता दी जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : अब स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है और अधिकाधिक राज्य इस योजना में अधिक रुचि ले रहे हैं। जिन स्थानों पर यह योजना लागू की जायेगी उनको तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए फसल बीमा योजना की प्रशासन लागत का ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा। और सरकार प्रविधिक मार्ग-दर्शन की व्यवस्था करेगी।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्योंकि यह योजना केन्द्रीय सूची का एक विषय है अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पूरे खर्चे को केन्द्रीय सरकार ही उठायेगी अथवा वह केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच बांट लिया जायगा ; और यदि हां, तो किस प्रकार ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसाकि मैंने बताया है, केन्द्रीय सरकार केवल ५० प्रतिशत की वित्तीय सहायता तथा प्रविधिक मार्गदर्शन ही देगी। यह केन्द्र से सम्बन्धित है। विशेषज्ञों ने यह सलाह दी है कि जहां कहीं भी इस योजना को लागू करने का विचार हो वहीं इसे अनिवार्य किया जाये और क्योंकि यह सूची संख्या १ की प्रविष्टि ४७ के अधीन आती है अतः एक केन्द्रीय विधान आवश्यक है और उसकी जांच की जा रही है।

हिम्मत सिंहजी : सरकार इस बात की किस प्रकार व्यवस्था करेगी कि कतिपय चुने हुए स्थानों पर इस योजना को लागू करने में राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : किसी राज्य अथवा किसी विशेष क्षेत्र का पक्ष लेने की भावना से रहित हो कर हम ने इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को लिखा है । हम इस योजना को दो अथवा तीन राज्यों में लागू करने के लिये उत्सुक हैं क्योंकि वे ध्यानपूर्वक इस की जांच कर रही हैं । मैं नहीं समझता कि इस में कोई राजनीतिक जोखिम निहित है अथवा किसी के प्रति पक्षपात किया जा सकता है ।

श्री परमशिवन : इस योजना के अधीन कौन-कौन सी फसलें आयेंगी ?

डा० राम सुभग सिंह : पंजाब में पहले पहल यह गेहूं और चने के लिये और व्यापारिक फसलों में से कपास और गन्ने के लिये लागू की जायेगी ।

श्री जसवन्त मेहता : माननीय मंत्री ने अभी यह बताया है कि वह शीघ्र ही इस योजना को लागू करने जा रहे हैं, क्या वह इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि योजना इस समय किस प्रक्रम पर है और उसकी रूपरेखा क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : पंजाब सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है । यह प्रथम अवस्था है । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यह छः जिलों और छः खण्डों में लागू की जाये, अर्थात् पहले वर्ष में प्रत्येक जिले में एक खण्ड में, फिर अगले वर्ष इसे तीन दूसरे खण्डों में लागू किया जाये और तीसरे वर्ष में अन्य तीन खण्डों में । इसके पश्चात् वे इस बात की जांच करेंगे कि योजना किस प्रकार चल रही है और उस आधार हर अन्य क्षेत्रों में उसका विस्तार करने की सोच सकते हैं ।

श्री रंगा : क्या यह योजना सरकार की दैवी आपत्तियों के विरुद्ध बीमा योजना से अलग एक योजना है ? इसका क्या कारण है कि यद्यपि अभी तक मन्त्रिमण्डल ने इस योजना की जांच नहीं की है फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया था कि इस मामले से सम्बन्धित विधान लागू किया जाने वाला है ? क्या हम यह समझ लें कि वह विधेयक भी मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन हैं और यदि हां तो उसे कब पुरःस्थापित किया जायेगा ? हमें यह आश्वासन दिया गया था कि उसके इस सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने कहा है, इसकी जांच की जा रही है । हम शीघ्र ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने जा रहे हैं । मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के लिये एक पत्र तैयार किया जायेगा और मन्त्रिमण्डल द्वारा उसे मंजूर किये जाने के बाद विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा ।

श्री रंगा : प्रश्न के द्वितीय भाग का क्या उत्तर है जो कि दैवी आपत्तियों के सम्बन्ध में है ?

डा० राम सुभग सिंह : जहां कहीं भी फसल बीमा योजना लागू की जायेगी, वह दैवी आपत्तियों के विरुद्ध एक संरक्षण होगा । परन्तु क्योंकि यह एक बिल्कुल ही नई योजना होगी, आप उस सीमा तक यह कह सकते हैं कि यह योजना अन्य योजनाओं से भिन्न होगी ।

श्रीमती अक्कम्मा देवी : क्या यह योजना उन फसलों पर भी लागू होगी जिनको कई वर्षों से पौधों को सुखाने वाली बीमारियों के कारण क्षति पहुंच रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी तक हमें मद्रास सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु नीलगिरी क्षेत्र में वह रोग संक्रामक रूप में फैला हुआ है और जब भी कभी इस योजना को नीलगिरी क्षेत्रों में लागू किया जायेगा तो निश्चय ही उन फसलों पर इसे लागू किया जायेगा।

Shri Vibhuti Mishra : May I know as to which crops this scheme is going to be made applicable in Bihar and Bengal ?

Dr. Ram Subhag Singh : Bihar Government have not submitted any proposal in this connection so far. They will themselves indicate in their proposal the crops to which application of this scheme might be felt necessary keeping in view the condition prevailing there. If the hon. Member so desires he may persuade the Bihar Government to forward the Scheme.

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार विभिन्न राज्यों को किस प्रकार की प्रविधिक सहायता देगी और क्या इस प्रकार के बीमे के लिये किसी ग़ैर-सरकारी समवाय से कोई प्रस्ताव आया है, और यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ने उनको क्या सहायता देने का वचन दिया है ?

डा० राम सुभग सिंह : किसी भी ग़ैर-सरकारी बीमा समवाय से हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह तो सरकारी बीमा कम्पनी का कार्य होना चाहिये। जीवन बीमा निगम को इसकी जांच करनी चाहिये। इसके लिये व्यापक अध्ययन और क्रियान्विति की आवश्यकता है क्योंकि यह तो एक बहुत ही कठिन कार्य होगा। यह सामान्य बीमा और अन्य ऐसे बीमाओं के समान इतना सरल नहीं है।

Shri Y. S. Chaudhary: As stated by the hon. Minister, the crop insurance scheme is under consideration in Punjab. Punjab Government have also issued a statement in this connection to the effect that there are some hinderances in its implementation. May I know whether those hinderances are from thec entre or from any other source ?

Dr. Ram Subhag Singh : There are no hinderances as such. As stated by me, if insurance is to be persued as laid down in the various articles of Constitution, a legislation in this connection must be passed by the Central Government. Experts are examining and considering the outlines of the Bill to be introduced in this matter. A paper will be prepared for the approval of the Cabinet, according to their decision.

Shri Sheo Narain : Are Government going to implement this scheme through L.I.C. or through some private agency or through their own separate agency to be established ?

Dr. Ram Subhag Singh : It will have to be examined as to how best the working of the private insurance companies prove during the coming days.....

Shri Sheo Narain : Will you appoint private agents for this purpose ?

Dr. Ram Subhag Singh : A detailed information in this connection will be given after the bill is introduced.

श्री कृष्णपाल सिंह: क्या सरकार का फलों के बगीचों और फलों की फसल, जो कि एक मूल्यवान फसल है, का बीमा करने की योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ? मेरे विचार में उन्हें फलों के बगीचों और फलों की फसल का बीमा करने की योजना को प्रारम्भ करना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक ऐसा सुझाव है जिसकी जांच की जा सकती है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुल खाद्य उत्पादन का लगभग २० प्रतिशत भाग कीड़ों और मानसून के दुष्प्रभावों द्वारा नष्ट हो जाता है, क्या सरकार इस बात को वांछनीय नहीं समझती कि वह राज्य सरकारों की हिचकिचाहट के होते हुए भी इस योजना को लागू करने का साहसपूर्ण कदम उठाये ? यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है।

डा० राम सुभग सिंह : किसी राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिरोध किये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : हिचकिचाहट ।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने इस मामले पर राज्य सरकारों के अनेक प्रतिनिधियों और मुख्य मन्त्रियों, जिनमें आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी सम्मिलित हैं, से चर्चा की थी । वह इसे लागू करने के इच्छुक थे। क्योंकि इसमें कुछ जोखिम उठाने की बात है अतः इस सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है और इसीलिये कुछ विलम्ब हो रहा है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि हम इस मामले में अधिक विलम्ब नहीं करेंगे ।

श्री बालकृष्णन : यदि यह मान लिया जाये कि यह योजना सम्पूर्ण भारत में लागू हो जाती है तो इसकी वित्तीय उपलक्षणायें क्या होंगी, प्रत्येक राज्य को इस पर कितना रुपया व्यय करना होगा; क्या यह योजना रैयत के लिये लाभदायक होगी अथवा यह बीमा निगम या अन्य ऐसी संस्थाओं को लाभदायक होगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पहले ही से अनुमान नहीं लगाने चाहियें और फिर प्रश्न काल के दौरान काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछने चाहियें ।

Shri M. L Dwivedi: Will thes scheme be introduced in six block of Punjab only or will also be introduced in other parts of the country as an experimental measure and if so, in which other parts ?

Dr. Ram Subhag Singh: We have written to all the State Governments in this connection. The scheme will first be introduced in that State which has since submitted their proposal in this respect and efforts will be made to bring round other States also in this matter.

सर्वोत्तम ग्राम

+

*१२१८. { **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ में भारत का सर्वोत्तम ग्राम चुनने के लिये कोई राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस ग्राम को सर्वोत्तम माना गया है ; और

(ग) उक्त ग्राम की ऐसी विशेष बातें क्या हैं जिनके कारण यह निष्कर्ष निकाला गया तथा क्या पुरस्कार दिया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : : (क) जी, हां ।

(ख) सारी राज्य सरकारों के परिणामों के प्राप्त होने के पश्चात सर्वोत्तम ग्राम का चयन किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या राष्ट्रीय स्तर पर किसी ग्राम को सर्वोत्तम ग्राम मानने के लिये कोई निर्धारित कसौटी है और १९६३-६४ के सर्वोत्तम ग्राम को क्या पुरस्कार देने का विचार है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कृषि के सभी पहलुओं पशु-पालन, सिंचाई, सहयोग, पंचायती राज की उन्नति और अन्य सम्बद्ध बातों के बारे मे किसी ग्राम के कार्य को देख कर इसकी जांच की जायेगी ।

श्री तिरुमल राव : परिवार नियोजन भी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यदि लोगों की इसमे रुची होगी तो इसे भी सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति ।

श्री ब० सू० मूर्ति : पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम ग्राम को ५,००० रुपय, राज्ये स्तर पर सर्वोत्तम ग्राम को १,००० रुपये और जिला स्तर पर सर्वोत्तम ग्राम को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते थे । आपातकाल के कारण, नकद पुरस्कार देना बद कर दिया गया है और इस समय विशिष्ठता प्रमाणपत्र दिया जाता है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या वही गांव जो एक बार सर्वोत्तम निर्णीत किया जा चुका है पुनः दूसरी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : दरअसल, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि एक गांव जो कि एक बार पुरस्कार विजेता घोषित हो चुका हो वह ग्राम आगे कभी प्रतियोगिता मे भाग न ले ।

श्री धुलेश्वर मीना : जो समिति सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय करती है उस के सदस्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : पहले तो खण्ड स्तर पर हमारी एक समिति है, फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एक समिति है और फिर उसके बाद राष्ट्र स्तर की एक समिति है । राष्ट्र स्तरीय समिति में कृषि मन्त्रालय के तथा हमारे मन्त्रालय के भी प्रतिनिधि हैं और दो संसद सदस्य भी इससे सम्बद्धहैं जो सब सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय करेंगे । और निर्णय करते समय, कभी-कभी प्रश्नाधीन ग्राम विशेष के प्रधानों को भी आमन्त्रित किया जा सकता है और उनसे विभिन्न प्रश्न किये जा सकते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या राष्ट्र स्तर पर निर्णय करने वाले प्राधिकारी उन सब सर्वोत्तम ग्रामों में जायेंगे जिन्हें कि राज्य-स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं और तब अपना निर्णय लेंगे अथवा दिल्ली में बैठे-बैठे ही उपलब्ध कागजात के आधार पर वे अपना निर्णय देंगे ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस मामले में, राष्ट्रस्तरीय समिति निरन्तर ग्रामों का दौरा करती रहेगी जैसा कि मैं बता चुका हूं, खण्ड स्तर की समिति खण्ड स्तर पर ही सर्वोत्तम ग्रामों का निर्णय करेगी, और फिर जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ग्रामों में से सर्वोत्तम ग्रामों का निर्णय करेगी और फिर इसके बाद राज्य स्तर पर सभी जिले प्रतियोगिता में भाग लेंगे । और राज्य स्तरीय समिति राज्य के सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय करेगी । इसके पश्चात राष्ट्र स्तरीय

समिति समस्त राष्ट्र के सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय करेगी । मेरा विचार है कि माननीय ने भी एक बार इसी प्रकार की एक समिति में भाग लिया था ।

श्री पु० र० पटेल : क्या सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय करते समय साक्षरता तथा जनसंख्या में हुई वृद्धि को भी ध्यान मे रखा जाता है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, गत वर्ष हमने एक ऐसे ग्राम को सर्वोत्तम ग्राम के रूप में पुरस्कार दिया था. . .

अध्यक्ष महोदय : क्या जनसंख्या और साक्षरता मे हुई वृद्धि को निर्णय करते समय ध्यान मे रखा जाता है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : साक्षरता को तो ध्यान में रखा जाता है परन्तु जनसंख्या में हुई वृद्धि को नहीं ।

श्री पालीवाल : माननीय मन्त्री ने उन विशेष बातों के बारे में जिनके आधार पर सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय किया जाता है बहुत ही कम जानकारी दी है । यह तो हर एक व्यक्ति जानता है कि इसका सहकारी क्षेत्र में कार्य, खण्ड विकास कार्य आदि से कुछ सम्बन्ध होगा, परन्तु सर्वोत्तम निर्णीत ग्राममे सहकारी कार्य मे,खण्ड विकास कार्य आदि मे कितनी प्रगति देखी जाती है हम तो इसके सम्बन्ध मे कुछ अधिक विशिष्ट बातें तथा कुछ और भी बातें जानना चाहते हैं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : यही तो मैं बताना चाहता था । फटेपुर ग्राम में कुल २०३२ एकड़ भूमि में खेती की जाती है । प्रतियोगिता के समय इस समस्त क्षेत्र मे सिंचाई की गई थी । लगभग १५०० एकड़ भूमि में पहले ही से सिंचाई की जाती थी । वहां पर सारे ही किसान सुधरी हुई किस्म के बीजों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं । समस्त क्षेत्र में ही सुधरी किस्मों के बीज डाले जाते हैं । हरी खाद के उपयोग के क्षेत्र को २०० एकड़ से बढ़ा कर ५१० एकड़ कर दिया गया था; १३२८ एकड़ क्षेत्र में पौधा संरक्षण उपाय अपनाये गये थे. . .

अध्यक्ष महोदय : इतना लम्बा उत्तर नहीं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : इस प्रकार की बातें थीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि राष्ट्र पर चुने गये सर्वोत्तम ग्राम का नाम बदल कर 'जवाहर नगर' अथवा 'सुशील कुमार' ग्राम' रखा जायेगा--मैं ऐसा समझता हूं कि एस० के० का मतलब 'सुशील कुमार से है' हालांकि मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं--अथवा सर्वोत्तम ग्राम को ग्राम रत्न का राज्य पुरस्कार दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

श्री दी० चं० शर्मा : 'कामत ग्राम' ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, नहीं । इस ग्राम का नाम पहले ही से ज्ञात होता है ।

एक माननीय सदस्य : एक हरीपुर नाम का ऐसा गांव है ।

Shri Gulshan : May I know whether the backward class inhabited area of the village is also taken into consideration by the authorities while adjudging the best village ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां, इसका भी ध्यान रखा जाता है ।

Shri Yash Pal Singh: Are Government in a position to indicate the standard fixed for adjudging the best village so that the House could be assured that no re nepotism and favouritism are adopted in this matter ?

Mr. Speaker: This question has already been replied.

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मन्त्री ने बताया था कि सर्वोत्तम ग्राम का निर्णय करते समय ऐसे अनेक सम्बद्ध विषयों को ध्यान में रखा जाता है । क्या वह इन विषयों को बता सकते हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूं ।

गेहूं के मूल्य

\+

*१२१९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं क्षेत्रों के बनाये जाने से गेहूं के मूल्य कम हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फसल कटने के समय गेहूं के मूल्यों में कमी होने से कृषकों को हानि उठानी पड़ी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) गेहूं क्षेत्र बनाये जाने के फलस्वरूप, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्पादन वाले राज्यों में गेहूं के थोक मूल्य कम हुए हैं; उत्तर प्रदेशमे ये मूल्य या तो कम हुए हैं या स्थिर रहे हैं ।

(ख) सभी क्षेत्रोंमें गेहूं के वर्तमान थोक मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के मूल्य से अधिक हैं । इस समय यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि कृषकों को हानि हुई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस महीने में अथवा पिछले पखवाड़े में पंजाब में और विशेषत: दिल्ली में कितनी कमी हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, अबोहर में, जो कि एक प्रमुख मण्डी है, २५ अप्रैल को प्रति क्विन्टल मूल्य गिर कर ५३/३० रुपये हो गये हैं; मोगा में कम होकर ५७ रुपये प्रति क्विन्टल और अमृतसर में ५७ रुपये प्रति क्विटल हो गये हैं । दिल्ली में काफी गिरावट आयी है । यह घट कर ४२/८७ रुपये प्रति क्विटल रह गया है, दड़ा किस्म का मूल्य १५/८० रुपये प्रति मन है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस तेजी से गिरावट के कारण किसान अपना गेहूं मण्डी में नहीं ला रहे हैं; यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि किसानों को अपना माल मंडी में लाने को प्रोत्साहित किया जा सके ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मूल्यों में इस कारण कमी हुई है कि गेहूं मण्डी में अधिक आ गया है। जब तक किसान या उत्पादक मण्डी मे गेहूं न लायें, तब तक मूल्य नहीं गिरते।

श्री लहरी सिंह : क्या सरकार गेहूं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रही है ताकि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके ?

श्री अ० म० थामस: न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं। लाल गेहूं के लिये यह १३ रुपये प्रति मन है, सामान्य सफेद किस्म के लिये यह १४ रुपये मन है और बढ़िया फार्म किस्म के लिये यह १५ रुपये मन है। अब भी इस समय पिछले वर्ष जो मूल्य थे अब उससे बहुत अधिक मूल्य हैं। पिछले अप्रैल में देशनांक ८७·६ था; यह बढ़ कर १२०·९ हो गया, अब देश भर में यह ११३ हो गया है . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री कपूर सिंह : लेकिन क्या वह १३ रुपये मन के मूल्य को गेहूं उत्पादकों के लिये उचित मूल्य समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न प्रश्न है और इसे पूछने की मैं किसी अन्य को अनुमति दे दूंगा . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

एक माननीय सदस्य : पिछले वर्ष होगा, इस वर्ष नहीं . . . **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह क्या तरीका है कि सभी सदस्य खड़े होकर प्रश्न पूछने लगते हैं . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री कपूर सिंह : वह न्यूनतम मूल्य बतला रहे हैं, हम उचित मूल्य की बात करते हैं . . . . . **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभी सदस्य बैठ जायें। श्री पटेल।

श्री पु० र० पटेल : वर्तमान मूल्य और समर्थन मूल्य बताये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान मूल्य लाभप्रद हैं और क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई अभिकरण है कि क्या मूल्य लाभप्रद हैं और क्या यह सिद्ध करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि वर्तमान मूल्य किसानों के लिये लाभप्रद है ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक वर्तमान मूल्यों की लाभप्रदता का सम्बन्ध है, यह लाभप्रद है क्योंकि ये मूल्य पिछले वर्ष इस समय के मूल्यों से बहुत अधिक हैं।

श्री पु० र० पटेल : मैंने अभिकरण के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जाये। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। वे न्यूनतम मूल्य नहीं जानना चाहते; वे तुलना करना नहीं चाहते।

श्री अ० म० थामस : मैं ने बताया है कि वर्तमान चालू मूल्यों को ध्यान में रख कर। वास्तव में मध्य प्रदेश में यह अब भी १७·३५ रुपये प्रति मन है; पंजाब में यह २०·५० रुपये प्रति मन है और केवल दिल्ली में यह गिर कर १५/८० रुपये प्रति मन रह गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान मूल्य लाभप्रद नहीं हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इस बारे में हम कोई जांच, कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं कि गेहूं, चावल और अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर कितनी अतिरिक्त लागत आती है। और हम इस बारे में उपयुक्त उपाय करेंगे कि किसानों को उचित मूल्य मिले।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदय को पता है कि गेहूं उगाने में क्या लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम नहीं पुकारा है ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब सरकार ने, जो इस बात के लिये उत्तरदायी है, अपने सार्वजनिक वक्तव्यों और स्वयं भारत सरकार को यह सुझाव दिया था कि वे तथा-कथित उचित मूल्य को किसानों के लिये उचित नहीं मानते और इसलिये वे इन मूल्यों को बढ़ाना चाहते हैं; क्या सरकार अब उनकी स्थिति पर विचार करेगी और जो उचित मूल्य निर्धारित और लागू कर रहे हैं, उनमें वृद्धि करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले पर दो तरह से विचार करना है । एक तो वह समर्थन मूल्य है जिसकी घोषणा की गयी है और जो कुछ समय से लागू है । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया और वास्तव में हर रोज यही आलोचना होती रही कि मूल्य काफी अधिक हैं ।

श्री रंगा : यह बात दूसरी ओर से हुई ।

श्री स्वर्ण सिंह : समूचे देश भर में ।

श्री रंगा : हर बार हम इसे बढ़ा रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : उस समय आप ने मुझे नहीं बख्शा । अतः एक तो समर्थन मूल्य है जिसे एक-दो वर्ष पूर्व, शायद पिछले वर्ष, लागू किया गया हो । मैं यह समझता हूं कि समर्थन मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिये । इस पर विचार किया जाना चाहिये लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी इस समर्थन मूल्य पर भी नहीं पहुंचा गया है ।

दूसरे यह कि पंजाब और राजस्थान के खाद्य तथा कृषि मंत्रियों का मेरे से बराबर सम्पर्क बना हुआ है और वे अपना स्टाक बनाने के लिये खरीदारी के लिये मंडियों का दौरा करेंगे और जिस मूल्य पर वे खरीद करेंगे, यह जरूरी नहीं कि वह न्यूनतम मूल्य हो क्योंकि न्यूनतम मूल्य तो एक प्रकार का आश्वासन है कि इस मूल्य पर सरकार और केन्द्रीय सरकार खरीदेगी । मुझे पूरी आशा है कि पंजाब और राजस्थान की सरकारें मंडी से स्टाक बनाने के लिये गेहूं खरीदेंगी । खरीद करते समय उन्हें घोषित न्यूनतम मूल्य पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जसवन्त मेहता : सामान्यतः हमारा अनुभव यह है कि फसल के समय मूल्य गिर जाते हैं और बुवाई के समय मूल्य बढ़ जाते हैं । अतः जब कि गेहूं क्षेत्र बनाये जाने के बाद गेहूं के मूल्य गिर गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात के लिये कोई व्यवस्था की है कि बुवाई के समय और फसल कटने के समय के मूल्यों में अधिक अन्तर न रहे ।

श्री स्वर्ण सिंह : स्पष्ट व्यवस्था फसल आने के बाद, यदि मूल्य गिरते रहें, तो, खरीद करने की और स्टाक बनाने की है जिससे मूल्य स्थिर होने पर उन्हें बेचा जा सके ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि मूल्यों में इतना अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होगा ?

Shri Onkar Lal Berwa: The Rajasthan Government has fixed the wheat price at Rs. 14, 16 or 18 but they sell it at a profit of Rs. 9/- per quintal ; I want to know whether this margin of Rs. 9/- was fixed by the Central Government or the State Government ?

Shri Swaran Singh: I suppose that this is not correct that they sell it at a profit of Rs. 9/-

Shri Onkar Lal Berwa: The hon. Minister may verify it from the report there.

Shri K.N Tiwary : Is it not a fact that Punjab wheat which used to go to Uttar Pradesh and Bihar, is not being sent there after the formation of wheat zone and therefore wheat prices have increased there while agriculturists in Punjab are getting less money for their produce ?

Shri Swaran Singh: This is true, but I think any amount of imported wheat, according to their needs, will be given to them and thus it will facilitate people there.

Shri K.N. Tiwary : My point was different.

Mr. Speaker: Next time.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने कभी किसी राज्य सरकार को यह सलाह दी है कि अनाज के अन्तर्जिले लाये ले जाने पर रोक लगायी जाये और यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है; और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस प्रतिबन्ध से किसान लोग कम मूल्य पर बेचने को मजबूर हो गये हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि यह बात ठीक है । हमें सन्तुलन रखना पड़ता है । जब कि हमें किसानों को उचित मूल्य देना होता है, हमें यह भी देखना है कि उपभोक्ताओं पर अधिक भार न पड़े । समय समय पर कदम उठाये जाते हैं । यदि किसी ओर कोई प्रवृत्ति नजर आती है, तो स्थिति सुधारने के लिये कदम उठाये जाते हैं और उठाये जायेंगे ।

श्री रंगा : अधिकांशतः आप धनी उपभोक्ताओं का पक्ष लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ । श्री प्र० के० देव ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्नों के वितरण पर नियंत्रण के लिये राज्यों को सहायता

*१२२०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के वितरण पर महत्वपूर्ण नियंत्रण की योजना के सफल प्रवर्तन के लिये राज्यों को उनकी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता दी जायेगी तथा उसे विभिन्न राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जायेगा; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित योजना के अन्तिम रूप की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, हां; खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश और खाद्यान्न, चीनी और गुड़ के बारे में अन्य नियंत्रण आदेशों को ठीक से लागू करने के लिए।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ऐसी कोई पृथक योजना नहीं है।

सामान्य बीमा सहकारी समितियां

*१२२१. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा सहकारी समितियों के कार्यकरण की जांच करने वाले अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सामान्य बीमा सहकारी समिति सम्बन्धी अध्ययन दल ने अभी कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

*१२२२. **श्री राम हरख यादव :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद–नजीबाबाद सैक्शन पर मुरादाबाद से ५४ मील दूर बुन्दकी के समीप देहरादून ऐक्सप्रैस के सात डिब्बे १० अप्रैल, १९६४ को पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना और उसके कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्घटना में जान तथा माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) १०-४-६४ को लगभग २३.२० बजे जब १० डाउन दून एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-सहारनपुर दुहरी लाइन सेक्शन पर बुंदका और नगीना स्टेशनों के बीच जा रही थी, १४७८/१० किलोमीटर पर इसका इंजन और ७ डिब्बे पटरी से उतर गये। गाड़ी के पिछले ५ डिब्बे पटरी पर ही रहे।

दुर्घटना के कारणों की अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) कोई जन-हानि नहीं हुई। रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान ७४,२०० रुपये लगाया जाता है।

ऊंचाई पर स्थित कृषि फार्म

*१२२३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर कृषि फार्म खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक खोले गये फार्मों का क्षेत्र और स्वरूप क्या है;

(ग) क्या अब तक निकले परिणाम उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे परिणाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). इस समय सरकार को लेह में ऊंचाई पर पर एक फार्म के बारे में जानकारी है। राज्यों में ऐसे फार्मों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्थानीय शासन के चुनाव लड़ने के लिये रेलवे कर्मचारियों को अनुमति

*१२२४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सोलंकी :
श्री अल्वारेस :
श्री नम्बियार :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री य० ना० सिंह :
श्री इन्दुलाल याज्ञिक :
श्री किशन पटनायक :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्रीमती बसन्त कुमारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

डा० राम मनोहर लोहिया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री बूटा सिंह :
श्री पु० र० पटेल :
श्री योगेन्द्र झा :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री कोया :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती शशांक मंजरी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मानसिंह प्र० पटेल :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्रीमती गंगा देवी :
श्री प्रभात कार :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रा० बरुआ :
श्री पृथ्वीराज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को स्थानीय शासन के चुनाव लड़ने अथवा उसका सदस्य बने रहने की कभी अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों अथवा निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते थे तथा क्या ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक थी ;

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए किन नियमों तथा अनुदेशों के अधीन उनको ऐसा करने की मनाही थी ; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए प्रतिषेध नियम या अनुदेश १९५७ में लागू थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). रेलवे सेवा (आचार) नियम, १९५६ के नियम ४(४) और उनके अन्तर्गत परन्तुक (३) और पुराने आचार नियमों के तदनुवर्ती नियम २३(४) के अधीन, जिसकी रेलवे बोर्ड के ९-४-५३ के पत्र संख्या ई० ५३ जी० एस० १–१ में जारी

प्रशासनिक आदेशों के अन्तर्गत व्याख्या की गयी है, कोई भी रेलवे कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लेकर ही स्थानीय शासन के चुनाव में भाग ले सकता है ।

(घ) जी, नहीं। आचार नियमों के नियम ४(४) के परन्तुक (३) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के किसी रेलवे कर्मचारी को स्थानीय शासन के चुनाव के लिये अपने को उम्मीद-वार के रूप में खड़ा करने की अनुमति देने के विवेकीय अधिकार १६-६-१९६० से वापस ले लिये गये।

कार्मिक संघ

*१२२५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक रेलवे जोन में उनके मंत्रालय ने कितने कार्मिक संघों को मान्यता दी है ;

(ख) १-४-६३ को ऐसे कौन कौन से संघ थे तथा उनकी सदस्य संख्या क्या थी ;

(ग) रेलवे पर और कौन से कार्मिक संघ बने हैं जिनको उनके मंत्रालय ने अभी मान्यता नहीं दी है ; और

(घ) मंत्रालय किन सिद्धांतों के आधार पर मान्यता देता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ज़ोनल रेलवे में संघों को मान्यता सम्बन्धित जनरल मैनेजरों द्वारा दी जाती है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें १-४-१९६३ को मान्यता-प्राप्त कार्मिक संघों की संख्या, उनके नाम और उनकी सदस्य-संख्या के बारे में बताया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२८९१/६४]**

(ग) सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें कुछ उन संघों के नाम हैं जिनके बारे में पता लगा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२७९१/६४]**

(घ) मोटे तौर पर कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिन पर ज़ोनल रेलवे के जनरल मैनेजर किसी संघ को मान्यता प्राप्त कर सकते हैं :

(१) यह रेलवे कर्मचारियों की विशिष्ट श्रेणी की होनी चाहिये और किसी जाति या धर्म के नाम पर न बनाया गया हो ।

(२) उस श्रेणी के सभी रेलवे कर्मचारियों को सदस्य बनाया जा सके ।

(३) यह भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये ।

(४) इसकी सदस्यता सम्बन्धित रेल के कुछ नान-गजेटेड कर्मचारियों की संख्या के १५ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये ;

(५) यह किसी वर्ग के लिये नहीं होना चाहिये किसी एक श्रेणी के कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों की संमिश्रित श्रेणी वाले संघों को मान्यता नहीं दी जाती ।

(६) रेलवे प्रशासन के मत में इसको तोड़ फोड़ की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहिये ।

कृषि वस्तुओं का क्रय

*१२२६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपणन समितियों द्वारा किसानों से कृषि-वस्तुओं के सीधे क्रय के बारे में राष्ट्रीय सहकार विकास निगम की सिफारिशों की सरकार ने इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) जी, हां :

(ख) सहकारी विपणन समितियों द्वारा कृषि वस्तुओं की सीधी खरीद के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सिफारिश किये गये आधार पर एक विशिष्ट योजना बनायी गयी । यह योजना सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही एक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है। इसके बाद योजना क्रियान्वित की जायेगी ।

चावल के समाहार मूल्य

*१२२७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मद्रास सरकारों ने चावल के समाहार मूल्य बढ़ा दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या इसका कमी वाले क्षेत्रों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को स्थिर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित चावल के समाहार मूल्य में ५.३६ रुपये प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी गयी है । उड़ीसा सरकार ने अपने द्वारा चावल के निर्धारित समाहार मूल्य में ८१ नये पैसे प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विमानों का भाड़ा

*१२२८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्तर्देशीय विमान सेवाओं के लिये भाड़े निर्धारित करने की कोई कसौटी है तथा यदि हां, तो वह क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि विगमन तथा चक्कर वाले मार्गों के कारण कुछ मार्गों पर विमान भाड़े काफी बढ़ा दिए गए हैं ; और

(ग) क्या विमानों के भाड़े निर्धारित करने की कसौटी का पुनर्विलोकन तथा युक्तिकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) सरकार ने विमान परिवहन परिषद् से, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा चलायी जा रही विमान सेवाओं पर लिये जाने वाले किराये और भाड़े की दरों की सामान्य समस्या की अध्ययन करने और सरकार के विचारार्थ सिद्धांतों को बनाने के लिये, जिनके आधार पर इन किरायों और भाड़ों का निर्धारण किया जा सके, कहा । समिति ने वर्ष १९५७ में अपना प्रतिवेदन दे दिया और इस परिषद की सिफारिश पर घरेलू सेवाओं के विमानों के किराये निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) विमानों के किराये विमान परिवहन परिषद की सिफारिशों पर १५-६-१९५८ से निर्धारित किये गये । उनको वर्ष १९६१ में और फिर वर्ष १९६३ में अन्य बातों के साथ साथ ईंधन की लागत, मंजूरी बिलों आदि में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित करना पड़ा । किराये इस्तेमाल किये जाने वाले विमान की किस्म और उस सेक्टर के मीलयोग को देखते हुए निर्धारित किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

कृषि-औद्योगिक सहकारी समितियां

*१२२९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में कृषि-औद्योगिक श्रम सहकारी समितियों का जाल बिछाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी योजना पर विचार ही हो रहा है। अन्तिम रूप दिये जाने के बाद इसकी रूपरेखा को सभा पटल पर रखा जायेगा।

चीनी विपणन बोर्ड

*१२३०. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री फिरोडिया :
श्री थेनगोंडर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मौसम से पहले देश में खपत के लिये तथा निर्यात के लिए चीनी के वितरण के वास्ते चीनी वितरण बोर्ड स्थापित करने के बारे में सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने एक चीनी निगम स्थापित करने का फैसला किया है।

चन्दन की लकड़ी में "स्पाइक रोग"

*१२३१. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रुपये के मूल्य की चन्दन की लकड़ी "स्पाइक" रोग से नष्ट हो जाती है क्योंकि यह रोग मैसूर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश के जंगलों में बिना किसी नियंत्रण के फैल रहा है ;

(ख) क्या १९५८-५९ में खाद्य तथा कृषि संगठन के एक विशेषज्ञ ने रोग के कारणों की जांच की थी ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं ; और

(घ) इनमें से कितनी लागू कर दी गई थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) चन्दन की लकड़ी में 'स्पाइक' रोग मैसूर और मद्रास के कई वन जिलों में फैला हुआ है लेकिन आन्ध्र प्रदेश में नहीं है। तथापि, चन्दन की लकड़ी को हुई क्षति का पता नहीं है।

(ख) जी, हां । वर्ष १९५९–६० में (१९५८–५९ में नहीं)

(ग) रोग पर नियंत्रण करने के लिये विशेषज्ञ ने तीन श्रेणियों में अर्थात् (१) वैज्ञानिक कार्य (डायगनोस्टिक वर्क), (२) संक्रामण (ट्रांसमिशन) अध्ययन और (३) नियंत्रण उपाय के अन्तर्गत प्रयोगात्मक कार्य की सिफारिश की है ।

(घ) वन अनुसंधान प्रयोगशाला, बैंगलौर में उपरोक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत प्रयोग आरम्भ कर दिये गये हैं और काम चल रहा है ।

कृषि और पशु-चिकित्सा विज्ञान विषयों को लेने वाले विद्यार्थी

२५३१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ से लेकर १९६२–६३ तक प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने कितने विद्यार्थियों ने कृषि और पशु-चिकित्सा विज्ञान विषय लिये ;

(ख) क्या हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की तुलना में इनकी प्रतिशत संख्या बहुत कम रही है ;

(ग) यदि हां, तो इन विभागों को लोकप्रिय तथा अधिक आकर्षक बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन विभागों के उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान के कितने केन्द्र इस समय विद्यमान हैं और वे किन किन स्थानों पर हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) अनुबन्धक १ और २ साथ संलग्न हैं जिनमें १९५३–५४ से लेकर १९६२–६३ तक कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजों में किये गये दाखिलों का ब्यौरा देने वाले दो विवरण दिये हुए हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी-२७९२/६४]**

(ख) और (ग). १९५५ में भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में प्रशीक्षित शिक्षकों की आवश्यकाओं का पुनर्विलोकन किया था । नये कालेज खोलकर और विद्यमान कालेजों का विस्तार करके तब से जो कार्यवाही की कई उसके परिणामस्वरूप १९५३–५४ में दाखिले की जो संख्या १२५४ थी वह बढ़कर १९६२–६३ में ७४८३ हो गई। जहां तक पशु-चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का सम्बन्ध है इसमें १९५३–५४ में दाखिले की संख्या ६१५ थी जो कि बढ़कर १९६२–६३ में १२१९ हो गई । आशा है कि इससे तीसरी और चौथी योजना की स्नातकों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी । इन विभागों को लोकप्रिय और आकर्षक बनाने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इन विषयों में डिग्री पाठ्यक्रमों की शिक्षा लेने वाले कुशाग्रबुद्धि विद्यार्थियों को ७५ रुपये प्रति माह की दर से २५० छात्रवृत्तियां देती है । १५० रुपये प्रति माह और २५० रुपये प्रति माह के बीच की ११० अधिछात्रवृत्तियां भी स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये दिये जा रहे हैं ।

(घ) इस समय २८ कृषि शिक्षण संस्थायें तथा ८ स्नातकोत्तर पशु-चिकित्सा विज्ञान शिक्षण संस्थायें हैं । अनुबन्धन ३ और ४ साथ संलग्न हैं जिनमें उन स्थानों की सूचियां दी हुई हैं जहां पर ये शिक्षण संस्थायें स्थित हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० २७९२/६४]**

Postal Superintendents and Postmasters

2532. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 293 on the 18th February, 1964 and state :

(a) whether the question of integration of the posts of Postal Superintendents and Post Masters has since been finalised after taking a final decision in consultatin with the Public Service Commission ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Deparrment of Posts and Telegraphs (Shri B. Bhagavati) : (a) to (c). The matter is still under consideration of Government and a decision is expected shortly.

करेली रेलवे स्टेशन

२५३३. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेली, मध्य प्रदेश, के अनाज व्यापारी संघ तथा उस स्थान के लोगों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गई है कि करेली रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रैस गाड़ियों, यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों के रुकने के समय को बढ़ा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन आया मालूम नहीं होता जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि करेली रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रैस गाड़ियों, यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों के कने के समय को बढ़ा दिया जाये ।

२. तथापि, करेली स्टेशन पर रुकने वाली प्रत्येक एक्सप्रेस गाड़ी और यात्री गाड़ी के तीन मिनिट तक रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। उस स्टेशन पर होने वाले यातायात की मात्रा के लिये इतना समय पर्याप्त समझा गया है।

३. सामान्यतया मालगाड़ियां नियमित रूप से किसी स्टेशन पर रुकने के लिए बुक नहीं की जातीं। तथापि, सैक्शन और ट्रांशिप गाड़ियां किसी स्टेशन पर उतने समय के लिये रोकी जाती हैं जोकि वहां पर लादे जाने वाले/उतारे जाने वाले माल की मात्रा तथा शंटिंग में लगने वाले समय के अनुसार अलग अलग दिनों में भिन्न भिन्न होता है।

उद्यान कला का विकास

२५३४. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में उद्यानकला के लिये महाराष्ट्र सरकार की ऋणों और अनुदानों के रूप में कितना रुपया दिया गया है ;

(ख) इस अवधि में उस राज्य ने कितनी धनराशि का उपयोग किया ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये १९६४–६५ में उस राज्य को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) १९६३-६४ में महाराष्ट्र राज्य में उद्यानकला का विकास करने के लिये उस राज्य को २९ लाख ८१ हजार रुपये का ऋण दिया गया था।

(ख) अनुमान है कि १९६३–६४ में २० लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

(ग) १९६४–६५ में २५ लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है।

जरसी सांड

२५३५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय को बंगलौर स्थित जरसी सांडों का वीर्य सम्भरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) समस्त देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय को वे कब तक इस का सम्भरण कर सकेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). मैसूर अथवा अन्य राज्यों के प्रत्येक जिला मुख्यालय को जरसी सांडों का वीर्य सम्भरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मैसूर सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से जरसी सांडों के वीर्य के लिये आने वाली मांगों को बंगलौर स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से, यथा सम्भव, पूरा किया जाता है।

ज्वार के मिश्र बीज

२५३६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज्वार के किन्हीं मिश्र बीजों का उत्पादन किया है ;

(ख) ज्वार के सामान्य बीजों की अपेक्षा ज्वार के मिश्र बीजों से कितना अधिक उत्पादन होता है ; और

(ग) ज्वार के मिश्र बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मद्रास राज्य में क्षेत्रीय पैमाने पर सात प्रकार के मिश्र बीजों के परीक्षण किये गये थे जिन से स्थानीय किस्म के बीजों के अपेक्षा २७.७ से ३९.०० प्रतिशत तक अधिक उत्पादन हुआ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मिश्र बीजों के अभी तक परीक्षण ही किये जा रहे हैं।

कृषि अनुसन्धान

२५३७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये कृषि विश्वविद्यालयों में मूल तथा व्यावहारिक दोनों ही प्रकार का कृषि अनुसन्धान किया जा रहा है ; और

(ख) क्या उन कृषि अनुसन्धानकर्ताओं को जिन्होंने मूल्यवान परिणाम निकाल लिये हैं पदोन्नतियां दी जाती हैं, चाहे उन की कितनी भी आयु और वरिष्ठता क्यों न हो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । तथापि राजस्थान के उदयपुर विश्वविद्यालय में इस समय केवल मूल अनुसन्धान ही किया जायेगा। राज्य सरकार का इरादा यह है कि जब विश्वविद्यालय का अग्रेतर विकास होगा और वह इस उत्तरदायित्व को संभालने की स्थिति में हो जायेगा तो अन्त में व्यावहारिक अनुसन्धान का कार्य भी उसे सौंप दिया जायेगा।

(ख) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाओं में एक योग्यता पदोन्नति योजना लागू की है । योजना की एक प्रति राज्य सरकारों को भी भेज दी गई है ।

केलों पर अनुसन्धान

२५३८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केलों की किस्मों के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया है जिस से कि यह जाना जा सके कि कौन सी किस्में निर्यात के लिये सब से अधिक उपयुक्त हैं ; और

(ख) क्या इस अनुसंधान का परिणाम पठनीय छोटी पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जायेगा और वे किसानों को वितरित की जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने केले के सुधार के सम्बन्ध में १९४९ में एक व्यापक समन्वित अनुसन्धान कार्यक्रम प्रारम्भ किया था । इस परियोजना के अधीन किये गये मुख्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम किस्म परीक्षण के सम्बन्ध में था जिससे यह जाना जा सके कि भारतीय मंडियों के लिये सबसे अधिक उपयुक्त किस्म कौन सी हैं और 'ग्रौस माइकेल' जैसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की किस्मों की तुलना में इन किस्मों के व्यापार परिणामों का भी अध्ययन किया जा सके ।

बसराई किस्म का भारतीय केला निर्यात व्यापार में ख्याति प्राप्त कर चुका है और फारस की खाड़ी, इटली तथा रूस को उसका निर्यात किया जा रहा है।

(ख) केले के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धान के परिणाम भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय द्वारा निकाली गई समाचार पत्रिकाओं और छोटी छोटी पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गये हैं ।

सहकारी आन्दोलन

२५३९. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को सहकारी आन्दोलन को तीव्र करने के लिये कोई ऋण अथवा सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) १९६४–६५ में उस राज्य को कुल कितना रुपया देने का प्रस्ताव है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७९३/६४]**

(ग) राज्य आयव्ययक में विभिन्न योजनाओं के अधीन सम्मिलित किये गये उपबन्धों के ब्यौरों के प्राप्त होने पर इस का हिसाब लगाया जायेगा ।

Railway Stations on Lucknow-Bareilly Section

2540. **Shri Gokaran Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no platform exists on some of the Railway Stations on the Lucknow-Bareilly section of the N.E. Railway ; and

(b) if so, whether Government propose to construct platforms there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) All stations on Lucknow-Bareilly section are provided with platforms.

(b) Does not arise.

Barai Jalalpur Station

2541. **Shri Gokaran Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether peasants' land was acquired for Barai Jalalpur Station on the Lucknow-Bareilly section of the N.E. Railway.

(b) if so, whether compensation of land had been paid to the peasants concerned and if not, what action has been or is proposed to be taken in the matter ; and

(c) whether it is a fact that the land revenue is still being borne by these peasants and if so, why ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes Sir.

(b) The compensation amounting to Rs. 6906·75 nP has been deposited by the Railway with the Deputy Commissioner, Sitapur on 31-3-59 for disbursement to the owners of the land acquired.

(c) This is not known to the Railway.

सीज़न टिकटें

२५४२. **डा० कोट्टूर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ग 'क' के दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई नगरों के उपनगरीय क्षेत्रों की ओर से सीज़न टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के यात्री भाड़ों में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) ऐतिहासिक दृष्टि से, विशेष परिस्थितियों के कारण, उपनगरीय सेवायें पहले बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विकसित की गई थीं। इन स्थानों पर तीसरी श्रेणी की मासिक सीजन टिकटों के लिये विशेष आधारों पर भाड़ा लिया जाता है। इन तृतीय श्रेणी की मासिक सीज़न टिकटों का भाड़ा, इस समय के डाक गाड़ी के एक तरफ़ के भाड़ों से तुलना करने पर और राउन्ड आफ किये जाने पर, ३० किलोमीटर तक की विभिन्न दूरियों के लिये ११ से लेकर १८ तक ऐसे भाड़ों के बराबर बैठता है। इस दूरी से अधिक के लिये यह किराया ९ से लेकर १२ तक एक तरफ के यात्रा भाड़ों के बराबर बैठता है।

दिल्ली और अन्य सब नगरों के मामले में, तीसरी श्रेणी की मासिक सीज़न टिकट का भाड़ा एक भिन्न आधार पर लिया जाता है जो कि एक तरफ के यात्रा भाड़ों के उन आधारों से सम्बन्धित है जो कि १९४८ में लागू थे। आजकल के तीसरी श्रेणी के एक ओर की यात्रा के डाकगाड़ियों के भाड़े के रूप में, मासिक सीज़न टिकट का भाड़ा ३० किलोमीटर तक १७ से लेकर १९ यात्राओं के भाड़े के बराबर बैठता है। ३० किलोमीटर से अधिक के लिये यह भाड़ा एक ओर की यात्रा के १८ भाड़ों के बराबर बैठता है।

जबलपुर और इटारसी के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां

२५४३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्टूबर, १९६३ से जबलपुर और इटारसी के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियां लगभग हमेशा ही समय पर नहीं आई गई हैं और बहुत अधिक देरी से चलती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १ अक्टूबर, १९६३ के पश्चात्, ३८९ डाउन नागपुर–इलाहाबाद यात्री गाड़ी के अतिरिक्त जबलपुर–इटारसी सेक्शन पर आने जाने वाली अन्य यात्री गाड़ियों के ठीक समय पर आने जाने के मामले में सुधार हुआ है।

(ख) इस सैक्शन पर गाड़ियों के समय पर न चलने के मुख्य कारण यह हैं कि इस इकहरी लाइन के सैक्शन पर माल यातायात बहुत है और इस समय लाइन की क्षमता को बढ़ाने वाले बहुत से कार्य, जिनमें दुहरी लाइन डालने का कार्य भी सम्मिलित है, वहां चल रहे हैं।

(ग) इस सैक्शन पर गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए, संख्या ३८९ डाउन और ३९० अप यात्री गाड़ियों को, जो कि १ अप्रैल, १९६४ से पहले नागपुर और इलाहाबाद के बीच चल रही थीं, १ अप्रैल, १९६४ से लेकर दो रेलगाड़ियों के रूप में बांट दिया गया है—एक रेलगाड़ी इलाहाबाद और इटारसी के बीच चलती है तथा दूसरी इटारसी और नागपुर के बीच। इस सैक्शन पर लाइन के दुहरा हो जाने के बाद स्थिति में बहुत सुधार होगा, ऐसी आशा की जाती है।

प्रादेशिक वन अनुसन्धान संस्था, जबलपुर

२५४४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक प्रादेशिक वन अनुसंधान संस्था स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) किस समय यह अपना कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जबलपुर में एक प्रादेशिक वन अनुसन्धान केन्द्र खोलने का एक प्रस्ताव है। इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) लगभग २५ लाख रुपये।

(ग) इसके कार्य आरम्भ करने की कोई तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

कटखल-लालबज़ार रेलवे

२५४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटखल–लालबज़ार रेलवे लाइन को लेने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है, जिसके खरीदने के लिये ३१ मार्च, १९६४ वैकल्पिक तिथि निर्धारित थी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): यह खरीद, जो कि ३१ मार्च, १९६४ को की जानी थी, नहीं की गई थी क्योंकि विस्तृत जांच करने पर यह पाया गया था कि यह खरीद उचित नहीं रहेगी। यह रेलवे पहिले से ही उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे के माध्यम से सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है, और भारतीय सरकारी रेलवे के संचालन से सम्बद्ध सभी आवश्यक बातों का रेलवे पर पालन किया जाता है।

सड़क निर्माण उपकरण

२५४६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क निर्माण के उपकरणों के संग्रह का भार संभालने के लिये ऐसी कोई केन्द्रीय संस्था है जिससे कि विभिन्न संस्थायें उपकरण प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिकायतें

२५४७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के गोरखपुर और सोनपुर डिवीज़नों में १९६३ में विभिन्न शिकायत पुस्तिकाओं के द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन में से ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है जो कि सच पाई गई और जिन पर रेलवे प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही की उन शिकायतों की संख्या कितनी है जो कि आधार-रहित पाई गई;

(ग) एक शिकायत को निपटाने में आम तौर पर कितना समय लिया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस रेलवे के गोंडा और सोनपुर जिलों में (गोरखपुर गोंडा जिले में आता है) १९६३ में विभिन्न शिकायत पुस्तिकाओं द्वारा ७७२ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) इन ७७२ शिकायतों में से ४६४ शिकायतें सच पाई गई थीं जिन पर रेलवे प्रशासन ने कार्यवाही की थी । शेष ३०८ शिकायतें आधारहीन पाई गई थीं ।

(ग) सामान्य शिकायतों के निपटाने में आम तौर पर १५ दिन का समय लगता है । जिन शिकायतों के बारे में आमने-सामने की जांच करना आवश्यक होता है, ऐसी किसी शिकायत को निपटाने में लगभग ४५ दिन का समय लगता है ।

गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

२५४८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गोरखपुर में उत्तर-पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के कितने क्वार्टर हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं;

(ग) क्वार्टरों में रहने वाले वर्तमान लोगों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्वार्टरों की कमी के कब दूर हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे के लिये यह व्यवहार्य नहीं है कि वह अपने उपलब्ध सीमित संसाधनों के द्वारा ही सभी कर्मचारियों के लिये रहने के स्थान की व्यवस्था कर सके। मुख्य मार्ग पर न पड़ने वाले छोटे छोटे स्टेशनों पर, जहां गैर-सरकारी मकान किराये पर उपलब्ध नहीं होते, रेलवे विभाग जहां तक सम्भव हो सकता है कर्मचारियों के लिये रहने के मकान की व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है। अन्य स्टेशनों पर रेलवे विभाग उन प्रवर्गों के अति आवश्यक कर्मचारियों के लिये जिनका अपने कार्य के स्थान के बिलकुल निकट रहना आवश्यक समझा जाता है जो किसी भी समय कार्य पर बुलाये जा सकते हैं—मकानों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है। गोरखपुर में, जो कि एक महत्वपूर्ण नगर है, ४६२१ अतिआवश्यक कर्मचारी और १५,५३५ गैर-अतिआवश्यक कर्मचारी हैं और रेलवे विभाग ने ३००६ कर्मचारियों को मकान दे रखे हैं जिनमें से अधिकांश अतिआवश्यक प्रवर्ग के हैं और १५१ अनुसूचित जातियों के हैं। जैसे जैसे रुपया उपलब्ध होता जाता है, प्रति वर्ष और क्वार्टर बनाये जाते हैं।

ग्राम स्वयं सेवक दल

२५४६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १६६४ तक ग्राम स्वयंसेवक दल में राज्यवार कितने व्यक्ति शामिल किये गये ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि ३१ मार्च, १६६४ तक ग्राम स्वयंसेवक दल में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७६४/६४]**

उचित मूल्य वाली दुकानें

२५५०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं;

(ख) अब तक कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां खोली गई हैं; और

(ग) उचित मूल्य वाली दुकानें कब तक चलती रहेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ११,१३८ ।

(ख) १,४३० ।

(ग) जब तक उनको रखना आवश्यक समझा जायेगा ।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान

२५५१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली में सरकारी मकानों के लिये आवेदन करने वाले रेलवे कर्मचारियों की एक लम्बी प्रतीक्षा-सूची है ; और

(ख) यदि हां, तो सब से पुराना आवेदन-पत्र किस तिथि से अभी तक लम्बित पड़ा है, और दिल्ली में सरकारी मकानों के लिये अब तक कुल कितने आवेदन-पत्र दर्ज हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख)

	श्रेणी ३		श्रेणी ४	
	गैर-आवश्यक	आवश्यक	गैर-आवश्यक	आवश्यक
(१) आखिरी आवेदन पत्र की तारीख जो कि अभी लम्बित है .	१४-५-१९४९	२-११-६१	२९-९-५३	३०-९-५९
(२) दिल्ली क्षेत्र में १२-३-६४ को दर्ज आवेदन - पत्रों का संख्या	५८१६	७७६	१७३९	७४०३

डिब्रूगढ़ स्टेशन पर गाड़ियों के आने तथा जाने का समय

२५५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी आसाम वाणिज्य मण्डल, डिब्रूगढ़ टाउन और उक्त क्षेत्र की अन्य संस्थाओं से ८ डाउन/१ डाउन गाड़ियों में डिब्रूगढ़ से सीधे बुकिंग के लिये डिब्रूगढ़ के लिये नियत तीसरी श्रेणी की 'स्लीपर' बर्थों की कमी के सम्बन्ध में तथा डिब्रूगढ़ स्टेशन पर गाड़ियों के असुविधापूर्ण समय पर आने तथा जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) जी हां, पूर्वी आसाम वाणिज्य मण्डल, डिब्रूगढ़ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उस पर विचार किया गया है ।

इस समय डिब्रूगढ़ स्टेशन के लिये १ डाउन/८ डाउन डाक गाड़ियों में तीसरी श्रेणी की २ स्लीपर बर्थ और ७ सीटों का कोटा नियत है। इन गाड़ियों में सीमित स्थान होने के कारण वर्तमान कोटे को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है।

जहां तक डिब्रूगढ़ टाउन में ७/८ साउथ बैंक मेल गाड़ियों के आने और जाने के समय का सम्बन्ध है, पूर्वी आसाम वाणिज्य मंडल के ये सुझाव हैं कि नं० ७ डाक गाड़ी को डिब्रूगढ़ टाउन लगभग ६ बजे सुबह पहुंचना चाहिये और नं० ८ डाक गाड़ी को वहां से रात के लगभग साढ़े दस बजे चलना चाहिये।

१-४-६४ से पहले नं० ७ साउथ बैंक मेल डिब्रूगढ़ टाउन रात को लगभग ३ बज कर १५ मिनट पर पहुंचा करती था और नं० ८ डाक गाड़ी रात को १ बज कर ३५ मिनट पर चला करती थी। १-४-६४ से नं० ८ डाक गाडी रात के ११ बज कर ३५ मिनट पर डिब्रूगढ़ से चलने लगी है जो न्यूनाधिक रूप में वाणिज्य मंडल के सुझाव को पूरा करती है। नं० ७ डाक गाडी के डिब्रूगढ़ टाउन पहुंचने का समय रात को १ बज कर ३५ मिनट हो गया है और इस गाडी का, जैसाकि सुझाव दिया गया है, सुबह लगभग ६ बजे डिब्रूगढ़ टाउन पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो इस गाडी को गोहाटी से लगभग साढ़े चार घंटे देर से चलाना पड़ेगा और दूसरे इससे लम्डिग-मरियानी सेक्शन पर रात को चलना पड़ेगा जहां पर कि सुरक्षा कारणों से रात्रि में सवारी गाड़ियों का चलना मना है। इस के अतिरिक्त ऐसा करने से २ अप अवध-तिरहुत मेल से आने वाले यात्रियों को, जो नं० ७ साउथ बैंक मेल से आगे जाना चाहते हों, ५० मिनट की बजाय लगभग ५ घंटे २० मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

नेशनल शुगर, मिल अहमदपुर

२५५३. **डा० सारादीश राय :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नेशनल शुगर मिल, अहमदपुर (पश्चिमी बंगाल) को अपने हाथ में लेने के लिये कोई प्रस्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर गौर किया जा रहा है।

Sugar Factories in Mysore State

2554. Shri Veerappa: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have promised to give to the Government of Mysore a licence for setting up sugar factories in Mysore but no final decision has so far been taken in that regard ; and

(b) when the licence for sugar factory would be issued to the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b) : Licences to set up sugar factories are granted to the applicants and not to State Governments. The question of giving any promise to Mysore Government does not arise. Applications received from applicants from Mysore State are under consideration along with applications received from applicants from other States.

कृषि भूमि

२५५५. **श्री महेश्वर नायक : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के लिये देश में कुल कितनी भूमि उपलब्ध है ;

(ख) वास्तव में कितनी भूमि पर काश्त की जाती है ;

(ग) इस में से कितनी भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है ; और

(घ) किस समय तक पूर्ण सिंचाई की व्यवस्था हो जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं कि 'खेती योग्य जर भूमि' की श्रेणी के अन्तर्गत शामिल की गई भूमि तथा 'विविध वृक्ष फसलें तथा उपवन के अन्तर्गत भूमि में से कितनी भूमि पर सरलता से खेती की जा सकती है। तथापि, वर्ष १९६०-६१ के लिये उपलब्ध जानकारी के आधार पर अस्थायी अनुमान यह है कि खेती के लिये कुल उपलब्ध भूमि तथा वास्तविक खेती वाली ज़मीन का क्षेत्रफल क्रमश: ४४४६ लाख एकड़ और ३५६१ लाख एकड़ है।

(ग) ६०२ लाख एकड़ ।

(घ) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार बड़ी और मध्यम योजनाओं से लगभग ११२० लाख एकड़ (सकल) भूमि में सिंचाई होने की संभावना है।

छोटी सिंचाई योजनाओं से लगभग ७५० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने की संभावना है।

इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि सिंचाई के ये लक्ष्य कब पूरे होंगे।

चीनी के निर्यात के लिये ठेके

२५५६. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन दैनिक मूल्य से फैलाये गये मूल्य के आधार पर १९६३ में २ लाख और १ लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात के लिये एक विदेशी फर्म को अलग अलग ठेके दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ठेकों की तिथियां क्या हैं ;

(ग) इन ठेकों की मूल्य संबंधी अवधियां क्या हैं ;

(घ) ठेके के अन्तर्गत अनुमति किसी भी प्रकार की छूट को ध्यान में न रखते हुए, लन्दन सैनिक मूल्य के आधार पर प्रत्येक मामले में औसत मूल्य क्या फैला है ; और

(ङ) इन ठेकों के औसत मूल्यों में क्या अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, हां।

(ख) से (घ).

	२ लाख मीट्रिक टन का ठेका	१ लाख मीट्रिक टन का ठेका
१ हस्ताक्षर की तिथि . . .	२०–१०–६२	२५–११–६२
२. मूल्य संबंधी अवधि	२४–१०–६२ से ३०-६-६३ तक	३१–७–६२ से ३०-६-६३ तक
३. औसत लन्दन दैनिक मूल्य	पौंड ५४-१३-५ प्रति मीट्रिक टन	पौंड ४७-५-६ प्रति मीट्रिक टन

(ङ) पौंड ७–७–११ प्रति मीट्रिक टन

रोपड़-नंगल बांध सेक्शन

२५५७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री ३ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर रोपड़-नंगल बांध सेक्शन के कार्य के सम्बन्ध में करार के रद्द किये जाने के लिये पंजाब सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). वर्तमान करार की समाप्ति से पहले लाइन को ले लेने के प्रश्न पर अब भी जांच हो रही है और पंजाब सरकार के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

कृषि अनुसन्धान पुनर्विलोकन दल

२५५८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान पुनर्विलोकन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२७६५/६४**]

विशेष टिकटें

२५५९. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
　　　　श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **डाक और तार** मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन समाज सुधारकों और सुख्यात संगीतज्ञों की सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है जिन के नाम पर विशेष डाक टिकट जारी किये जाने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी नहीं, क्योंकि चालू वर्ष के लिये डाक टिकट जारी करने का कार्य क्रम पहले से ही पूरा हो चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bharat Krishak Samaj

2560. Shri Bibhuti Mishara: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that there is an organisation called Mahila Krishak Samaj within the Bharat Krishak Samaj ;

(b) if so, whether it is a fact that financial grants to the tune of Rs. 12,000 are given by Government to this organisation annually ;

(c) whether Government call for any accounts for the grant given to it ; and

(d) whether Government have assessed the achievements made by the organisation among women peasants ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a). Though originally sponsored by Bharat Krishak Samaj, Bharatiya Grameen Mahila Sangh has got a separate Constitution, a separate office and a separate Governing body etc.

(b) To meet the organisational expenditure and for organising exhibitions, seminars etc., following grants-in-aid have been given to the Bharatiya Grameen Mahila Sangh since its inception :—

1957-58—Rs' 10,000

1962-63—Rs. 10,000.

(c) Yes.

(d) No. Sir.

रेलवे पास

२५६१. **श्री अ० सिं० : सहगल** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड तथा रेलवे कार्यालयों में काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को, जिनका वेतन ५०० रु० प्रतिमास अथवा उससे कम है, एक वर्ष में कितने रेलवे पास दिये जाते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२७९६/६४]**

दुधारू ढोरों के निर्यात पर रोक

२५६२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार दुधारू ढोरों के अन्य राज्यों को भेजे जाने पर रोक लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त रोक लगाये जाने के बाद अन्य राज्यों की मांग पूरी करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग) पंजाब सरकार का दुधारु ढोरों के अन्य राज्यों को भेजे जाने पर पूर्ण रूप से कोई रोक लगाने का विचार नहीं है। तथापि राज्य के प्रजनन क्षत्रों में अच्छी किस्म के ढोरों की कमी को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार ने, परमिट पद्धति के अन्तर्गत, अन्य राज्यों को दुधारू ढोरों के भेजे जाने को विनियमित करने के लिये, राज्य विधान मण्डल में एक विधेयक पुर:स्थापित किया है। अन्य राज्यों की आवश्यकताएं पूरी की जाती रहेंगी।

प्राथमिक विपणन समितियां

२५६३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेकर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में अब तक, राज्यवार, कितनी प्राथमिक विपणन समितियां स्थापित की गई हैं ; और

(ख) १९६४-६५ में राज्यवार कितनी समितियां स्थापित की जायेंगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) १९६३-६४ में ८९ विपणन समितियां स्थापित की गई थीं।*

(ख) १९६४-६५ में ९२ विपणन समितियां स्थापित करने का विचार है।*

ऊपर दी हुई संख्याओं का राज्यवार ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२८००/६४]

कृषि वस्तुओं सम्बन्धी सलाहकार समिति

२५६४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं सम्बन्धी सलाहकार समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेरी उद्योग का विकास

२५६५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डेरी उद्योग के विकास के लिये डेरी विशेषज्ञों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक और तार कर्मचारियों के लिये मकान

२५६६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **डाक और तार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६४ तक उत्तर प्रदेश में कितने डाक और तार कर्मचारियों को सरकारी मकान दिये जा चुके थे;

*मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में जानकारी अभी नहीं आई है और उसे प्राप्त होने पर दे दी जायेगी।

(ख) १९६२-६३ में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि अलग रखी गई तथा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) १९६३-६४ और १९६४-६५ में उक्त प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) २१३४।

(ख) (१) १९६२-६३ में अलग रखी गई राशि . ३,४०,००० रु०

(२) १९६२-६३ में वास्तव में व्यय की गई राशि . . . ४,७४,१६६ रु०

(ग) (१) १९६३-६४ . ४,४१,८०० रु०

(२) १९६४-६५ . . . ३,२४,००० रु०

Delhi Railway Station

2567. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large number of parcels are generally lying at Delhi Railway Station ;

(b) whether it is also a fact that the Superintendent, Delhi Railway Station had removed the security guards ;

(c) if so, the details of goods stolen during 1961 to 1964 that were despatched from Delhi or received at Delhi but never reached their destinations, and

(d) the amount that Government had to pay by way of compensation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S.V. Ramaswamy) : (a) In view of the heavy rush of outward, inward and transit parcels at Delhi Main, some parcels have necessarily to remain lying on the platform but there is no accumulation.

(b) Security staff were withdrawn from certain platforms as a result of re-organisation of parcel work.

(c) In accordance with the cases registered by the Railway Protection Force the details of parcels stolen are as under :—

During 1961—One bale, Two bundles, two packages and one basket.

During 1962—One tin sweets, one sealed trunk, two Dunlop Motor tyres, one box, one parcel, two bales and one package Handloom cloth.

During 1963—One parcel, two bundles, two boxes and shoes were found stolen from a package.

During 1964—Two parcels.

(d) Compensation paid on account of thaft of parcels mentioned in (c) above is not readily available.

सहकारी क्षेत्र का विकास

२५६८. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा भारत के रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की ओर से बिहार राज्य को समय समय पर ऋण देने, विपणन कृषि गृह-निर्माण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं का विकास सहकारी संस्थाओं पर से सरकारी नियन्त्रण हटाने के सम्बन्ध में सहकारी क्षेत्र की दशा सुधारने के लिये क्या मन्त्रणा दी गई है;

(ख) एक राज्य सरकार ने इस मन्त्रणा पर कहां तक अमल किया ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सहकारी आन्दोलन में सुधार करने के लिये कोई मांग की है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और भारत का रक्षित बैंक राज्य सरकार की आवश्यकता को कहां तक पूरा कर सके हैं ; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार और भारत के रक्षित बैंक की मन्त्रणा को न मानने तथा केन्द्रीय सरकार और भारत के रक्षित बैंक द्वारा राज्य सरकार की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२७९७/६४]**

(ग) और (घ) गत चार वर्षों में राज्य सरकार की सामान्य मांग तथा योजनाओं के अन्तर्गत मंजुर की गई राशि निम्न है :—

	बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय	कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किया गया व्यय	योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित व्यय
६१–६२ .	१३०.१८ लाख रु०	६७.१८ लाख रु०	६०.९६ लाख रु०
६२–६३ .	७७.६९ लाख रु०	८९.१० लाख रु०	७७.७० लाख रु०
६३–६४ .	५०.०० लाख रु०	७७.०० लाख रु०	७७.०० लाख रु०
६४–६५ .	९३.८४ लाख रु०	६४.०० लाख रु०	५५.०० लाख रु०

१९६३–६४ में राज्य सरकार केवल ५० लाख रु० देना चाहती थी, परन्तु उनसे राशि बढ़ाने के लिये कहा गया और अन्त में वह ७७ लाख रु० देने के लिये राजी हो गई।

ऊपर बताई गई सामान्य योजना व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विशेष योजना के अन्तर्गत पूर्वी भागों में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिये ६१.६६ लाख रु० की राशि की मांग पर गौर से विचार करने के पश्चात् विशेष योजना के अन्तर्गत १९६३–६४ के लिये ३२.१३ लाख रु० का व्यय अनमोदित किया गया था। उपभोक्ता सहकारी समितियों के संचालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने मांग की कि थोक स्टोरों की संख्या १२ से बढ़ा कर १८ कर दी जाये और प्राथमिक

स्टोरों की संख्या २४० से बढ़ा कर ३६० कर दी जाये और इसके साथ साथ वित्तीय सहायता में भी वृद्धि कर दी जाये। यह बात मंजुर नहीं की गई क्योंकि अतिरिक्त थोक स्टोरों और प्राथमिक स्टोरों के चलने की आशा नहीं थी।

(ङ) समय समय पर हुई बातचीत में राज्य के अधिकारी केन्द्र के सुझावों के सिद्धान्त रूप में सहमत हो गये हैं, परन्तु उन्होंने अपने कुछ कारणों की वजह से उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। क्योंकि बिहार में सहकारी आन्दोलन बहुत कमजोर है, राज्य सरकार की मांगें जब भी प्राप्त होती हैं उन पर सहानुभुति से विचार किया जाता है और राज्य ने ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं की है कि केन्द्रीय सरकार अथवा रक्षित बैंक ने उनकी मांगों को नहीं माना है। अत: केन्द्रीय सरकार अथवा रक्षित बैंक द्वारा राज्य की मांगों को न मानने के कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता।

Delhi Milk Scheme

2569. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 479 on the 10th December, 1963 and state :

(a) the stock of ghee manufactured out of spoiled butter still left with the Delhi Milk Scheme ; and

(b) the efforts made to dispose it off ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A.M. Thomas) : (a) Out of 3042 tins of ghee (each containing 17 kgs.) 2855 tins have been sold. Only 187 tins are left.

(b) The ghee is being sold to persons who may want to buy it.

भूकम्प के झटके

२५७०. **श्री राम हरख यादव:** क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ मार्च, १९६४ की प्रात: साढ़े चार बजे दार्जिलिंग में भूकम्प का एक बड़ा झटका महसूस किया गया ;

(ख) क्या जलपाईगुड़ी, फिलागुड़ी और कूच बिहार में भी साधारण तीव्रता के झटके महसूस किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और जान और माल का यदि कोई नुकसान हुआ तो कितना ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) से (ग) २८ मार्च, १९६४ को भारतीय समय के अनुसार प्रात: ४ बज कर ३४ मिनट पर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलिगुड़ी और कूच बिहार में भूकम्प का साधारण झटका महसूस किया गया था। भूकम्प का अधिकेन्द्र पश्चिमी भूटान में २७½° अकक्षांश उत्तर और ८९½° रेखांश पूर्व था।

इस भूकम्प के कारण जान या माल की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है।

कृषि उपकर

२५७१. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने १९६३–६४ में कृषि उपकर के रूप में कितना धन वसूल किया ;

(ख) इसमें से कितना धन मुख्यालय के कर्मचारियों पर व्यय किया गया ; और

(ग) अनुसन्धान और अन्य योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित : जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आय			व्यय	
१९६३–६४	रु०		१९६३–६४	रु०
(१) कृषि उत्पादों पर उपकर से आय	६५,२८,७००		(१) मुख्यालय के प्रशासनिक कर्मचारियों पर व्यय	९,१३,१००
(२) अन्य आय	१६,६६,०००		(२) तकनीकी कर्मचारियों समेत अनुसन्धान और अन्य योजनाओं पर व्यय	५५,७४,९००
कुल	८१,९४,७००		कुल	६४,८८,०००

Tinned Fruit Juice Factory at Hyderabad

2572. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a factory for tinned fruit juice is being set up in Hyderabad ; and

(b) if so, by when, with whose assistance and the estimated cost thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) (a) : Yes..

(b) The factory building is under construction. It is not known when the same will be completed. Machinery worth about Rs. 4 lakhs is reported to have been imported for this factory from the Hungarian enterprise, KOMPLEX. The total estimated cost of the factory is also not known.

Nizamabad Railway Station

2573. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he has received any representation from the Bidi Manufacturers' and Tobacco Traders' Association,Nizamabad to the effect that facilities for daily booking at Nizamabad Railway Station be provided ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways(Shri S.V. Ramaswamy) : (a) Yes.

(b) Due to temporary congestion in the Goods Shed, there was some difficulty in daily acceptance. The congestion has since been eliminated and consignments are now being accepted daily.

हल्दिया पत्तन से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

२५७४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री प० चं० बर्मन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये २०० एकड़ भूमि के विकास कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) विकास लागत को किस प्रकार पूरा किया जायेगा;

(ग) दी जाने वाली भूमि का विकास कब तक हो जाने की आशा है; और

(घ) क्या वहां पर नलकूप, स्कूल, मार्किट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). राज्य सरकार से, जो कि आवश्यक प्रबन्ध कर रही है, यह पता लगा है कि लगभग १८०० प्लाटों में से जो कि आवास प्रयोजनों के लिये दिये जाने हैं, लगभग ४०० प्लाट इस मास के अन्त तक तैयार हो जायेंगे ।

अनुमान है कि पुनर्वास स्थान के विकास पर कुल ८,३०,७०० रु० खर्च होंगे । कलकत्ता पत्तन आयुक्त इस बात पर राजी हो गये हैं कि लागत का आधा भाग वे वहन करेंगे और आधा भाग पश्चिमी बंगाल सरकार वहन करेगी ।

राज्य सरकार ने बताया है कि पुनर्वास योजना के अन्तर्गत निश्चित नकशा तैयार कर लिया गया है और तालाबों, सड़कों, पार्कों, खेल के मैदानों, स्कूलों, बाजारों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के लिये पर्याप्त भूमि छोड़ दी गई है। क्षेत्र में कई नलकूपों की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

हल्दिया रेलवे लाइन

२५७५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री प० चं० बर्मन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंचकुरा और हल्दिया के बीच स्टेशनों के नामों और स्थानों का निश्चय कर लिया गया है;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों के नामों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां, इस लाइन के निर्माण की मंजूरी ३१-१-१९६३ को दी गई थी।

(ख) पंचकुरा और हल्दिया के बीच रेलवे स्टेशनों के नाम तथा स्थान तकरीबन तय कर लिये गये हैं। स्टेशनों के प्रस्तावित नाम निम्न हैं :—

रघुनाथबाड़ी, पदमपुर; तामलुक; केशबपुर; महीशादल; गोविंदपुर; सुताहाता; दुर्गाचक; और हल्दिया।

(ग) और (घ). 'पदमपुर' और 'रघुनाथबाड़ी' के नाम बदल कर क्रमश: 'राजगोडा' और 'खंडाखोला' रखने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले पर इस समय जांच हो रही है, और अन्तिम रूप से जो नाम रखे जायेंगे उनका निर्णय पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से किया जायेगा।

भाखड़ा-नंगल के लिये विमान सेवा

२५७६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री ३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल के लिये विमान सेवा चलाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित की जायेगी ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). भाखड़ा नंगल के लिये विमान सेवा चालू करने का कारपोरेशन के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर रेलवे पर चीजें बेचने के ठेके

२५७७. श्री गुलशन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर चीजें बेचने के ठेके ठेकेदारों को इस विशेष शर्त पर दिये जाते हैं कि ठेकेदार पूरा ठेका अथवा उसका भाग आगे किराये पर नहीं देंगे; और

(ख) इस बात को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि ठेकेदार ठेकों को आगे किराये पर न दें ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) चीजें बेचने के ठेकों को आगे किराये पर देने से रोकने के लिये किये गये महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(१) ठेकेदारों के साथ किये गये ठेकों में इस खंड को शामिल करना कि ठेका आगे किराये पर देना निषिद्ध है और जो ठेकेदार ठेका आगे किराये पर देगा उसका ठेका समाप्त कर दिया जायेगा ।

(२) समय समय पर अधिकारियों तथा गैर-राजपत्रित निरीक्षण कर्मचारियों (नॉन-गज़टेड इंस्पेक्टोरियल स्टाफ़) द्वारा ठेकेदारों के प्रबन्ध, जिनमें उनके कागजात भी शामिल हैं; का निरीक्षण ।

(३) ठेकेदारों द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिये जाने के बारे में स्टेशन मास्टरों द्वारा स्थानीय रूप से जांच ।

(४) ठेके को आगे किराये पर देने की किसी भी शिकायत की विस्तृत जांच और आरोप सच्चा सिद्ध होने पर ठेकों की तत्काल समाप्ति ।

अहमदाबाद में रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) के कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह

२५७८. श्री स० मो० बनर्जी : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर डाक (आर० जे० ०–७ सेक्शन) और सौराष्ट्र डाक (आर० जे० ०-२ सेक्शन) में ड्यूटी पर जो रेलवे डाक सेवा के 'सार्टर' और 'वैन पियन' आते हैं उनके लिये अहमदाबाद में कोई विश्राम गृह नहीं है और उन्हें रात भर प्लेटफार्मों और आर० एम० एस० के 'हैंड ट्रक्स' पर ही सोना पड़ता है;

(ख) क्या डाक और तार विभाग का उनके लिये रेलवे स्टेशन के पास एक विश्राम गृह बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो विश्राम गृह के कब तैयार हो जाने की आशा है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, नहीं । भावनगर डाक (आर० जे० ०–७ सेक्शन) से अहमदाबाद आने वाले 'सार्टर्स' और (वैन पियन्स' के लिये विश्राम गृह की सुविधाएं जे० ०–४ सेक्शन के विश्राम गृह में उपलब्ध हैं जो कि अहमदाबाद के छोटी लाइन के

स्टेशन के निकट एक किराये की इमारत में स्थित है। सौराष्ट्र मेल (आर० जे०-२ सेक्शन) से आने वाले 'सार्टर्स' और 'वैन पियन्स' को बहुत अर्से से 'मेल आफिस' में विश्राम करने की इजाजत है।

(ख) और (ग). अहमदाबाद से बड़ी लाइन के स्टेशन के पास रेलवे डाक सेवा के लिये इमारत के निर्माण का काम चल रहा है और आशा है कि यह इमारत जून १९६४ तक बन कर तैयार हो जायेगी। कर्मचारियों को विश्राम गृह की सुविधाएं इस इमारत में दी जायेंगी।

विश्राम गृह के लिये एक अलग इमारत के निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

Morena Station

2579. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some representations from public have been received demanding that Morena station (Madhya Pradesh) be made a regular stoppage for the Punjab Mail ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes.

(b) There is no traffic justification for providing halts to Nos. 5 Down and 6 UP Punjab Mails at Morena.

पंचायती राज संस्थायें

२५८०. **श्री हरिश्चन्द्र मायुर :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि महाराष्ट्र को छोड़ कर किसी भी राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिये शक्ति और संसाधनों का पर्याप्त अवतरण नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें कुछ निम्नतम स्तर अपनाएं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अध्ययनों से पता चला है कि राज्यों में बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं पर शक्तियों और संसाधनों का अवतरण एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है। जहां भी आवश्यक हो स्थिति में सुधार करने के लिये, मामले पर राज्य सरकारों के परामर्श से बराबर विचार हो रहा है।

दिल्ली-कलकत्ता टेलीप्रिंटर लाइन

२५८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के दिल्ली-कलकत्ता टेलीप्रिंटर सरकिट ३ से ६ अप्रैल, १९६४ तक बन्द रहे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में डाक और तार विभाग के टेलीप्रिंटर सरकिटों में कुछ तकनीकी परिवर्तन करने के लिये एक सरकारी उपक्रम के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से अपनी कलकत्ता टेलीप्रिंटर लाइन को केवल १५ मिनट के लिये बन्द करने के लिये कहा गया था परन्तु उन पर ४ दिन बाद तक काम चालू नहीं हो सका; और

(ग) खराबी होने और अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन करने में विलम्ब के क्या कारण थे ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी नहीं, सर्किट पूर्ण रूप से बन्द नहीं रहे। हां, इस अवधि में दिल्ली-कलकत्ता लाइन पर, कुछ खराबियों के कारण, कुछ सर्किटें रुक रुक कर काम करती रहीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार कुछ तकनीकी परिवर्तन करने के लिये, ३-४-६४ को कुछ 'सब्सक्राइबर्स' से कुछ समय के लिये टेलीप्रिंटर लाइन बन्द करने के लिये कहा गया था। इस काम से कोई बड़ी बाधाएं नहीं पड़ीं। कुछ सर्किटों में बाधाएं उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कारणों से हुईं। यह कहना गलत है कि तकनीकी परिवर्तन करने के लिये वे ४ दिन बन्द रहीं।

(ग) कोई खराबी नहीं हुई और न ही तकनीकी परिवर्तन करने में देर लगी।

बीज फार्म

२५८२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार को बीज फार्म स्थापित करने के लिये वर्ष १९६३-६४ और १९६४-६५ में अब तक कुल कितनी धनराशि दी गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : वर्ष १९५८-५९ से लागू पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनसार राज्य की योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता विकास की मुख्य मदों के अन्तर्गत दी जाती है और न कि पृथक योजनाओं के लिये या योजनाओं के एक वर्ग के लिये। अतः पंजाब सरकार को "बीज फार्मों" के लिये पृथक से दी गयी केन्द्रीय सहायता के बारे में बताना सम्भव नहीं है। तथापि, राज्य सरकार को वर्ष १९६३-६४ में विकास के प्रमुख मद "कृषि उत्पादन" के अन्तर्गत, जिसमें बीज फार्म भी शामिल हैं, १५९·२८ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी।

राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में राज्य की योजनाओं के लिये अभी तक कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों में सहायक स्टेशन मास्टर

२५८३. { श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों में सहायक स्टेशन मास्टरों को भूतपूर्व उत्तर-पश्चिम रेलवे के, जो अब पाकिस्तान में है, विभिन्न डिवीजनों से आये व्यक्तियों से वरिष्ठ माना गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे मुख्यालय द्वारा बनायी गयी सची वरिष्ठता सूची की उपेक्षा की गयी है ;

(ग) क्या मंत्रालय को इस तरह प्रभावित कर्मचारियों से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जांच पड़ताल की जा रही है ।

कलिंग एयरलाइन्स के डकोटा का दुर्घटनाग्रस्त होना

२५८४. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या कलिंग एयरलाइन्स का एक डकोटा ७ अप्रैल, १९६४ को, जो नेफा में सामान डालने के लिये था, अलोंग में उतरते समय टूट गया और उसमें आग लग गयी ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित हानि कितनी हुई ; और

(ग) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गयी है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां ।

(ख) आग से विमान पूरी तरह नष्ट हो गया ।

(ग) दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

रेलवे स्कूलों और कालिजों में छात्रवृत्तियां

२५८५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री ७ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्कूलों और कालिजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और फीस के रूप में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलवे स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को फीस आदि के बारे में उसी स्तर पर रियायत दी जाती है जिस पर यह राज्य सरकारों के अन्य स्कूलों में, जिनके क्षेत्राधिकार में रेलवे स्कूल आते हैं (अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों के अतिरिक्त) दी जाती है। कर्मचारी लाभ निधि से तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति देने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये विशेष आरक्षण किया जाता है। ये छात्रवृत्तियां स्कूल में नहीं दी जातीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ-कलकत्ता विमान सेवा

२५८६. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बरास्ता गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) लखनऊ से कलकत्ता तक विमान सेवा चालू करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से चलाई जायेगी और यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि गोरखपुर को विमान सेवा चालू करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि उन्हें गोरखपुर से और गोरखपुर को पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने की आशा नहीं है।

दिल्ली-देहरादून विमान सेवा

२५८७. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली से देहरादून (उत्तर प्रदेश) तक एक विमान सेवा चालू करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से चलायी जायेगी ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

जापान से सुपर टैंकर

२५८८. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में निर्मित एक नया सुपर-टैंकर "देशबन्धु" भारत के राज्य नौवहन निगम के लिये भारत में पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जहाज की कुल लागत क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जहाज की कुल लागत ५,३४३,०७९·९६ डालर है जिसमें आस्थगित भुगतान पर देय ब्याज की ८६३,०७९·९६ डालर की रकम भी शामिल है ।

Cold Storages

2589. **Shri Rajdeo Singh :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Warehousing Corporation have decided to set up four cold storages by the end of the Third Five Year Plan in order to preserve perishable food stuffs ; and

(b) if so, the proposed sites and the estimated cost thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b) Only one cold storage at Calcutta is proposed to be set up by the end of the Third Five Year Plan at an estimated cost of Rs. 11 lakhs.

Loss caused to Crops due to Cold etc.

2590. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture be** pleased to state :

(a) the estimated loss caused to the rabi crops in the country due to cold wave, frost and lack of winter rains in 1963-64 ; and

(b) the fall in the production of foodgrains brought about in the country as compared to the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) : It is not possible to give any quantitative estimate of the extent of damage due to cold wave, frost and lack of winter rains in 1963-64 at this stage. An idea about the loss in production can be formed only after the final estimates of the harvest produce become available, which will be sometime in July 1964.

'फोकर फ्रेंडशिप' विमान सेवा

२५६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास कितने फोकर फ्रेंडशिप विमान हैं ;

(ख) इन "फ्रेंडशिप" विमानों में से कितने आसाम-त्रिपुरा-मनीपुर क्षेत्र में लगे हैं; और

(ग) जोरहाट और अगरतल्ला के लिये फोकर फ्रेंडशिप से कब से हटायी गयी है और इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास दस फ्रेंडशिप विमान हैं जिनमें से सात प्रतिदिन भारत भर में कारपोरेशन के 'फ्रेंडशिप' कार्य के लिये चलते हैं। कारपोरेशन बागडोगर के लिये सप्ताह में ग्यारह बार और गोहाटी के लिये सप्ताह में सात बार फ्रेंडशिप विमान चलाती है।

(ग) निम्नलिखित मार्गों पर से उनके सामने दी गयी तिथि से फ्रेंडशिप सेवा समाप्त की गयी :

(१)	कलकत्ता/अगरतला/कलकत्ता	१५–११–६३
(२)	कलकत्ता/गोहाटी/जोरहाट/मोहनबाड़ी	१–२–६४

कारपोरेशन ने बताया है कि कलकत्ता/अगरतला मार्ग से फ्रेंडशिप सेवा इसलिये हटानी पड़ी ताकि कलकत्ता से दिल्ली की ओर आगे अन्य स्थानों को विमान शीघ्र भेजा जा सके। एफ-२७ सेवा कलकत्ता/गोहाटी/जोरहाट/टामोहनबाड़ी १-२-६४ से समाप्त की गयी और इसके स्थान पर जोरहाट को निकाल कर वाइकाउन्ट सेवा चालू की गयी ताकि अधिक तेज चलने वाले और आरामदेह विमानों को लगाया जा सके और अतिरिक्त यात्री ले जाये जा सकें। जोरहाट/मोहनबाड़ी क्षेत्र की उड़ान में २० मिन्ट लगते हैं और विमान को पहले जोरहाट में और फिर मोहनबाड़ी में उतारना अलाभप्रद पाया गया। तथापि, कारपोरेशन का इरादा फ्रेंडशिप क्षमता उपलब्ध होने पर कलकत्ता/गोहाटी/जोरहाट मार्ग पर सेवा चलाने का है।

रेलवे दुर्घटनायें

२५९२. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ अप्रैल, १९६४ को समस्तीपुर जाने वाली दानापुर–समस्तीपुर एक्सप्रेस का इंजन और तीन डिब्बे बरौनी के निकट पटरी से उतर गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे जन-धन की कितनी क्षति हुयी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ८-४-६४ को लगभग २०–५५ बजे संख्या ४६ अप दानापुर–समस्तीपुर (बड़ी लाइन) एक्सप्रेस गाड़ी के बरौनी जंक्शन से चलने के फौरन बाद ही गाड़ी का इंजन और उसके साथ के दो डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) कारणों की जांच की जा रही है।

(ग) कोई जनहानि नहीं हुयी। रेलवे सम्पत्ति को पहुंची क्षति का अनुमान लगभग ५३० रुपये हैं।

Attempt to Derail a Train

2593. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some subversive elements attempted to derail a train near Bhubaneshwar on the 5th April, 1964;

(b) if so, the manner in which this attempt was made ;

(c) whether investigations have been made into this case ; and

(d) if so, the findings of the investigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) The correct position is that on 5-4-1964, 4 fish plates, 8 bolts and 2 dog spikes were found missing betwen Kanduapada and Baudpur near Bhadrala and not near Bhubaneshwar. Stone chips were also found placed at the pullies as well as in the detector, jamming the signal wires at Baudpur station. Due to failure of signals, the S.M. was able to detect it and stop the train at the outer signal.

(c) Yes. Two cases were registered at Balasore Government Railway Police Station vide case Nos. 14 & 15 under section 126 Indian Railways Act and u/s 128 Indian Railways Act and are under investigation. Supdt. Rly. Police is personally supervising the investigation.

(d) Three railway employees have been arrested on suspicion.

मरमुगाओ में नाविकों के लिये भरती केन्द्र

२५९४. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मरमुगाओ में नाविकों के लिये एक भर्ती केन्द्र स्थापित करेगी क्योंकि अधिक संख्या में भर्ती गोआ से होती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोहोल रेलवे स्टेशन

२५९५. **श्री सोनावने** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर मोहोल रेलवे स्टेशन ३१ मार्च, १९६४ को आग से नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो आग से कितनी क्षति हुई ; और

(ग) अब किस प्रकार का स्टेशन बनाया जायेगा, निर्माण के आरम्भ होने और पूरा होने की तिथि क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जी, हां । आग से स्टेशन की इमारत को कुछ क्षति पहुंची । इसके अतिरिक्त फ़र्नीचर, पुस्तकों, स्टोर, पार्सलों, सिगनल और बेतार के उपकरणों को भी क्षति पहुंची । क्षति का अनुमान लगभग २१,५०० रुपये लगाया जाता है ।

(ग) स्टेशन की नई इमारत में एक तीसरी श्रेणी का प्रतीक्षालय, स्टेशन मास्टर का कार्यालय पार्सल कार्यालय, रिकार्ड रूम और उच्च श्रेणी का प्रतीक्षा कक्ष होगा । एक आयल रूम स्टेशन की इमारत से पृथक होगा । निर्माण-कार्य अप्रैल, १९६४ के दूसरे सप्ताह में शुरू हुआ और इसके मई, १९६४ के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

मध्य रेलवे का चोला बिजली घर

२५९६. **श्री र० ना० रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के चोला बिजली घर में 'स्टीम' अथवा 'रबल' कोयला तोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है ;

(ख) जैसाकि अन्य तापीय संयंत्रों में होता है, इसमें कोयले का चूरा (स्लैक कोल) इस्तेमाल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न खानों में जमा कोयले के चूरे (स्लैक कोल) को कम करने के लिये उसका इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चोला बिजली घर में सामान्यतः 'रबल' कोयला तोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ख) बिजली घर में ब्वायलर धूल रहित 'रबल' कोयला जलाने के लिये बनाये गये हैं । क्योंकि कोयले के चूरे में धूल की मात्रा काफी होती है, इसको इन ब्वायलरों में जलाने के लिये ठीक नहीं समझा गया क्योंकि अधिक धूल से खराबी पैदा हो जाती है और ब्वायलर की ट्यूब और धुआं निकलने का रास्ता बन्द हो जाता है और उत्पादन में कमी हो जाती है ।

(ग) जी, नहीं । इन ब्वायलरों में कोयले के चूरे के इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दोरणकल-खम्मम रेलवे लाइन

२५९७. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोरणकल और खम्मम के बीच दोहरी लाइन पर लाक और ब्लाक उपरकरण लगा दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ये कब लगाये जायेंगे ; और

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० व० रामस्वामी) : (क) से (ग). नयी दूसरी लाइन को पहले केवल माल यातायात के लिये धीमी लाइन के रूप में खोला गया है । पुरानी लाइन पर दोनों ओर से तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं । लाक और ब्लाक उपकरण लगाने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब कि नया बनाया गया बांध तेज रफ्तार सवारी और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये उपयुक्त सिद्ध हो सके ।

व्यावहारिक आहारपुष्टि कार्यक्रम

२५९८. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्यों में व्यावहारिक आहारपुष्टि कार्यक्रम की क्रियान्विति इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) क्या योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जावे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व्यावहारिक आहारपुष्टि कार्यक्रम नौ राज्यों और एक संघ राज्य-क्षेत्र में १७९ खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२७९८/६४]**। अन्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में इस के चालू वर्ष में आरम्भ हो जाने की आशा है। आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया है। केरल, मध्य प्रदेश, मसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश ने भी, जहां यह कार्यक्रम नवम्बर, १९६३ में आरम्भ किया गया था, प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है।

ब्लाकों/प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि आवश्यक उपकरण दे रही है।

(ख) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ हस्ताक्षरित अखिल भारत वृहत् कार्य योजना की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

आदिमजातीय स्थिति ज्ञान

२५९९. **श्री गोकुलानन्द महन्तो** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री आदिम जातीय स्थिति ज्ञान और अध्ययन की योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि इन अध्ययन केन्द्रों में केवल ब्लाक कर्मचारियों को अथवा केवल नये भर्ती हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७९९/६४]**।

खंडों में काम नियोजित और आदिम जातीय विकास खंडों में काम कर रहे अथवा नियुक्त किये जाने वाले कुछ विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों को ही आदिमजातीय स्थिति ज्ञान और अध्ययन केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। नये भर्ती हुए व्यक्तियों को नहीं भेजा जाता।

डाक और तार कर्मचारी

२६००. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग ने उड़ीसा में वर्ष १९६३–६४ में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कितने कितने व्यक्ति हैं ?

डाक और तार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) १८३।

(ख) क्रमशः ३० और २६।

Theft of goods at Marufganj Station

2601. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Gokarn Prasad:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four masked persons raided a parcel godown at Marufganj Railway Station in the eastern area of Patna and excaped with goods worth about 12 thousand rupees and a porter was injured as a result of firing.

(b) if so, the action taken by Government in the matter; and

(c) the number of persons arrested in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawas Khan): (a) Yes. The correct position is that 4 manked men raided the office of the Head Goods Clerk of Patnaghat station and not at Marufganj and escaped with goods earnings amounting to Rs. 12,502/- at 20-00 hr. on 10-4-1964. A porter was injured in the thigh as a result of firing.

(b) and (c). On hearing the alarm Head Rakshak and Rakshak, R.P.F. who were on duty rushed to the spot, but the robbers escaped meanwhile. Within half an hour of the inciddnt the local police and Government Rly. Police of Patna City arrived at the spot and took up investigaion. The police have registered a case U/s 394 I.P.C. and investigation is in progress unaer the supervision of the Superintendent, Railway Police. State Police dogs were used. Four persons have so far been arrested on suspicion.

मेसर्ज अकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी

२६०२. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या परिवहन मंत्री ७ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज़ आर० अकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को अधिक जहाज खरीदने के लिये कोई और ऋण दिया गया है ; यदि हां तो उस का ब्योरा क्या है ;

(ख) अब तक कितनी किश्तें देय हुई हैं और इस फर्म ने इन किश्तों पर कितना धन चुकाया है ;

(ग) क्या इस फर्म ने बैंक गारन्टी दी है ;

(घ) क्या इस फर्म ने बाहर से भी कोई ऋण लिया है ; यदि हां, तो कितनी रकम ली है ; और

(ङ) इस फर्म के निदेशक बोर्ड में नौवहन विकास निधि समिति के प्रतिनिधि कौन हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस कम्पनी को क्रमशः नवम्बर, १९६२ और दिसम्बर, १९६३ में अधिक जहाज खरीदने के लिये ३० लाख और १२ लाख रुपये के दो ऋण दिये गये।

(ख) इन दो ऋणों के बारे में अभी मूल राशि की कोई किश्त देय नहीं हुई है। तथापि यह कम्पनी ऋण करार के अनुसार ३० जून और ३१ दिसम्बर को हर छठे महीने नियमित रूप से ब्याज देती रही है।

(ग) इस फर्म ने ३० लाख रुपये के ऋण के बारे में बैंक गारन्टी दे दी है। १२ लाख रुपये का ऋण कम्पनी द्वारा अन्य जहाजों को बन्धक रख कर लिया गया है।

(घ) सरकार को इस का पता नहीं है।

(ङ) भारतीय नौवहन समवायों के निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशक इस फर्म के निदेशक बोर्ड में नौवहन विकास निधि समिति के नामांकित सदस्य हैं।

कोयले की भाड़ा दरें

२६०३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान भारतीय कोयला-खान मालिक संस्था के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर आकृष्ट किया गया है कि विभिन्न किस्म के कोयले और कोक के लिये विभिन्न भाड़ा दरें लागू की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सुझाव को स्वीकार्य नहीं समझा गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बर्मा सरकार द्वारा बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न कठिनाइयां

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "बर्मा सरकार द्वारा बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न स्थिति और उनकी सम्पत्ति को भारत लाने तथा उन के भारत आने के रास्ते में पैदा की गई कठिनाइयां।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): बर्मा में भारतीयों की स्थिति के बारे में हाल की खबरों से भारत में कुछ चिंता हो गई है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :

बर्मा की वर्तमान क्रान्तिकारी सरकार समाजवाद की पक्षपाती है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये वह बहुत से क़दम उठाती रही है। बैंक, आयात-निर्यात, व्यापार तथा आर्थिक क्रिया-

कलाप के अन्य क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । इस दिशा में पिछले एक महीने में जो कदम उठाया गया है, वह है—बहुत बड़ी संख्या में दुकानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना । ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन में तीन हज़ार दुकानें भारतीयों की हैं । दुकानों के राष्ट्रीयकरण का करीब ५०,००० भारतीयों पर असर पड़ा है जिन में लगभग ६ करोड़ रुपये की परिसंपत्ति होने का अनुमान है । बर्मा सरकार ने राष्ट्रीकृत दुकानों का मुआवज़ा देने का वायदा किया है ।

इस तरह की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप और बर्मा से भारत में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनके तथा भारत को धन भेजने की कठिनाइयों के कारण भी बहुत से भारतीयों ने बर्मा से चले आने का निश्चय किया है । १९६३ में करीब २५ हज़ार लोग वहां से चले आए थे । इस वर्ष इस से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना है । स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से कुछ समस्यायें और कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं । मिसाल के तौर पर, जितने लोग भारत आना चाहते थे उन के लिए परिवहन का जो प्रबंध किया गया वह आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम था । इस समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार इस वर्ष के मध्य में रंगून और मद्रास के बीच तीन जहाज़ चलाने का प्रबन्ध कर रही है । रंगून और कलकत्ता के बीच हवाई सेवायें भी बढ़ाई जा रही हैं । जो लोग पूरा किराया नहीं दे पायेंगे उन के लिये किराये में भी काफ़ी कमी कर दी जायगी । जो लोग किराया कतई न दे सकेंगे उन्हें मुफ़्त आने दिया जायेगा ।

बहुत से भारतीयों को अपनी यात्रा के ज़रूरी कागज़ात हासिल करने के लिये बर्मा में रुकना पड़ता है, चाहे उन के पास रहने के लिए आमदनी का कोई ज़रिया या जमा पैसा हो या न हो । यद्यपि ये लोग सदा के लिये बर्मा से वापस आ रहे हैं फिर भी, वे अपनी गाढ़ी कमाई को साथ लाने में अधिकाधिक कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं । इन सब बातों से उन्हें वाकई तकलीफ़ उठानी पड़ती है ।

इस समस्या की गंभीरता के प्रति भारत सरकार पूरी तरह सचेत है । बर्मा से आने वालों के लिए सीमाशुल्क (कस्टम) के नियमों में ढील दे दी गई है ; जिन लोगों को फिर से बसाने की ज़रूरत होगी, उन के लिए इस दिशा में कार्रवाई की जायेगी । बर्मा की सरकारी नीति का जिन भारतीयों पर असर पड़ा है, उन्हें सहायता पहुंचाने के लिये रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास बर्मा की क्रांतिकारी सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

मैं यह बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कार्यवाही बर्मा की सरकार द्वारा विशेष तौर पर भारतीयों के विरुद्ध नहीं की गयी है । यह बर्मा में सभी विदेशियों पर लागू होती है ।

श्री प्र० के० देव : क्या भारत सरकार ने बर्मा की क्रांतिकारी सरकार से कहा है कि वह वहां से आने वाले भारतीयों की सम्पत्ति को भी यहां आने दें और उन्हें उचित प्रतिकर दें, और क्या सरकार बर्मा से आने वाले भारतीयों को भारतीय नागरिकता के अधिकार देने के लिये संविधान के अनच्छेद ९ का संशोधन कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जो प्रतिबन्ध बर्मा में विदेशियों पर लगाये गये हैं, वह उन भारतीयों पर लागू नहीं होते जो वहां के नागरिक बन चुके हैं । हम बर्मा सरकार से बात कर रहे हैं । उन्होंने पहले

ही वचन दिया है कि राष्ट्रीयकृत व्यपार के लिये पूरा मुआवजा दिया जायेगा । वहां से भारतीयों के वापस लाने के बारे में बर्मा सरकार से बातचीत करनी होगी ।

श्री रामभद्रन (कडलर) : क्या यह सच है कि ताली को भी, जोकि सोने की बनी होती है, बर्मा से लाने नहीं दिया गया और सरकार ने क्या उस विषय में बर्मा की सरकार से कहा है ?

श्री दिनेश सिंह : समाचारपत्रों में यह खबर छपी थी कि एक स्त्री गहनों के साथ भारत आना चाहती थी । चूंकि आभषणों के बाहर ले जाने के बारे में वहां प्रतिबन्ध हैं इसलिए उन्हें कहा गया कि वह आभूषण उतार कर जाये । आभूषण उतारते हुए उस स्त्री को घाव आ गया था ।

श्री कोया (कोजीकोड) : जब बर्मा में राष्ट्रीयकरण हो रहा था और लोग कठिनाई में थे क्या हमारे राजदूत रंगून में उपस्थित थे ?

श्री दिनेश सिंह : इस समय हमारा कोई राजदूत वहां पर नहीं है । परन्तु शीघ्र ही अपना राजदूत वहां भेजने का हमारा विचार है ।

श्री मुत्तु गोंडर (तिरुपत्तूर) : क्या सरकार इस विषय में अपनी ओर से प्रयत्न करेगी कि वहां से स्त्रियों को तालियां लाने दी जायें, चूंकि यह आभूषण पवित्र माना जाता है ?

श्री दिनेश सिंह : हम यह बात बर्मा सरकार के ध्यान में लायेंगे ।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक बर्मा से कितने भारतीय भारत वापस लाये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : ७,००० व्यक्ति आ चुके है ।

श्री राजा राम : क्या सरकार का विचार बर्मा में स्थिति का अध्ययन करने के लिये ए संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का है ?

श्री दिनेश सिंह : स्थिति का अध्ययन हो चुका है । अब प्रश्न वहां से भारतीयों को वापस लाने का है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या सरकार कोई निश्चित तिथि बता सकती है जब तक कि वहां से सभी भारतीयों को भारत वापस लाना सम्भव हो सकेगा ? और जब तक वह लोग बर्मा में हैं तब तक उन के खान पान एवं आवास के लिये क्या कोई प्रबन्ध किया जायेगा या बर्मा सरकार से ऐसे प्रबन्ध करने के लिये कहा जायगा ?

श्री दिनेश सिंह : कोई निश्चित समय निर्धारित करना कठिन है । परन्तु वहां से तीन जहाज आ रहे हैं । हवाई सेवा और बढ़ा दी गयी है । किराये में कमी कर दी गयी है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सरकार इस बारे में जांच कर रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय मन्त्री की ओर से प्रश्नों की उपेक्षा की जा रही है । श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान और चीन सभी द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है । तो हम यहां किस लिये बैठे हैं ?

श्री ह० प० चटर्जी : हमने स्वयं देखा है कि वहां भारतीयों के पास न तो खाने की वस्तुयें हैं और न आवास स्थान ।

श्री रंगा : यह बताया जाना चाहिए कि वहां से भारतीयों को कब तक भारत वापस लाया जा सकेगा और इस बीच में क्या उन्हें सभी वांछनीय सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बर्मा से भारतीयों को वापस लाने के लिये विशेष जहाज भेजे गये हैं और हवाई जहाज भी भेजे गये हैं । इस बीच में लोगों को सहायता दी जा रही है । **(अन्तर्बाधायें)** परन्तु माननीय सदस्य को मालूम है कि यह समस्या एक विदेशी राज्य की है । जो कानून उन्होंने बनाये हैं वह सभी विदेशियों के लिये बनाये गये हैं ।

श्री मी० ह० मसानी (राजकोट) : जो लोग वहां बेघर हो गये हैं क्या उन्हें खुराक और आवास की सुविधा हमारे दूतावास की ओर से दी जायगी ?

श्री दिनेश सिंह : हम यथासम्भव सब प्रबन्ध करेंगे ।

श्री ह० प० चटर्जी : हमने स्वयं देखा है कि हजारों लोग वहां मर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह बात सुन कर आश्चर्य हो रहा है । यह कथन सत्य पर आधारित नहीं है ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : क्या सरकार कोई निश्चित समय बता सकती है जब तक कि जो भारतीय वहां से आना चाहते हैं उन्हें भारत वापस लाया जा सकेगा, और उनकी सम्पत्ति के मुआवजे आदि के लिये भी क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती चूंकि लोग वापस आने के बारे में समय समय पर निर्णय लेते हैं ।

मुआवजा देने के बारे में बर्मा की सरकार ने आश्वासन दिया है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Have the Government come to know through its diplomatic sources that the attitude of the Burma Government has changed ever since the collusion between Pakistan and China occurred, and that the Indians are being turned out from Burma as a result of that ?

Shri Dinesh Singh: This problem has no relation to that. Even Chinese who are not citizens of Burma, are subject to the same restrictions.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या भारतीयों को अपनी सम्पत्ति के बदले में पूरा मुआवजा दिया जायगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार जो भारतीय भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भारतीय नागरिकता के अधिकार देने के लिये क्या कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों पर बाद में विचार किया जायेगा । मुआवजे के बारे में बर्मा सरकार से कह दिया गया है । यह सब बातें मन्त्री बता चुके हैं ।

श्री दाजी (इन्दौर) : इसका क्या कारण है कि गत ७ सालों से बर्मा में कोई भारतीय दूत नहीं हैं और अब राजदूत भेजने के सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : यह ठीक है कि हमारे राजदूत वहां पर नहीं हैं। अब हम एक व्यक्ति को भेज रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: (Kotah) : Shall the Government of India 25 per cent. of the compensation to those coming from Burma, as it had done in the case of refugees who came from Pakistan ?

Mr. Speaker: Let us first see what the Burma Government do for them. The hon. Members should wait a litle whlile more.

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : भारतीयों के बर्मा से आने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : राज्य सरकारों की ऋण आदि देने की कई योजनायें हैं जो बर्मा से आने वालों पर लागू होंगी।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मैं जानना चाहता हूं कि भारतीयों को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि उन्हें हानि नहीं होगी चूंकि उन्हें पैसा मिल जायेगा।

श्री कन्डप्पन (तिरुवेंगोड) : क्या वहां से आने वाले भारतीयों को यात्रा दस्तावेजों के सिलसिले में कुछ कठिनाइयां होती हैं, यदि हां, तो सरकार उस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : कुछ लोगों को कठिनाइयां पेश आई थीं परन्तु हमारा दूतावास यथासम्भव उनकी सहायता करता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मोटरगाड़ी अधिनियम १९३९ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन मंत्रालय में नौवहनमंत्री (श्री राज बहादुर): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ अक्तूबर, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/६४/६२-पी० आर० (टी)।

(दो) दिनांक १४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८६९ में प्रकाशित अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग (संशोधन) नियम, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-२७८५/६४]

श्री प्रिय गुप्त : मुझे अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : केवल हस्ताक्षरकर्ताओं को अवसर मिलते हैं । आप हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : आपने पहले कहा था कि अन्य सदस्यों को भी अवसर दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

चीन सरकार का नोट तथा उसका भारत सरकार द्वारा उत्तर

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं श्रीमती लक्ष्मी मेनन की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(१) दिनांक २३ मार्च, १९६४ का चीन सरकार का नोट ।

(२) दिनांक २५ अप्रैल, १९६४ का भारत सरकार का उत्तर ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-२७८६/६४]

उर्वरक नियंत्रण के बारे में अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, १९५७ और उर्वरक (लाने ले जाने पर नियन्त्रण) आदेश, १९६० को गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू करने वाली दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११३७ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७८७/६४ ।]**

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११३८ में प्रकाशित उर्वरक (नियन्त्रण) पहला संशोधन आदेश, १९६४ ।

(ख) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११३९ में प्रकाशित उर्वरक (लाने ले जाने पर नियन्त्रण) पहला संशोधन आदेश, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-२७८८/६४]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १६ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३५ में प्रकाशित राजस्थान (चावल आयात प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६४ ।

(दो) दिनांक १६ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३६ में प्रकाशित महाराष्ट्र तथा गुजरात चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९६४।

(तीन) दिनांक २५ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६४।

(चार) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६६ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (लाने ले जाने पर नियन्त्रण) आदेश, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७८९/६४]

विधेयक पर रायें

OPINIONS ON BILL

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : मैं भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक के बारे में जो, १३ सितम्बर, १९६३ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या २ सभा पटल पर रखती हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सचिव, राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २१ अप्रैल, १९६४ को पास किये गये वित्त विधेयक १९६४ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

छप्पनवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं सरकारी उपक्रमों—प्रपत्र तथा संगठन सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के अस्सीवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का छप्पनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या १०३६ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 1036

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): १४ अप्रैल, १९६४ को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न संख्या १०३६ के उत्तर मे, मैंने बताया था कि मिल के आटे का मूल्य १६·५० रुपये प्रति मन बैठता है। परन्तु बेलन आटा मिलों में तैयार किये गये आटे का मिल पर मूल्य परिनियम द्वारा ४२·०१ रुपये प्रति क्विंटल अथवा १५·६८ रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार बेलन मिलों में तैयार किये गये आटे का मूल्य आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं वृहद बम्बई मे १४·९२ रुपये प्रति मन है और अन्य राज्यों में १४·६७ रुपये प्रति मन है।

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक--जारी

CONSTITUTION (SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री विभुधेन्द्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी; अर्थात :--

> "कि भारत के संविधान मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर,संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप नें, विचार किया जाय।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चूंकि संविधान (अटठारहवां संशोधन) विधेयक वापस लिया जा रहा है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रंगा (चित्तूर) : मेरा भी अनुरोध है कि इस विधेयक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : खंडवार विचार करते समय इस बारे में विचार करेंगे।

विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन): इस विधेयक का उद्देश्य केवल यह है कि न्यायिक पर्वचन के कारण भूमि सुधार सम्बन्धी विधान बनाने में राज्यों के मार्ग में जो बाधा है उसे दूर कर दिया जाय। राज्यों के जो भूमि सुधार सम्बन्धी जो विधान हैं या उनको जिस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है इस विषय में चर्चा करना प्रस्तुत विधान की सीमा से परे है।

श्री कृपलानी (अमरोहा) : माननीय मन्त्री कैसे कह सकते हैं कि इस विधेयक का सम्बन्ध राज्यों के भूमि सुधार सम्बन्धी विधानों से नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो यह विधान लाया ही क्यों गया है।

श्री अ० कु० सेन : 'सम्पदा' शब्द की सीमित परिभाषा के कारण जिस विधान को मान्यता दी जायेगी या जिस विधान को अमान्य घोषित किया जायगा उसके बारे में तो चर्चा हो सकती है, परन्तु भूमि सुधार सम्बन्धी सामान्य बातों पर चर्चा नहीं हो सकती।

अब हमारे सामने दो प्रश्न हैं। एक यह कि क्या 'सम्पदा' शब्द की परिभाषा को अधिक विस्तृत बनाना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न यह है कि स्थानीय कानूनों के अनुसार कुछ प्रकार की भूमियों को सम्पदा माना ही नहीं जा सका, जिसके फलस्वरूप राज्यों के विधान अमान्य घोषित हो चुके हैं।

सारे देश में रैयतवाड़ी बन्दोवस्त की भूमि सुधार की सीमा में लाया गया है, परन्तु मद्रास की पुरानी विधियों के अधीन जो रैयतवाड़ी बन्दोबस्त हैं उनको इसकी सीमा मे नहीं लाया जा सका चूंकि उनको सम्पदा माना ही नहीं गया। श्री रंगा चाहते हैं कि इन लोगों की भूमि, भूमि सुधार की सीमा में न लायी जाये। परन्तु सारे देश में रैयतवाड़ी बन्दोबस्त को इसकी सीमा में लाया गया है तो इस क्षेत्र के लोगों की भूमि को क्यों इसकी सीमा में न लाया जाय। यह बात सर्वथा अनुचित होगी। इसलिये यदि 'सम्पदा' शब्द की परिभाषा को अधिक विस्तृत न किया गया तो यह बात भूमि सुधार के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध होगी ?

दूसरा प्रश्न इन विधियों को अन्य प्रयोजनों के लिये सम्मिलित करने का है चूंकि कई विधान इसलिये रद्द कर दिये गये हैं कि जिन सिद्धान्तों के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी वह संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुकूल नहीं हैं, अर्थात उनसे सीमा निर्धारित करने में भेदभाव होता है।

हमने संयुक्त समिति में संगत उपबन्ध और वह कारण परिचालित किये हैं जिनकी वजह से हमें इन्हें ९वीं अनुसूची में लाना पड़ा है, चूंकि अन्यथा अनुच्छेद १४ और १९ के अनुसार जो इनकी आलोचना की गयी उससे इन्हें बचाया नहीं जा सकता।

इस विधेयक का सिद्धान्त उच्चतम सीमा से अधिक भूमि को वास्तविक काश्तकारों में निर्धारित सीमा के अनुसार बराबर वितरण करना है। हमने एक संरक्षण की व्यवस्था की है जिससे निर्धारित उच्चतम सीमाओं तक की भूमि को किसी भी अन्य सम्पत्ति की भांति अर्जित किये जाने से बचाया जा सकेगा। यदि लोक-कार्य के लिए भूमि का अर्जन करना आवश्यक होगा तो भूमि के मालिकों को बाजार भाव से मूल्य देकर भूमि को लिया जा सकेगा।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : पर्याप्त प्रतिकर तभी दिया जायेगा जब भूमि का मालिक स्वयं अपनी भूमि पर खेती करता हो।

श्री अ० कु० सेन : भूमि सुधार योजना के सिद्धान्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा। अतः स्वाभाविक है कि पर्याप्त प्रतिकर उसी भूमि के अर्जन के लिए दिया जायेगा जिस पर भूमि का मालिक स्वयं खेती करता हो।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए परिवार की कृत्रिम परिभाषा देकर इसके वास्तविक सदस्यों में भेदभाव पैदा करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अ० कु० सेन : कई राज्यों में प्रायः यह देखा गया है कि लोग भूमि की उच्चतम निर्धारित सीमा से बचने के लिये दायभाग परिवार वाले भूमि को अपने परिवार के वास्तविक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से यह परिभाषा दी गई है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा।

श्री अ० कु० सेन : मैं समझता हूं कि इसमें भ्रम की कोई गुंजायश नहीं है। इससे सहमत होने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इस परिभाषा को कार्य रूप दिये जाने से हमें काफी भूमि मिल सकेगी और यह अधिक से अधिक संख्या में किसानों मे बांट दी जायेगी। हमने भूमि की उच्चतम सीमा सिद्धान्त तथा देश की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित की है।

यदि वास्तव में, जैसा कि कहा गया है, कुछ अधिनियमों में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनका भूमि सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं है तो मैं इस विधेयक पर खंडवार विचार करते समय जो उचित होगा करने के लिये तैयार हूं। मैं इस सम्बन्ध मे व्यापक दृष्टिकोण से काम करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर सभा में मत विभाजन होगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : बहुत से सदस्य, तीन महत्वपूर्ण समितियों के लिये चुनाव में मतदान करने के लिये गये हुए हैं।

श्री मी० रु० मसानी : सभा में मत विभाजन इसी समय होना चाहिए। इसको स्थगित करने का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य आपत्ति करते हैं तो मत विभाजन अभी होगा।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी बताया गया है कि मतदान रिकार्ड करने वाली मशीन में कुछ खराबी के कारण मत विभाजन ठीक नहीं हो पाया है। अतः माननीय सदस्यों को पर्चियां बांटी जायें और सदस्य पर्चियों द्वारा मतदान कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। नियम ३६७ में पर्चियों द्वारा मतदान की कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इस पर सही मतदान होना चाहिए पर्चियों द्वारा मतदान में सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अ० कु० सेन : मैं समझता हूं कि मत विभाजन घंटी ने भी अपना काम नहीं किया।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने दोनों पक्षों की बात सुनकर मत विभाजन का निर्णय किया। नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : पहिले दोनों पक्षों ने मुझे बताया था कि सदस्य लोग समितियों के लिए चुनाव में मतदान के लिए गये हैं। अतः इसमें नियम उल्लंघन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री सत्य नारायण सिंह : रेलवे मन्त्री महोदय का कहना है कि वह मतदान के लिये गये हुए थे उन्होंने भी घंटी नहीं सुनी।

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में २०६	विपक्ष में १९
Ayes 206	Noes 19

चूंकि संविधान के अनुसार आवश्यक सभा की समस्त सदस्य-संख्या का बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है इसलिए प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

श्री अ० कु० सेन : अवशिष्ठ खण्ड के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार आप नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी विशेष स्थिति के संबंध में आवश्यकतानुसार कोई अन्य निदेश भी दे सकते हैं । इस मामले में मशीन में खराबी आ गई थी । कई सदस्यों को घण्टी की आवाज नहीं सुनी थी । आप चाहें तो उन सदस्यों से पूछ सकते हैं जो सभा से बाहर अन्य स्थानों में थे । यह सच है कि मत विभाजन के बारे में घण्टी द्वारा ही सदस्यों को सूचना दी जाती है परन्तु घण्टी बजी ही नहीं । क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम यह कह सकें कि सभा की इच्छानुसार ही मतदान हुआ है ? बहुत से विरोधी दल के सदस्य अब भी आ रहे हैं आप देख सकते हैं ।

श्री दाजी (इन्दौर) : घण्टी नहीं बज रही थी ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : घण्टी नहीं बजी ।

श्री अ० कु० सेन : प्रक्रिया संबंधी निम्नलिखित नियमों से यह स्पष्ट है कि कोई विशेष स्थिति पैदा हो जाने से अध्यक्ष महोदय को दुबारा मत विभाजन करा सकने का अधिकार है । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करके फिर से मत विभाजन करायें क्योंकि सदस्यों को घण्टी न सुनाई देने के कारण वे मतदान के लिए सभा में नहीं आ सके । ये नियम इस प्रकार हैं :

नियम ३६७(३) (क) : यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाय, तो वह "विभाजन" किये जाने का आदेश देगा ।

उप-नियम (ख) : दो मिनट बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि आया उसकी राय में "हां" वाले जीत गये या "ना" वाले ।

उप-नियम (ग) : यदि इस प्रकार घोषित राय को यदि पुनः चुनौती दी जाये, तो वह निदेश देगा कि स्वचालित मतदान यंत्र को चलाकर अथवा सदस्यों द्वारा सभा कक्ष में जाकर मतदान किया जाये ।

नियम १५५ : यथास्थिति, प्रत्येक खण्ड या अनुसूची, अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची सभा के मत के लिये अलग अलग रखी जायेगी और विधेयक का अंग बन जायेगी यदि वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाये ।

नियम १५८ : जब कभी कोई प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत किया जाना हो तो मतदान विभाजन द्वारा होगा ।

[श्री अ० कु० सेन]

अतः यदि मतदान का परिणाम बतलाये कि सभा की समस्त सदस्य-संख्या का बहुमत, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है तो अध्यक्ष परिणाम विघोषित करते हुए कहेगा कि प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

दूसरे सब प्रकाशनों में इन नियमों मे अन्य विधेयकों के संबंध में दी गई प्रक्रिया लागू होगी।

श्री दाजी : लगभग ८० सदस्य मतदान के लिए कमरा संख्या ६३ में उपस्थित थे। वहां किसी को भी घण्टी नहीं सुनाई दी। आपने मत विभाजन का समय १ बजे रखा था। हम लोग मतदान के लिये भाग्रे चले आये। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मत विभाजन के लिए सदस्यों को बुलाने के लिये अन्य स्थानों पर भी घण्टी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री क० च० रेड्डी (चिकबल्लापुर) : हम लोग समिति के चुनाव के लिये मतदान के लिए गये थे। वहां हमें घण्टी नहीं सुनाई दी।

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : हम लोग मत विभाजन घण्टी की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मत विभाजन का समय दिया था। घण्टी नहीं सुनाई देने पर ठीक एक बजे हम लोग दौड़ कर सभा की ओर चले आये किन्तु सभा के दरवाजे बन्द होने के कारण हम अन्दर प्रवेश नहीं कर सके। मेरे विचार से किसी भी सदस्य को यंत्र की खराबी का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। ..... .

Shri Sheo Narain (Bansi) **:** I submit that we did not hear the bell. There was failure on the part of mechanical contrivance.

श्री फ० गो० सेन (पूर्निया) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। क्या एक समय दो स्थानों पर मतदान हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में जो कुछ भी हुआ वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किन्तु तथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। मैं इस घटना के लिये संसद् की पद्धति का त्याग नहीं कर सकता हूं। मैंने मंत्री महोदया से पूछ कर सदस्यों को सूचित कर दिया था कि विधेयक पर १ बजे मतदान होगा। मैं मानता हूं कि घण्टी नहीं सुनाई दी, किन्तु इससे मत विभाजन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। सदस्यों का यह कहना कि वे घण्टी नहीं सुनाई देने के कारण मतदान में नहीं आ सके उचित नहीं है। यह सचेतकों (ह्विप) का कार्य है कि वे अपने दल के सदस्यों को मतदान के लिए उचित समय पर सभा में उपस्थित होने को कहें। मैं सभा द्वारा स्वीकृत किये गये मत विभाजन मे हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (EIGHTEENTH AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सरकार संविधान (अट्ठारहवां) संशोधन विधेयक पर आगे विचार नहीं करना चाहती है। इसलिये मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

मैं इस संबध में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि यह सच है कि इस विधेयक से सरकार के अभिप्राय अथवा विधेयक के क्षेत्र के बारे में कड़ा मतभेद पैदा हो गया है, किन्तु यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हम एक समस्या का रूप दें । फिर भी सरकार उचित समय पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके विचार करेगी कि क्या संकट काल में काम कर रहे अधिकारियों को अपना कार्य सुचारु रूप से करने के लिए कोई संरक्षण दिये जने चाहियें या नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मेरा एक औचित्य प्रश्न है। नियम ११० के अनुसार मंत्री महोदय को कोई विधेयक वापिस लेते समय सभा की अनुमति लेनी पड़ती है :

अध्यक्ष महोदय : इस समय वह केवल उस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। यदि वह इसे वापिस लेना चाहेंगे तो सभा की अनुमति मागेंगे ।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक

OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग देश के संसाधनों से ट्रोल तथा प्राकृतिक गस की खोज तथा उसे निकालने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वर्ष १९६२ मे भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने से तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कारण तेल निकालने वाले समवायों के लिए भूमि का अर्जन करने मे काफी कठिनाई हो रही है और इसमें समय भी काफी लगता है। इस संशोधनकारी विधेयक मे यह उपबन्ध किया गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये भूमि का अर्जन भूमि

[श्री हुमायून कबिर]

अर्जन अधिनियम की किसी भी धारा के अन्तर्गत किया जा सकता है क्योंकि यह लोक कार्य के लिये है । इससे आयोग का कार्य तीव्र गति से हो सकेगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार को सभा को बताना चाहिये कि आयोग को कुल कितनी भूमि की आवश्यकता होगी । यह भूमि क्या राज्य सरकार द्वारा अर्जित करके आयोग को दी जायेगी । सभा को यह जानकारी दी जानी चाहिये कि सरकार किस प्रकार भूमि का अर्जन करना चाहती है और क्या भूमि के लिये प्रतिकर भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दिया जायेगा । किसानों को दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि की दर क्या होगी ?

श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : भूमि अर्जन करने में आयोग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वही कठिनाइयां अन्य औद्योगिक समवायों के सामने भी आ रही हैं जो देश के औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। सरकार कृषि पर निर्भर व्यक्तियों को उद्योगों की ओर लाना चाहती है ताकि कृषि पर कम भार हो । अतः यह आवश्यक है कि समवायों द्वारा भूमि अर्जन के लिये भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करके कुछ रियायत दी जानी चाहिये ताकि समवाय बिना रुकावट के औद्योगिक विकास के कार्य को तेजी से कर सके। औद्योगिक विकास देश की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए अनिवार्य है ।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को छिद्रण कार्य के लिये भूमि दिया जाना देश की प्रगति की दृष्टि से बहुत जरूरी है। कई बार इस आयोग के ट्रक आदि खेतों में से हो कर जाते हैं जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि आयोग को किसानों की हुई क्षति का तुरन्त निर्धारण करा कर उनको वह राशि उपलब्ध करानी चाहिये । जब तक क्षति पहुंचाई गई भूमि आयोग द्वारा अर्जित नहीं की जाती है तब तक किसानों को हुई हानि का उचित मूआवजा दिया जाना जरूरी है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : देश की औद्योगिक प्रगति के लिये पैट्रोरसायन उद्योग का विकास करना जरूरी है । आशा है मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस बारे में जो कार्यवाही की जा रही है, उस पर प्रकाश डालेंगे । वर्तमान धारा २४ त्रुटिपूर्ण है और उस त्रुटि को दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है । इस विधेयक के पास हो जाने से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भूमि अर्जित करने में कोई कठिनाई पेश नहीं आयेगी । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। सरकारी कार्य के लिये आवश्यक भूमि अर्जित की जानी चाहिये। परन्तु जैसा माननीय सदस्य श्री पु० र० पटेल ने कहा है जिन लोगों की जमीनें ली जायें, उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये। गोदावरी और कावेरी क्षेत्र में तेल के होने की बहुत संभावना है। गोदावरी क्षेत्र का भू-तत्वीय सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और परिणाम काफी संतोषजनक रहे हैं। । इसलिये मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उस क्षेत्र का शीघ्र ही भूकम्पीय सर्वेक्षण भी कराया जाये। राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक विकास की दृष्टि से ऐसा करना बहुत जरूरी है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : किसी परियोजना को अतिन्म रूप दिये जाने से पहले जमी अर्जित नहीं की जानी चाहिये ताकि सरकारी पैसे का अपव्यय न हो और लोगों को भी कोई असुविधा न हो। जिन लोगों की जमीनें ली जायें, उनको राज्य सरकारों के रहम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। उनको मुआवजा समय पर तथा बाजार भाव के हिसाब से नहीं दिया जाता है। उचित मुआवजा प्राप्त करने में उन्हें काफी मुसीबत उठानी पड़ती है। अतः केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे उन लोगों को समय पर तथा बाजार भाव पर मुआवजा प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। इस विधान के अन्तर्गत जिनकी भूमि अर्जित की जानी है, उनमें से अधिकांश काश्तकार हैं। इसलिये कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिससे उन लोगों को भूमि से बेदखल करने से पहले कोई रोजगार दिया जा सके। इसलिये उनको वहीं पर कोई रोजगार देने के प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिये।

भूमि अर्जन प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाना चाहिये ताकि समय पर भूमि प्राप्त न होने के कारण परियोजना की कार्यान्विति न रुक सके।

श्री सं० चं० सामन्त (तामलूक) : सरकार को भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४, में संशोधन करना चाहिये ताकि अर्जित की जाने वाली भूमि का मुआवजा अर्जन के समय प्रचलित बाजार भाव पर दिया जा सके और उस समय के बाजार भाव पर नहीं जब कि अधिसूचना जारी की गई हो। कुछ समय पहले गाजियाबाद के कुछ किसानों ने भूमि अर्जन के मामले में प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिये प्रार्थना की थी और प्रधान मंत्री यह स्वीकार करने पर मजबुर हो गये थे कि जिस समय भुमि ली जाये उस समय के बाजार भाव पर ही उसके दाम दिये जायें। इसलिये भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में शीघ्र संशोधन किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लोगों को भूमि का पर्याप्त मुआवजा देना चाहिये। आयोग द्वारा तेल की खोज के लिये भूमि अर्जित करने में जो कठिनाई अनुभव की गई है, उसे दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। चीनी आक्रमण के बाद इस आयोग के कार्य का महत्व बहुत अधिक हो गया है। हम सब यही चाहते हैं कि आयोग के कार्यक्रम में कोई बाधा न आने पाये। गोदावरी घाटी में तेल तथा प्राकृतिक गैस का बाहुल्य है। अतः सरकार को उस घाटी का और आगे सर्वेक्षण करने के लिये दो भूकम्पीय दल भेजने चाहियें। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मुझे प्रसन्नता है कि भूमि प्राप्त करने में पेश होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। परन्तु कई बार ऐसा

[श्री पें० बैंकटासुब्बया]

होता है कि आयोग के कार्यकम को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप किसानों को काफी असुविधा होती है। किसानों की भूमि प्राप्त करने से पहले उनकी भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये और उन्हें भूमि का पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिये। उपकरणों की कमी के कारण खोज कार्य में कोई बाधा नहीं आने देनी चाहिये। गोदावरी तथा कावेरी क्षेत्र में आयोग को सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): देश के कुछ भागों का ठीक प्रकार से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ज्वालामुखी परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया है। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गहन सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है। हमें सारे देश में तेल तथा गैस का पता लगाना चाहिये ताकि देश में तेल और गैस की कमी पूरी हो सके। हमें पाकिस्तान से गैस प्राप्त करने की बजाय देश के गैस संसाधनों की खोज करनी चाहिये। काफी विदेशी कम्पनियां तेल आदि की खोज का काम कर रही हैं। आशा है कुछ समय पश्चात्, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपना जाल सारे भारत में बिछा देगा और हमें अधिक समय तक विदेशी कम्पनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देश के हित के लिये किये जाने वाले कार्य के लिये किसी भी देश भक्त को अपनी भूमि देने में संकोच नहीं करना चाहिये। १८९४ का भूमि अर्जन अधिनियम बहुत पुराना है और इसमें सुधार होना चाहिये। उस अधिनियम में दी गई प्रक्रिया बहुत जटिल है। उसे सरल बनाना बहुत जरूरी है ताकि भूमि अर्जन में देरी न हो सके। भूमि की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, अतः भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रतिकर सर्वथा अनुचित है। जिनकी भूमि ली जाय उनको भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो कम से कम भूमि लेने के तुरन्त बाद, उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

उपकरणों आदि के अभाव के बावजूद भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। मुझे आशा है कि आयोग के सुचारू रूप से कार्य करने में जो भी बाधाएं हैं वे शीघ्र ही दूर हो जायेंगी।

मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Government should acquire lands only for drilling and exploration work and the land required for rehabilitating the officers connected with that work should be purchased at market rates. When those lands are no longer required by the Oil and Natural Gas Commission, they should be returned to their previous owners. The bores etc. drilled in those lands should be filled in before the lands are made over to their previous owners. The lands should be acquired by the Government just when the project is to be taken in hand and not two or three years before that, to avoid national loss, for the lands are not used for any productive purposes during that period.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

If any project does not yield any result even after five or six years, Government should appoint a Committee to see whether that land had been acquired in the national interest or not. A project which would have normally

borne fruits in 6 months takes about four years to materialise. Therefore, for expediting drilling and exploration work the workers should be given sufficient incentives and they should be suitably rewarded for the good work done by them.

With these words, I congratulate the hon. Minister for bringing forward this amending Bill.

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा): मैं प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। जब इस के लिए भूमि अर्जित कर ली गयी है तो इसका कार्य तुरन्त आरम्भ हो जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी भूमि ली जाय उन्हें समुचित मुआवजा शीघ्र ही दिया जाना चाहिए। कीमत के मामले में तो भूमि अर्जन अधिनियम में निर्धारित है कि बाजार दर और १५ प्रतिशत अनिवार्य अर्जन का दिया जायेगा। कीमत के मामले में कोई कठिनाई नहीं है ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आयोग के काम को तेज किया जाय ताकि तेल उत्पादों के मामले में देश आत्म निर्भर हो सके।

श्री च० का० भट्टाचार्य : यह विधेयक बड़ा जरूरी है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भूमि मिलनी ही चाहिए। और यह भूमि जितनी जल्दी उपलब्ध हो सके होनी चाहिए। तेल की खुदाई के लिए भूमि का अर्जन बिल्कुल न्यायसंगत है ।

यदि भूमि अर्जित की जाती है और लोगों को वहां से हटाया जाता है तो उन्हें मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। यदि इस तरह भूमि से हटाये जाने वाले लोगों को मुआवजा मिल जाता है तो वे लोग उसी क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर पुनः अपने आप को बसा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने की बात कहते हुए मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): यह विधेयक बहुत ही लाभदायक है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भूमि अर्जन करके उसका तुरन्त उपयोग करना चाहिए। मिगोली-खंडवा लाइन पर भूमि कई वर्ष पूर्व अर्जित कर ली गयी थी परन्तु अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है । ये देरी करने वाले तरीके नहीं अपनाये जाने चाहियें ।

यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान कि सरकार को रखना चाहिए वह यह कि जिन लोगों की भूमि ली गयी है उन्हें उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। और यह मुआवजा भी समय पर मिलना चाहिए।

तेल की उपलब्धी एक महान सफलता है जिस पर हम गौरव कर सकते हैं। और देश के औद्योगिक विकास के लिए इन तेल संसाधनों का समुचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं इस मामले में सफलता की कामना करता हूं ।

श्री प० ना० कयाल (जयनगर): स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार का यह कर्तव्य था कि वह लोगों में यह भावना पैदा करती कि सरकार उनकी अपनी है । और यदि जनहित में कोई भूमि अर्जित करना चाहे तो कर सकती है । परन्तु देखा यह गया है कि जब भी भूमि अर्जित की गयी भूस्वामियों ने इसका विरोध किया । सरकार को लोगों के साथ सम्बन्ध निर्माण करने में काफी सचेत रहना चाहिए।

[श्री प० ना० कयाल]

लोगों को भूमि का मुआवजा देने के लिए दो बातें सामने रखनी चाहिएं । एक यह कि भूमि किसानों की है । और किसान के लिए भूमि रुपये से अधिक प्यारी होती है । वह उसे अधिक मूल्यवान समझता है, कुछ कब्जे की भावना भी इस मामले में काम करती है । कोई भूखा मर रहा किसान भी अपनी भूमि को देना नहीं चाहता ।

मेरा निवेदन तो यह है कि सरकार को भूमि अर्जन अधिनियम के आधीन निर्धन किसान को उसकी भूमि से वंचित करने की बजाय उस तेल की खुदाई के लिए अर्जित भूमि के बदले में अधिक अच्छी और लाभकारी भूमि दे। लोगों में इस भावना का निर्माण हो जायगा कि उन्हें कुछ लाभदायक चीज प्राप्त हो रही है ।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : I welcome this Bill before the House. Under this Bill the land will be acquired from individual land owners for the public purposes. Those who are deprived of their lands should be given adequate compensation. It is generally observed that whenever the land is acquired there was resistance from the owners of the land. The cultivable lands were acquired from the small peasants, therefore proper arrangements may be made to provide a living to those peasants. Generally they don't get compensation without long litigation.

My submission is that these people should be provided with alternative land in exchange for their land which was acquired so that they might be able to make a living.

श्री हेम राज (कांगड़ा) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं परन्तु यह भी बड़ी जरूरी बात है कि जिन लोगों से जमीनें ली जायें उनको शीघ्र ही मुआवजा दिया जाय । तेल की खोज के लिए जमीनें जल्दी उपलब्ध की जानी चाहिये परन्तु साथ ही किसानों को मुआवजा देने में भी उतनी जल्दी की जानी चाहिये। ऐसे मामलों में देखा यह जाता है कि कभी मुआवजा काफ़ी मात्रा में नहीं दिया जाता और यदि दिया भी जाता है तो काफी देर करके दिया जाता है । दोनों ही बातें नहीं होनी चाहियें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में परियोजना शुरू की जानी है वहां नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिये। यदि उनको जमीन से अलग किया गया है तो उन्हें कोई रोजगार दिया ही जाना चाहिये। इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जो सड़कें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये बनाई जाती हैं, वह साधारण जनता के लिये बन्द नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री हुमायून कबिर : मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यबाद करता हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है । यह एक ऐसा अवसर था जबकि देश के हित में किये जाने वाले रचनात्मक कार्य के लिये सदन में सभी सदस्यों का एक मत था। मुख्यतः तीन बातें कही गयी हैं प्रथम बात भूमि अर्जन का तरीका है। मेरा निवेदन यह है कि अधिनियम में भूमि अर्जन का तरीका लगभग निश्चित है । सभी राज्य सरकारें उसी आधार पर काम करती हैं ।

दूसरी बात मुआवजा देने के सम्बन्ध में है । यह ठीक है कि जब भी किसी से भूमि ली जाय उसका उचित मूल्य यथाशीघ्र दे देना चाहिये । मैं इसे मानता हूं कि यह मूल्य कभी वास्तविक बाजार मूल्य से कुछ अधिक होता है । दी जाने वाली कीमत जमीन के मालिकों और सरकारी उपक्रमों के लिए उचित ही होनी चाहिये । हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जिनकी जमीनें ली जायें उनको अच्छे से अच्छा सा मुआवजा दिया जाय । वैसे भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस बात का प्रयत्न करेगा कि कम से कम भूमि ली जाय।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि खोज का काम अन्य क्षेत्र में भी किया गया । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां भी तेल उपलब्ध होने की सम्भावना होगी वहां खोज की जायेगी । लगभग ३००००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है । २३४०० किलोमीटर का सर्वेक्षण किया जा रहा है । फिर भी इस व्यापक देश में इसकी बहुत गुंजाइश रहेगी । और जितना सम्भव होगा इस दिशा में कार्य किया जायेगा । वैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग ६०० कुएं खोदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परंतु विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका । फिर भी इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि पंचवर्षीय योजना के बाकी बचे दो वर्षों में, इस दिशा में जो कुछ भी सम्भव हो सकता है, कर लिया जाय ।

हमारा यह भी प्रयत्न है कि देश भर में पैट्रोरसायन उद्योग सर्वत्र स्थापित हों । इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि यदि किसी जमीन की आवश्यकता न हो तो इसका कोई कारण नहीं है कि उसे यथाशीघ्र क्यों न लौटा दिया जाए या यथासंभव उत्तम ढंग से बेच दिया जाए। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि जमीन कैसे बेची जाए, परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अनुदेश दिये जाने चाहिएं जब कभी मूल मालिक अपनी जमीन वापिस चा , तो उसे प्रथम प्राथमिकता दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग अधिनियम, १९५९ में अग्रेतर संशोधन करने वाली विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार चर्चा होगी, खंड २ पर श्री यशपाल सिंह के दो संशोधन हैं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं ।

Government will have no difficulty in accepting my two amendments. It is for the benefits of the Government. Government is acquiring this land for the purpose of drilling. So this land should not be utilized for building the officers' bungalows. If the land is acquired for this purpose, full market value should be given to the owners.

श्री हुमायून् कबिर : भूमि का प्रयोग तेल निकालने के लिए तथा प्राकृतिक गैस के लिए तथा प्राकृतिक गैस के लिए भी किया जाता है, अतः इस दिशा में कोई रोक नहीं लगाई जा सकती । दूसरा संशोधन में जो कहा " कि यदि भूमि का स्वामी चाहे तो सरकार के वापस करने पर भूमि उसे मिल सकती है । भूमि के मूल स्वामी को निश्चित रूप में प्राथमिता दी जायेगी । मुझे खेद है कि मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the bill.

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री हुमायून् कबिर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किवा जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न वह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० ब० स० राजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम गत कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है । जब इसका निर्माण किया गया था तो जम्मू और काश्मीर को मूल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया था क्योंकि उस राज्य में कोई मेडिकल कालेज नहीं था । अब वहां मेडिकल कालेज की स्थापना हो गयी है और इस वर्ष वहां से कुछ लोग स्नातक बन कर निकल आयेंगे । अतः इस विधेयक द्वारा अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि जम्मू व काश्मीर के डाक्टर भारत में दूसरे स्थानों पर भी सेवा कर सकें । इससे भावात्मक एकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

इस अधिनियम के बारे में हमारा अनुभव यह है कि इसमें कुछ दोष रह गये हैं । उस दृष्टि से कुछ एक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह की जा रही है कि हम समस्त मेडीकल स्नातकों के अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था भी कर रहे हैं जो या तो राष्ट्रीय रजिस्टर में होगा या राज्यों

के रजिस्टर में। यदि उन्होंने इन उपबंधों का उल्लंघन किया तो उन्हें जुर्माना या कैद हो सकेगी या दोनों दण्ड। भारतीय चिकित्सा परिषद् को मैडीकल प्रैक्टीशनरों के बारे में आचरण संहिता के तैयार करने का प्राधिकार दिया गया है। उक्त परिषद् को प्रमाप, पाठ्यक्रम तथा अन्य पाठ्य सामग्री के संबंध में अध्ययन करने का प्राधिकार भी दिया गया है। विचार यह है कि सारे देश में एक जैसा प्रमाप बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है कि आज देश के विभिन्न भागों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न है, उस स्तर को ऊंचा करके एक जैसा कर दिया जाय।

प्रयोगशाला तथा प्रशिक्षण कीसुविधाओं के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए समस्त मैडीकल संस्थाओं का पथ प्रदर्शन सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो भारतीय मैडीकल परिषद् को यह काम करना चाहिये। यह भी प्रसन्नता की बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से गैर-सरकारी संस्थायें भी आगे आ रही हैं। सरकार को उनकी सहायता भी करनी चाहियें और उन पर नियंत्रण भी रखना चाहिये। सरकार को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि देश के विभिन्न भागों में अधिक से अधिक मेडीकल कालेज खोले जायें ताकि लड़के और लड़कियां डाक्टर बन कर क्षेत्र में आ सकें।

वैसे ही देश में सामान्यत: डाक्टरों की कमी है। देहातों में तो यह कमी बहुत ही ज्यादा है व्यवस्था की जानी चाहिये कि देहातों में अधिक से अधिक डाक्टर हों। डाक्टरी करने वाले लोगों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आजकल कीमतें बढ़ रही हैं डाक्टरों के वेतन भी बढ़ाये जाने चाहियें। भारतीय चिकित्सा परिषद् भी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत का शिक्षा मंत्रालय दो बड़े योग्य डाक्टरों की देख रेख में चल रहा है। आशा है कि देश में स्वास्थ्य तथा मेडीकल शिक्षा में सुधार होगा और उसके साथ ही उसका उत्तरोत्तर विकास होता चला जायेगा।

श्री च० भा० सिंह (विलासपुर) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को इस विधेयक के लिए मुबारकबाद देता हूं। इन संशोधनों को समझने के लिए हमें अपने देश का मैडीकल शिक्षा का इतिहास देखना होगा। १८२२ में प्रथम मैडीकल स्कूल शुरू किया गया था। १८३५ में कलकत्ता में पहला मैडीकल कालेज आरम्भ किया गया था। दूसरा कालेज मद्रास में और तीसरा बम्बई में खोला गया था। जब यह कालेज स्थापित हो गये तो १९३० में भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थापना की गयी। १९३३ में भारतीय चिकित्सा अधिनियम बनाया गया। १९३४ में भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। इसके बाद सुधार हुए और प्रधान का चुनाव हुआ।

इस संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा निरक्षकों की नियुक्ति के बारे में उपबंध विशेष रूप से स्वागत योग्य है। यदि हम नीमहकीमी को दूर करना चाहते हैं तो मैडीकल कालेजों की संख्या बढ़ानी चाहिये। चिकित्सा शिक्षा का प्रसार करना चाहिए ताकि २००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर हो। यह भी आवश्यक है कि हमारे मेडिकल कालेजों में चिकित्सा अध्यापकों की संख्या २,००० और बढ़ाई जाए। ऐसा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर हो सकता है।

[डा० रानेन सेन]

पहले स्नातकोत्तर चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद में परस्पर विरोध था और फिर १९५६ में स्नातकोत्तर चिकित्सा परिषद को एक समिति बना दिया गया था।

१९५६ में पारित किये चिकित्सा परिषद अधिनियम में कुछ त्रुटियां रह गई थी और यह भी त्रुटि थी कि परिषद के निरीक्षकों को चिकित्सा कालेजों में जाकर वहां उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया था जिसका अनेक विश्वविद्यालयों ने विरोध किया था।

मैं स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने उपयुक्त समय पर यह सुधार प्रस्तुत किया है। खेद की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री अभी अनाड़ी और अनर्ह डाक्टरों को काम करने से रोकने का विधान नहीं लाये क्योंकि देश में अर्हता प्राप्त डाक्टरों की बहुत अधिक कमी है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। देहात में तो ४०००० लोगों के लिए एक डाक्टर है।

अभी चिकित्सा कालेजों में १०,२७९ छात्र भेजे जा रहे हैं और प्रतिवर्ष जनसंख्या में ९० लाख से १ करोड़ तक वृद्धि हो जाती है। हमें स्तर कायम करने के लिए प्रतिवर्ष ५००० स्नातक तैयार करने चाहिये।

स्नातकों की संख्या बढ़ाने के लिए पाठ्यावधि ५ वर्ष से घटा कर ४ ½ वर्ष कर दी गई है और अस्पताल के अनुभव के लिए २ वर्ष से घटा कर १।२ वर्ष का समय कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि चिकित्सा अध्यापकों की बहुत कमी है। मैंने एक सुझाव दिया था कि आप प्रतिवर्ष ५०० स्नातकों को २५० रुपये दे दें तो चिकित्सा अध्यापकों की संख्या बहुत बढ़ सकती है।

चिकित्सा की अन्तिम परीक्षा में केवल ५० प्रतिशत छात्र पहुंच पाते हैं। मांग में रह जाने वाले छात्रों की संख्या ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस सम्बंध में अध्यापकों का एक सम्मेलन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का विचार है कि चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए ४ या ५ केन्द्र स्थापित किये जाएं। किन्तु मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पुराने चिकित्सा कालेज में स्नातकोत्तर डिग्री की शिक्षा प्रदान की जाए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० श्रीनिवासन (मद्रास—उत्तर): १९६४ के संशोधक विधेयक के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई देता हूं।

पहले सभी विधेयकों में जम्मू और कश्मीर को अलग रखा जाता था और उसे इस विधेयक में शमिल किया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी कालेज हैं। यह बहुत सराहनीय है और यह भी एकीकरण का एक भव्य उपाय है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि चिकित्सा संस्थाओं और कालेजों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। इसमें मेरा यह सुझाव है कि निरीक्षकों को "चिकित्सा निरीक्षक" का नाम देने की बजाए "चिकित्सा विशेषज्ञ" का नाम देना चाहिये क्योंकि एक तो वे विशेषज्ञ होंगे दूसरे चिकित्सा निरीक्षक या स्वास्थ्य निरीक्षक का नाम भला प्रतीत नहीं होता।

मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम ५ वर्ष से घटाकर ४ ½ वर्ष कर दिया गया है। संभवत: मद्रास में अब भी ५ वर्ष का पाठ्यक्रम है। उसे भी ४ ½ वर्ष का पाठ्यक्रम अपना लेना चाहिए और देश भर अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा की स्थापना में देश के एकीकरण में सहायता मिल सकती है। अध्यापकों में भी अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Yashpal Singh : I support this Bill, and welcome the provision for including Jammu & Kashmir. I have not been able to reconcile myself with the idea of registration of medical graduates when they have already passed the highest examination. The Indian Medical Council should not be thus allowed to interfere in the working of the Universities.

The scholars of Ayurveda. should also be at par with practitioners in allopathy and they should be allowed to be registered.

There should be such provision in the bill that the registration of the medical gratuates is done only after they have served in the rural areas. Then training should be on such lines that they treat the service of the country as their supreme duty.

Admission should be open to candidates from all states in colleges situated in each state including Jammu & Kashmir. It should be the duty of the Medical Council to see that no unregistered practitioners, practices in the country, with these words I support the bill.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसे जम्मू और काश्मीर पर लागू करने से बाद में किसी को कोई भ्रम न हो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य भले ही राज्य का विषय है कि इस विधेयक का विषय समवर्ती सूचि में आता है और इसलिए मैं समझता हूं कि जम्मू और काश्मीर राज्य की सहमति से इसे उस राज्य पर लागू किया गया है। किन्तु इससे धारा ३७० प्रभावित नहीं होती। उसे तो संविधान में मूल परिवर्तन करने पर ही प्रभावित किया जा सकता है।

मैं डा० रानेन सेन से पूर्णत: सहमत हूं कि अनेक चिकित्सा संस्थाएं पैदा हो गई हैं जिनमें शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं। अत: शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

चिकित्सा कालेजों और चिकित्सा संस्थाओं में प्रयोगशालाओं और अनुसंधान की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इस पहलू के बारे में भी हमारी सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

छात्रों को चिकित्सा संबंधी पुस्तकें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। चिकित्सा कालेजों को इसके लिए उत्तरदायी बनाना चाहिये ताकि चिकित्सा शिक्षा को हानि न हो।

छात्रों में अनुशासनहीनता बहुत फैली हुई है। चिकित्सा और इंजीनियरी के कालेजों में अनुशासन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। काश्मीर में हाल ही में जो गड़बड़ हुई थी उसमें चिकित्सा कालेज के छात्रों ने विशेष और प्रमुख भाग लिया था। इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये।

चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए जगह सुरक्षित रखने का मैं समर्थन करता हूं किन्तु इस संरक्षण का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और योग्य छात्रों को अवसर

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

मिलना चाहिए। काश्मीर जिस खंड में स्थित है उस खण्ड के राज्यों के छात्रों को वहां प्रवेश की अनुमति होनी चाहिये किन्तु उनके लिये कुछ जगहें सुरक्षित होनी चाहिए न कि सारी जगहों के लिए उन्हें प्रतियोगिता की अनुमति दी जाए। प्रवेश सिफारिशों के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए ।

चिकित्सा कालेजों के निरीक्षक इस बात की ओर भी ध्यान दें कि अध्यापन का स्तर कैसा है और कैसे अध्यापक हैं। काश्मीर के कालेज के बारे में विशेष रूप से इस बात का अध्ययन किया जाए।

अन्त में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इससे राज्यों के एकीकरण में भी सहायता मिलेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक को जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया गया है जिसमें सरकार की यह इच्छा व्यक्त होती है कि उस राज्य का एकीकरण पूरा किया जायगा ।

हमारे देश में ८० चिकित्सा कालेज हैं। भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में २ या ३ चिकित्सा कालेज खोलने का आश्वासन दिया था। उनकी अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि उस विशाल राज्य में २०००० लोगों के लिए एक अर्हता प्राप्त डाक्टर है।

इस विधेयक के एक खण्ड में उपबंध किया गया है कि अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सकों की आचरण संहिता का निर्माण करेगी। यह सराहनीय उपबंध है क्योंकि कुछ चिकित्सक तो मानवीय भावनाओं से काम करते हैं और अन्य रोगियों के लिए यमराज ही प्रमाणित होते हैं।

चिकित्सा कालेजों में अध्यापक गैर सरकारी तौर पर यह रोगोपचार का कार्य करते हैं और जो रोगी १६ से लेकर ६४ रुपये तक उनकी फीस देते हैं उन्हें अस्पतालों में प्रवेश नहीं दिया जाता। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लोगों में अस्पताल जाने की प्रवृति पैदा हो गई है और मेरा सुझाव है कि चिकित्सा कार्य का समाजीकरण करने से उसकी बहुत सी त्रुटियों का उपचार हो सकता है। वहां रोगियों के बीच भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये।

चिकित्सा परिषद् चिकित्सा संस्थाओं की बहुत सहायता कर रही है किन्तु जहां टाटा संस्था और पटेल चिकित्सा संस्था को बड़ी बड़ी राशियां दी गई हैं वहां कलकत्ता के उष्ण देशीय चिकित्सा स्कूल को सहायता नहीं दी गई। वहां के दो प्रोफेसरों का वेतन देने का वचन दिया गया था किन्तु वह सहायता भी उन्हें नहीं मिली। यह संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और देशीय औषधियों में अनुसन्धान भी कर रही है। आशा है माननीय मन्त्री उसके लिए कुछ वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेंगी।

कानपुर चिकित्सा कालेज की स्थापना के लिए ५० प्रतिशत आवर्तक और ७५ प्रतिशत अनावर्तक खर्च देने का सरकार ने वचन दिया था किन्तु वह सहायता अभी तक नहीं दी गई। इसका क्या कारण है ?

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने संकेत किया है उनका उत्तर दिया जाए।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि इसे जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया जा रहा है और देश की एकता को सहायता दी जा रही है।

खण्ड ७ के संशोधन द्वारा उपबन्ध किया जा रहा है कि चिकित्सा कार्य करने या नियुक्ति से पूर्व चिकित्सक का पंजीकरण होना चाहिये और कुछ शर्तें पूरी होने पर भी चिकित्सा परीक्षा देने वालों को अस्थायी तौर पर स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सराहनीय उपबन्ध है।

चिकित्सा परिषद् का मुख्य कार्य चिकित्सा संस्थाओं में परीक्षा का विषय शिक्षा का स्तर आदि निर्धारित करना है अतः मैं यह सुझाव देती हूं कि परिषद् इस बात की ओर ध्यान दे कि सब संस्थाओं के पाठ्यक्रम में एकरूपता स्थापित हो। कहीं १२ मास और कहीं १८ मास की देहात की सेवा का उपबन्ध है। इसमें भी एकरूपता होनी चाहिये। परीक्षा के उपरांत छात्रों को अस्पताल में काम करना होता है और उस कालावधि में एक संस्था में ६० रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह नर्स के वेतन से भी कम है। ऐसी परिस्थितियों में काम करना कठिन हो जाता है। हुबली चिकित्सा कालेज और बंगलौर चिकित्सा कालेज में ऐसे ही कारणों से हड़तालें हुई थीं।

इसी प्रकार कुछ संस्थाएं छात्र चिकित्सकों को १०० रुपये और अन्य में १५० रुपये दिये जाते हैं। इसमें एकरूपता लाने पर ही छात्र सुचारू रूप से काम कर सकेंगे।

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में एकरूपता आवश्यक है। कुछ संस्थाओं में कुछ विषयों में डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक रखा गया अन्य में ऐसा नहीं। स्नातकोत्तर शिक्षा की अवधि सभी संस्थाओं में बराबर रखनी चाहिये।

कालेजों में पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग काम रखे गये हैं। यह नामकरण भी एकरूप होना चाहिये।

परिषद चिकित्सकों के लिए व्यवहार संहिता का निर्माण करेगी। चिकित्सक लोगों के अज्ञान का गलत उपयोग करते हैं और यह आशंका है कि ऐसी संहिता का निर्माण होने पर उसे लागू कैसे किया जायगा। आशा है चिकित्सकों में नैतिक साहस का निर्माण किया जायगा।

चिकित्सा कालेजों की संख्या के साथ साथ शिक्षा के स्तर में भी सुधार होना चाहिये।

अध्यापकों और उपकरणों की कमी के आधार पर चिकित्सा परिषद् किसी संस्था को मान्यता देने से इंकार कर सकती है। किन्तु राज्य और परिषद् के झगड़े के कारण भी कालेज को मान्यता नहीं मिलती जिससे छात्रों को हानि पहुंचती है।

अतः इस परिषद् को कौशलपूर्ण कार्य करना चाहिये और संस्थाओं के लिए कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : मैं विधेयक का स्वागत करते हुए कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। अमरीका में ५००० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है किन्तु यहां ३०,००० या ४०,००० के लिए एक डाक्टर है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

उत्तर प्रदेश में १२ लाख लोगों के लिए ३ चिकित्सा अधिकारी हैं। डाक्टरों की कमी का कारण यह है कि चिकित्सा शिक्षा बहुत महंगी है और बहुत से अच्छे छात्र आर्थिक कठिनाई के कारण यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

देश में चिकित्सकों के अभाव को ध्यान में रख कर मेडिकल कालेजों के स्तर को ऊंचा उठाने की अपेक्षा सरकार को अधिक संख्या में मेडिकल कालेज खोलने चाहियें।

इस समय चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करना तथा 'एलोपैथी' पद्धति से चिकित्सा कराना बहुत महंगा पड़ता है। सरकार को इसके कारणों की जांच करके कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे देश का निर्धन वर्ग भी इनसे फायदा उठा सके।

यह सराहनीय बात है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल करके राष्ट्र के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

यह अच्छी बात है कि देश के सभी मेडिकल कालेजों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है और यह कार्य भारतीय चिकित्सा परिषद् की देख रेख में होगा। इससे चिकित्सा के स्तर में सुधार होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ५००० से १०,००० जनसंख्या के लिए कम से कम एक चिकित्सक अवश्य होना चाहिए। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। अतः चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहियें तथा अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोले जाने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक संख्या में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

यद्यपि शल्य चिकित्सा की दिशा में काफी उन्नति हुई है और इससे रोगी बहुत कम समय में अच्छा हो सकता है, किन्तु इस पर बहुत खर्च होता है। जिससे साधारण जनता को इससे लाभ नहीं पहुंच पाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के कम खर्चीली होने के कारण गरीब जनता प्रायः इसी पद्धति पर निर्भर करती है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इस पद्धति को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जम्मू तथा काश्मीर राज्य को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल करके राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में काश्मीर समस्या के बारे में भारतीय प्रतिनिधि अपना मामला अधिक मजबूती से पेश कर सकेंगे। काश्मीर की जनता में भारत सरकार के प्रति विश्वास तथा मैत्री की भावना उत्पन्न होगी।

गत वर्षों में भारतीय चिकित्सा परिषद् ने भारत में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का स्तर बनाये रखने का अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। किन्तु अब परिषद् कुछ राजनीति में आ गई है। चिकित्सकों की परिषद् में राजनीति का घुस आना अच्छी बात नहीं है। परिषद् के कार्यकरण से इस राजनीति को शीघ्र दूर किया जाये क्योंकि यदि चिकित्सा अध्यापकों की नियक्ति में केवल राजनीति से ही काम लिया जायेगा, जैसा कि कुछ स्थानों पर हुआ है, तो परिषद् उचित ढंग से कार्य नहीं कर सकेगी। परिषद् को यथासम्भव उच्चतम अर्हता प्राप्त कर्मचारी नियुक्त करने चाहिएं, इस समय कई मेडिकल कालेजों की प्रयोगशालाओं में पूरा सामान तथा पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें नहीं हैं। परिषद् को इस ओर ध्यान देकर उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

यह सराहनीय बात है कि परिषद् को कालेजों की मान्यता वापिस लेने तथा कालेजों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। इससे शिक्षा का स्तर बनाये रखने में काफी सहायता मिलेगी। आशा है परिष् अपने इस अधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करेगी। परिषद् के निरीक्षकों को निष्पक्ष भाव से कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय को प्रतिवर्ष सभा को जानकारी देनी चाहिए कि परिषद् को दी गई शक्तियों के अन्तर्गत कितने कालेजों का निरीक्षण किया गया और कितनों की मान्यता समाप्त करनी पड़ी।

यह दुःख की बात है कि डाक्टरों द्वारा इलाज के लिये मनमानी फीस ली जाती है जो भारत जैसे देश की निर्धन जनता के लिये दे सकना बहुत कठिन है। अतः अधिकांश लोग डाक्टरी इलाज की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यद्यपि सरकार द्वारा चालू की गई आंशिक स्वास्थ्य योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना इस दिशा में एक सराहनीय कदम है, किन्तु इन योजनाओं से थोड़े से लोगों को लाभ पहुंच सकता है। देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रख कर चिकित्सकों के लिए आचार संहिता का उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए। चिकित्सकों द्वारा ली जानी वाली फीस की अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए ताकि वे मनमानी फीस न ले सकें। परिषद् को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डाक्टर लोग बीमारी के झूठे पत्र न दें। विधेयक के खण्ड १२ के अन्तर्गत तैयार की गई आचार संहिता सदस्यों की जानकारी के लिए सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

हमें अपने डाक्टरों की उच्च शिक्षा के लिये केवल इंग्लैण्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। आज संसार के कई विकसित देशों में चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान की दिशा में पर्याप्त प्रगति हो रही है। अतः हमें डाक्टरों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भेजना चाहिए।

विधेयक के खण्ड में उपबन्धित दण्ड व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए ताकि नीम हकीम अर्हता प्राप्त डाक्टरों की बराबरी करने का ढोंग न कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू करने के सराहनीय कार्य के लिये सरकार बधाई की पात्र है। विधेयक में व्यवस्था की गई है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य से परिषद् में तीन सदस्य लिये जायेंगे। किन्तु यह निराशाजनक बात है कि राज्य द्वारा उन सदस्यों के व्यय को वहन करने के बारे में स्पष्ट बात नहीं कही गई है। इस बारे में अनिश्चितता नहीं होनी चाहिये।

विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने के साथ साथ इसमें जो अन्य त्रुटियां रह गई हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये। विधेयक में व्यवस्था की गई है कि भारत में उसी विदेशी डाक्टर का पंजीयन हो सकता है जो अपने देश में डाक्टर के रूप में पंजीबद्ध हो। इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का कोई भी कारण नहीं है। उदाहरणार्थ, एक मिशनरी के डाक्टर का जिसका अपने देश में पंजीयन न हुआ हो, यहां पंजीयन न करना उसके प्रति अन्याय होगा। मंत्री महोदय को इसके कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

विधेयक के खंड १२ के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् को दी गई शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि चिकित्सा का स्तर बना रहे और डाक्टर लोग आचरण संहिता के अनुसार कार्य करें।

चिकित्सा परिषद् डाक्टरों का नैतिक स्तर ऊंचा बनाये रखने में असफल रही है। विधेयक से संलग्न द्वितीय अनुसूची को देखने से पता चलता है कि अमरीका तथा कुछ अन्य देशों की चिकित्सा डिग्रियों अथवा संस्थाओं को मान्यता नहीं दी गई है। इन सब देशों में चिकित्सा शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। हो सकता है कि उन देशों ने पारस्परिक आधार पर हमारी डिग्रियों अथवा संस्थाओं को मान्यता देने से इन्कार कर दिया हो। अतः हमें इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने चाहिये ताकि पारस्परिक आधार पर भारतीय तथा विदेशी डिग्रियों और संस्थाओं को मान्यता दी जा सके। स्वयं माननीय मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सरकारी अस्पताल ठीक तरह काम नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन अस्पतालों को अन्य गैर-सरकारी अस्पतालों के स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। १६ अप्रैल, १९६४ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिया हुआ है कि विलिंगडन अस्पताल में तीन बच्चों को जिन्हें मोतियाबिन्द का रोग था, आंखों का आपरेशन करने की सुइयों के न होने के कारण पांच महीने से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि इतने समय के बाद जो सुईयां प्राप्त की गईं वे इस्तेमाल की हुई थी। जब विलिंगडन अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में लालफीताशाही का यह हाल है तो क्या हम राष्ट्र के स्वास्थ्य की देख भाल कर सकते हैं? क्या यह प्रशासन की कार्यकुशलता का परिचायक नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले के तथ्य जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है?

देश में चिकित्सा सेवा का विस्तार किया जाना चाहिये। जब तक जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं की जायेगी तब तक चिकित्सा परिषद् को अधिक शक्तियां देने से कोई लाभ नहीं होगा। देश में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्रालय स्थिति का मूल्यांकन करके और सभा को विश्वास में लेकर कोई योजना बनायेगी ताकि देश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जा सके।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर): हमारा देश आचरण संकट से गुजर रहा है। प्रत्येक व्यवसाय में आचरण का अभाव है और चिकित्सा व्यवसाय भी उनमें से एक है। बहुत थोड़े ही डाक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस नहीं बढ़ाई है और जो सच्ची लगन से जनसाधारण की सेवा कर रहे हैं। जहां तक विधेयक के खण्ड ११ का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि विनियम बनाते समय चिकित्सा कालेजों तथा ऐसे अन्य निकायों का भी परामर्श लिया जाना चाहिये।

देहाती क्षेत्रों तथा सशक्त सेनाओं में डाक्टरों की बहुत कमी है। अमरीका में भी इस समय डाक्टरों की बहुत कमी है। इसलिये हमारे चिकित्सा स्नातक अपनी परीक्षा पास करते ही अमरीका चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें अधिक सुविधायें मिलती हैं। यह बड़े खेद की बात है कि हमारे चिकित्सा स्नातक देश की सेवा करने की बजाय विदेशों में चले जाते हैं। मंत्रालय को इस चीज को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि उन्हें तीन वर्ष तक सशस्त्र सेना अथवा देहात में काम करने के लिये कहा जाये और ऐसे किये जाने के पश्चात् उनको चिकित्सा स्नातक की उपाधि दी जाये।

देश के समस्त विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा का एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिये। कुछ विशेष मामलों में विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य राज्य में स्थित विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिये और विश्वविद्यालयों के आपसी मतभेद उनके रास्ते में नहीं आने चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तावित खण्ड (जे) के अधिनियम का अंग बन जाने से चिकित्सा परिषद् ऐसे मामलों में उचित कार्यवाही कर सकेगी। साधारण चिकित्सकों को रोजगार दिलाया जाये ताकि गरीब लोगों को चिकित्सा विशेषज्ञों के पास न जाना पड़े और इस प्रकार उन्हें अधिक पैसा न खर्च करना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विषय को लेंगे।

अनाज व्यापारियों द्वारा दी गई कारोबार बन्द करने की धमकी के बारे में १४ अप्रैल, १९६४ की ध्यान दिलाने वाली सूचना—जारी

CALLING ATTENTION NOTICE OF 14TH APRIL, 1964 re : THREATENED CLOSURE OF BUSINESS BY FOODGRAINS DEALERS—**contd.**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यदि मंत्री महोदय ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये प्रथम वक्तव्य के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में आगे जानकारी दे देते तो अच्छा होता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया और राज्य सरकारों को परिचालित किया गया आदर्श विधान सभी राज्यों द्वारा समानरूप से अपनाया गया है और यदि हां, तो किस प्रकार? राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंसिंग आदेशों में जो परिवर्तन किये गये हैं, या केन्द्रीय सरकार की सहमति से किये गये हैं और क्या सरकार यह समझती है कि अनाज के एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने से, अनाज व्यापारियों द्वारा प्रतिभूति जमा करने से तथा राजस्थान लाइसेंसिंग आदेश में खण्ड ९ के रखे जाने से ही इस विधान का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैंने अपने पहले वक्तव्य में यह संकेत दिया था कि केन्द्रीय सरकार कुछ छूट देने के लिये तैयार है और राज्य सरकारों को भी न उनसे अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्ति को, जो केवल उपभोक्ताओं को माल बेचता है, 'व्यापारी' शब्द की परिभाषा में सम्मिलित न करने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें जमानत की राशि कम करने और छोटे व्यापारियों से बिल्कुल जमानत न लेने की अनुमति दे दी गई है। राज्य-सरकारों को लाइसेंसधारियों को अनाज गोदामों को अपने कब्जे में लेने के ४८ घण्टे के अन्दर सूचना देने की छूट देने का अधिकार होगा। राज्य सरकारों को विशेष मामलों में किसी लाइसेंस प्राप्त थोक व्यापारी को किसी अन्य राज्य के लाइसेंस प्राप्त थोक व्यापारी से माल खरीदने अथवा उसे माल बेचने

की छूट देने की अनुमति भी होगी। अधिक मात्रा में अनाज खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सीधे थोक व्यापारियों से माल खरीदने की भी अनमति होगी : त्रिमासिक विवरण भी उससे अगले महीने के दूसरे पखवाड़े के विवरणों के साथ दिये जा सकेंगे। वह पक्ष जिसमें ये छूटें दी गई थीं राज्य सरकारों को ६ अप्रैल, को भेजा गया था। उन्होंने उस पर जो कार्यवाही की है उसके बारे में हमें अभी कोई उत्तर नहीं भेजा है। जहां तक व्यापारी वर्ग का सम्बन्ध है उन्होंने इन रियायतों का स्वागत किया है और कुछ और रियायतों की भी मांग की है।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, पुनरीक्षित लायसेंसिंग आदेश आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली, गोआ मनीपुर, पांडिचेरी और त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्रों में लागू कर दिये गये हैं। कुछ राज्यों ने कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना कुछ रूप भेद कर दिये हैं। हम इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे।

व्यापारियों ने तीन मामलों में कुछ परिवर्तन करने के लिये अभ्यावेदन दिये थे। उनकी आपत्तियां जमानत, थोक व्यापारी को अन्य थोक व्यापारी को अनाज बचने तथा त्रिमासिक विवरण देने के बारे में थीं। जहां तक जमानत के बारे में व्यापारियों द्वारा की गई आपत्ति का प्रश्न है, सस्ते दामों की दूकानों आदि से भी जमानत ली जाती है। इसलिये व्यापारियों को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। राज्य सरकारों को जमानत नकद राशि की बजाय प्रमाणपत्रों के रूप में लेने के लिये कह दिया गया है। राज्यों को जमानत की राशि कम करने की अनुमति भी दे दी गई है। सरकार जमानत के कतई समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि लाइसेंसिंग आदेश का उल्लंघन करने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और जमानत जब्त की जा सकती है।

जहां तक त्रिमासिक विवरण देने का सम्बन्ध है, व्यापारियों को यह देना ही पड़ेगा। चूंकि वर्ष के समाप्त होने से पहले सही आंकड़े देना संभव नहीं हैं, इसलिये उन्हें अनुमानित आंकड़े देने की अनुमति होगी। यदि सरकार को प्राप्त जानकारी के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है है कि अनुचित लाभ कमाया गया है, तो सरकार को ऐसे मामलों में अधिक जानकारी मांगने तथा यथावश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। सामान्यतया, उनकी सफलता उनके वर्ष भर के कार्य के आधार पर आंकी जायेगी। हमारा इरादा बिचौलियों को कम करने का है, परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में एक थोक व्यापारी को लाइसेंसिंग अधिकारियों की अनुमति से उसी बाजार में किसी अन्य थोक व्यापारी को अपना अनाज बेचने की अनुमति होगी।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Is the Government aware of the fact that the Collector of Kotah did not allow the foodgrains dealers to move the foodgrains from there ? What action Governmentipropose to take in regard to the States which have not implemented the foodgrains licensing orders ?

श्री अ० म० थामस : हमें कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है कि कछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन नहीं किया है। हम इस बारे में उन से बात चीत करेंगे

श्री बड़े (खारगोन): माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि बिचौलियों को कम करने के लिये यह आदेश जारी किया गया है । इस से कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा ? इससे छोटे व्यापारियों का रोजगार छिन जायेगा क्योंकि उन के पास जमानत के लिये पैसा नहीं है । पंजाब राज्य को इस उपबन्ध के बारे में छूट दे दी गई है । अन्य राज्यों को भी यह छूट क्यों नहीं दी गई है ?

श्री अ० म० थामस : राज्य सरकारों को छोटे व्यापारियों की जमानत से छूट देने की अनुमति है । वे छोटे व्यापारियों से कम तथा बड़े व्यापारियों से अधिक जमानत लेने के लिये स्वतंत्र हैं। मुझे पंजाब के बारे में कोई जानकारी नहीं है । यदि किसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य हिदायतों में कोई रियायत दी जाती है तो अन्य राज्य सरकारों को भी उन्हें लागू करने के लिये कहा जायेगा ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Is the hon. Minister in a position to give this assurance to the House that the wheat will continue to sell at the harvest season rates and the Government or the profiteers will not be allowed to profiteer in between ?

श्री अ० म० थामस : वर्तमान व्यापार पद्धति में बिचौलियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने में कुछ कठिनाइयां हैं। इसीलिये एक थोक व्यापारी को किसी थोक व्यापारी को अनाज बेचने की अनुमति दी गई है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): संवैधानिक (अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक के स्थगित कर दिये जाने के कारण चालू सप्ताह में सरकारी कार्य के लिये अधिक समय उपलब्ध हो सकेगा । इसलिये कुछ अतिरिक्त विधेयकों पर भी सभा में विचार किया जायेगा । पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक तथा करारोपण विधियां (वसूली की कार्यवाही को जारी रखना और वैध बनाना) विधेयक को कल पुरःस्थापित किया जायेगा और १ मई, १९६४ को उन पर विचार किया जायेगा और उन्हें पास किया जायेगा । कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६३ को भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६४ के लोक-सभा द्वारा पास किये जाने के पश्चात् लिया जायेगा । मुझे आशा है कि सभा कार्य सूची में नई मदों के जोड़े जाने से सहमत है ।

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी (जोधपुर): फालतू समय को दृष्टि में रखते हुए काश्मीर प्रश्न पर विचार के लिये भी समय निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की ऐसी इच्छा होगी तो उसके लिए समय निकाला जा सकता है ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): सभा की यह हार्दिक इच्छा है कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले काश्मीर पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : कल इस प्रश्न को उठाया गया था और यह निर्णय किया गया था कि काश्मीर पर बातचीत होने के पश्चात् ही कोई कदम उठाया जायेगा । मुझे आश है कि सभा संसद्-कार्य मंत्री के सुझाव से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २९ अप्रैल, १९६४/९ वैशाख, १८८६ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 29th April, 1964/Vaisakha 9, 1886 (Saka)